“उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति”

“Status of Sex Education at Upper Primary Level and attitude of Students Towards it”

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

पीएच.डी. (शिक्षा)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबंध

शिक्षा संकाय

शोधार्थी

विनिता शर्मा

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. सुषमा सिंह

जे.एल.एन.पी.जी.टी.टी. महाविद्यालय, सकतपुरा, कोटा (राज.)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

2021

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled **''उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृति'' ("Status of Sex Education at Upper Primary Level and Attitude of Students towards it")** by **Vinita Sharma** has been done under my guidance. She has completed the following requirements as per Ph.D regulations of the University.

(i) Course work as per the university rules.

(ii) Residential requirements of the university (200 days)

(iii) Regularly submitted annual progress report.

(iv) Presented his work in the departmental committee.

(v) Published/accepted minimum of one research paper in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date : **Dr. Sushma Singh**

Place : Kota **Research Supervisor**

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that Ph.D.Thesis Titled **"उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृति" ("Status of Sex Education at Upper Primary Level and Attitude of Students towards it")** by **Vinita Sharma** been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.
b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.
c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.
d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.
e. The thesis has been checked using **URKUND** software and found within limits as per HEI plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Vinita Sharma	**Dr. Sushma Singh**
Research Scholar	**Research Supervisor**
Date :	Date :
Place : Kota	Place : Kota

अनुसंधान का सार

Abstract of Research

यौन शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें बालक को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्वभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की संतुष्टि व अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने तथा उचित विधियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशन व शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं वृद्धि करते हुए सुख एवं आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यौन शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाधिक वृद्धि हो और वह यौन विकारों से ग्रस्त न हो। इस शिक्षा से व्यक्ति को उन बातों की जानकारी देना नहीं है जिन्हें वे जानते है बल्कि वे आचरण सिखता है जिनके वे अभ्यस्त नहीं है। यौन विकृत्तियों से बचने एवं सेक्स के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास करना ही यौन शिक्षा कहलाती है।

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में यौन विषयक बातों की चर्चा वर्जित मानी जाती है। निसन्देह यौनगत भावनाओं और व्यवहारों पर संस्कृति की गहरी छाप पड़ती है जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण होता है। लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते हैं जिसके कारण लोगों को यौन संबंधी उचित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

इसका परिणाम यह होता है कि यौन शिक्षा के अभाव के कारण किशोर, किशोरियाँ अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को लेकर तनावग्रस्त रहते है, अनेक मानसिक रोगों तथा एड्स जैसे रोगों के शिकार हो जाते है। इसी वजह से यौन शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

शोध अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की क्या स्थिति है तथा यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति किस प्रकार से है।

शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध समस्या का चयन देश के भावी नागरिकों अर्थात् विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के पक्ष में किया है, क्योंकि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवनकाल में यौन आवश्यकता, प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य को समझना आवश्यक है।

इस शोध समस्या के मंथन से विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित सुझाव निकलेगें। अतः समस्या सार का शोधार्थी द्वारा निर्धारण किया गया है। ये निर्धारित बिन्दु निम्नलिखित है: -

- यौन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक नैतिक व संवेगात्मक विकास किया जा सकेगा।
- यौन शिक्षा विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर लाभकारी है।
- किशोर विद्यार्थियों में अंग विकास प्रक्रिया से तनाव हो जाते है। इन तनावों को कम करने हेतु अन्य विषयों के साथ यौन शिक्षा देना आवश्यक है।

- किशोरों को तेजी से बढ़ते एच.आई.वी./एड्स के खतरे से अवगत करने के लिए यौन शिक्षा के उपयोगी है।

उपर्युक्त तथ्यों या बिन्दुओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शोधार्थी द्वारा समस्या का उचित निर्धारण किया जा सकता है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त समस्या शोधार्थी के अध्ययन तथा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर समस्या का सार निर्धारित होता है।

Candidate's Declaration

I, (**Vinita Sharma**) hereby, declare that the work, which is being presented in the thesis, entitled **"उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृति" ("Status of Sex Education at Upper Primary Level and Attitude of Students towards it")** in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried under the supervision of **Prof. (Dr.) Sushma Singh** and submitted to the University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included. I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any Institutions.

I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

Date : **Vinita Sharma**

Place: Kota **Research Scholar**

This is to certify that the above statement made by **Vinita Sharma** (Registration No. RS/1226/18) is correct to the best of my knowledge.

Date : **Dr. Sushma Singh**

Place : Kota **Research Supervisor**

आभार

मनुष्य के प्रत्येक सफल कार्य के पीछे उसके गुरू, पथ-प्रदर्शक, माता-पिता, परिवार के सदस्यों तथा मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनेक विद्वानों के अनुभवों एवं विचारों से भी उसका पथ प्रतिदीप्त होता है। अतः शोध कार्य के समापन पर सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापित करना अपना पुनीत कत्र्तव्य समझती हूँ। सर्वप्रथम अपने शोध कार्य की निर्देशिका डॉ. सुषमा सिंह डीन. शिक्षा संकाय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, प्राचार्य जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय, सकतपुरा, कोटा का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जिन्होंने शोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने में, पग-पग पर आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं का समायोचित समाधान सुझाकर निरन्तर मेरा मार्गदर्शन किया है। आपने अपने व्यस्त जीवन के अमूल्य क्षणों में से इस कार्य को सम्पादित करने में मेरा जिस निष्ठा एवं लगन के साथ सहयोग किया है। वह अविस्मरणीय है। इस कार्य में उनकी चिरऋवी हूँ।

मैं डॉ. सपना जोशी जी की भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य में हमेशा समर्थन किया। मैं उन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य हेतु आँकड़े एकत्रित कराके मेरे प्रयास को सुगम बनाया।

मैं उन सभी लेखकों एवं शिक्षाविदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जिनके द्वारा लिखित साहित्य व पुस्तकों का आश्रय लेखन के समय मुझे प्रेरणा, प्रोत्साहन और अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है।

मैं माँ भारती टी.टी. कॉलेज, कोटा की प्राचार्य डॉ. कामिनी वर्मा जी, पुस्तकालयाध्यक्ष श्रीमती वंदना शर्मा के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जिनके अतुलित सहयोग, आशामयी प्रेरणा एवं प्रस्फुटित अनुकम्पा से ही यह अध्ययन आरंभ एवं पूर्ण हो सका।

इस शोध कार्य को पूरा करने में मेरे मित्र श्रीमती सरोज चैधरी, डॉ. सुनीता तिवारी का भी आभार प्रकट करती हूँ। जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय व सहयोग दिया तथा शोध को पूर्ण करने में मेरी मदद की।

मेरी लेखनी में निःसृत शब्दों को इस ग्रथ का आकार देने में तथा आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान के लिए मेरे स्नेह परिजनों में मेरे ससुर स्व. श्री लालाधर जी गौतम, माता जी गीता देवी का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही स्नेही परिजनों में भाईसाहब डॉ. बृजसुन्दर जी गौतम, देवर निरंजन गौतम, महेश गौतम, देवरानी रत्नेश शर्मा, ननद मंजू गौतम के स्नेहपूर्ण एवं उत्साहवर्धक सहयोग के लिए सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ।

इस शोध कार्य को लिखने में प्रेरणा स्रोत मेरे पिता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, माता स्व. श्रीमती कान्ति देवी के चरण कमलों में अपना धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मैं अपने भाई सौरभ शर्मा एवं बड़ी बहिन श्रीमती आभा द्विवेदी के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ।

मुझे भावात्मक व आत्मिक सहयोग प्रदान करने के लिए मेरे पति श्री श्याम सुन्दर गौतम की जीवनपर्यन्त आभारी रहूँगी। मैं अपने पुत्र साकेत गौतम, भतीजे औजस गौतम, हर्षित भाणजे, दिक्षांक द्विवेदी, खुशाल गौतम, भाणजियों श्रीमती रूपम्, जाहन्वी व शैफाली को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने लिए समय की तथा अन्य वस्तुओं की मांग किये बिना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं कोटा विश्वविद्यालय के शोध विभाग की निदेशक आशुरानी जी, डॉ. विपुल शर्मा जी, चमन तिवारी जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समयसमय पर अपना सहयोग प्रदान किया।

मैं प्रस्तुत शोध के टंकन एवं उसे सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में श्री कौशल शर्मा के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। जिनके परिश्रम से यह शोध कार्य सम्पन्न हो सका।

यह शोध कार्य मैने पूर्ण निष्ठा एवं लगन से किया है। अन्तः में पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।

सधन्यवाद

विनिता शर्मा

शोधार्थी

शब्द संक्षेप

Abbreviation

M	=	Mean
N	=	Number
SD	=	Standard Deviation
df	=	degree of freedom
f	=	frequency

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	Certificate	i
	Anti-Plagiarism Certificate	ii
	अनुसंधान का सार (Abstract of Research)	iii
	Candidate's Declaration	vi
	आभार	vii
	शब्द - संक्षेप (Abbreviation)	x
	अनुक्रमणिका	xi
	सारणी सूची	xvii
	आरेख सूची	xviii
1.	**प्रथम अध्याय** **सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि**	**1-38**
	1.1 प्रस्तावना	1
	1.2 यौन शिक्षा का अर्थ	6
	1.2.1 यौनशिक्षा से संबंधित तथ्य	14
	1.2.2 यौन शिक्षा की आवश्यकता	17
	1.2.3 यौन शिक्षा का महत्व	19

	1.2.4 यौनशिक्षा में परिवार की भूमिका	22
	1.2.5 यौनशिक्षा में विद्यालय एवं अध्यापक की भूमिका	23
	1.2.6 यौनशिक्षा में जनसंचार माध्यम की भूमिका	24
	1.2.7 उच्च प्राथमिक स्तर पर यौनशिक्षा की स्थिति	25
	1.3 समस्या का औचित्य	30
	1.4 शोध समस्या कथन	32
	1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्य	32
	1.6 शोध अध्ययन के उद्देश्य	34
	1.7 शोध परिकल्पनाएँ	35
	1.8 अध्ययन में प्रयुक्त पदों का परिभाषीकरण	35
	1.9 शोध समस्या का सीमांकन	37
	1.10 शोध प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की योजना	37
	1.11 उपसंहार	38
2.	**द्वितीय अध्याय** **सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन**	**39-76**
	2.1 प्रस्तावना	39
	2.2 संबंधित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा	41
	2.3 संबंधित साहित्य का स्त्रोत	44
	2.4 संबंधित साहित्य के उद्देश्य	45

	2.5 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लाभ	46
	2.6 भारत में हुए शोध से सम्बन्धित अध्ययन	47
	2.7 विदेशों में हुए शोध से संबंधित अध्ययन	66
	2.8 सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता	75
	2.9 उपसंहार	76
3.	**तृतीय अध्याय** **अनुसंधान आकल्प एवं क्रियान्वयन**	**77-106**
	3.1 प्रस्तावना	77
	3.2 शोध में प्रयुक्त विधियाँ	79
	3.2.1 वर्णनात्मक अनुसंधान	80
	3.2.2 वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ	81
	3.2.3 वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य	82
	3.2.4 वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार	82
	3.2.5 सर्वेक्षण विधि	83
	3.2.6 सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं	84
	3.2.7 सर्वेक्षण विधि के प्रमुख सोपान	85
	3.2.8 प्रस्तुत शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग	86
	3.3 शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर	87
	3.3.1 चरों के प्रकार	88
	3.4 शोध अध्ययन हेतु जनसंख्या व न्यादर्श	89

	3.5 न्यादर्श	90
	3.5.1 न्यादर्श की आवश्यकता	90
	3.5.2 अच्छे न्यादर्श की विशेषताएँ	91
	3.5.3 न्यादर्श द्वारा अध्ययन के विभिन्न चरण	91
	3.5.4 न्यादर्श चयन हेतु विधि	92
	3.5.5 शोध में चयन विधि	92
	3.5.6 यादृच्छिक न्यादर्श विधि	93
	3.5.7 यादृच्छिक न्यादर्श में सावधानियाँ	93
	3.6 शोध में प्रयुक्त न्यादर्श	94
	3.7 शोध उपकरण	96
	3.7.1 यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी	97
	3.8 प्रश्नावली प्रमापनी की विश्वसनीयता	99
	3.8.1 विश्वसनीयता मापने की विधियाँ	99
	3.8.2 कोटि अन्तर विधि	100
	3.9 उपकरण का प्रशासन	101
	3.10 सांख्यिकी प्रविधियाँ	102
	3.11 आंकड़ों का व्यवस्थापन एवं वर्गीकरण	105
	3.12 उपसंहार	106

4.	**चतुर्थ अध्याय** **प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या**	**107-126**
	4.1 प्रस्तावना	107
	4.2 शोध अध्ययन के उद्देश्य	110
	4.3 शोध परिकल्पनाएँ	111
	4.3.1 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या	112
	4.3.2 विश्लेषण एवं व्याख्या	113
	4.3.3 विश्लेषण एवं व्याख्या	117
	4.3.4 विश्लेषण एवं व्याख्या	120
	4.3.5 विश्लेषण एवं व्याख्या	123
	4.4 उपसंहार	126
5.	**पंचम अध्याय** **शोध सारांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव**	**127-150**
	5.1 प्रस्तावना	127
	5.2 शोध प्रबंध का साराश	129
	5.2.1 प्रस्तावना	129
	5.3 किशोर विद्यार्थी एवं अभिवृत्ति निर्माण	131
	5.4 यौन शिक्षा का अर्थ	133
	5.5 यौन शिक्षा की आवश्यकता	133
	5.6 उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति	134

	5.7 समस्या का औचित्य	135
	5.8 शोध समस्या कथन	136
	5.9 शोध अध्ययन के उद्देश्य	136
	5.10 शोध परिकल्पनाएँ	137
	5.11 अध्ययन में प्रयुक्त पदों का परीभाषीकरण	138
	5.12 शोध समस्या का सीमाकंन	139
	5.13 शोध अध्ययन विधि	140
	5.14 जनसंख्या एवं न्यादर्श	140
	5.15 शोध से संबंधित साहित्य	141
	5.16 शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण	141
	5.17 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी	141
	5.18 शोध अध्ययन के निष्कर्ष	142
	5.19 शैक्षिक निहितार्थ	147
	5.20 भावी शोध हेतु सुझाव	149
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	**151-160**
	प्रकाशित शोध पत्र **परिशिष्ट**	

सारणी सूची

क्रम संख्या	सारणी संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	3.1	न्यादर्श को प्रदर्शित करती सारणी	94
2.	4.1	यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति का कक्षावार प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर	113
3.	4.2	यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर	116
4.	4.3	यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर	119
5.	4.4	यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर	123

आरेख सूची

क्रम संख्या	आरेख संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	4.1	यौन शिक्षा के प्रति कक्षावार विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन	115
2.	4.2	यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन	118
3.	4.3	यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन	122
4.	4.4	यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालकएवं बालिकाओं की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन	125

प्रथम अध्याय

सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रथम अध्याय

सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार से ही बालक सामान्य शिष्टाचार सिखता है। वर्तमान में परिवार की जिम्मेदारी विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा निभायी जा रही है। माता-पिता के बाद शिक्षक ही विद्यार्थियों के सबसे नजदीक होते है। बच्चों की भावनाओं और उनके बदलते स्वभाव को अभिभावक एवं शिक्षक ही सबसे पहले चिन्हित करते है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक व भावनात्मक विकास होता है। सही एवं उचित शिक्षा ही मनुष्य को सामान्य प्राणी से भिन्न बनाती है। शिक्षा के लक्ष्य के बिना हम किसी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते। शिक्षा के द्वारा समाज में कई परिवर्तन लाये जा सकते है तथा सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण भी शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, सोच में वैज्ञानिकता और प्रयोग में सृजनात्मकता का बीजारोपन करती है। मनुष्य समाज और राष्ट्र का उपयोगी नागरीक बन जाता है। शिक्षा ही समाज की प्रगति, विकास, परिवर्तन और स्थिरता का मुख्य साधन है।

भारत वर्ष में शिक्षा की जड़े अत्यन्त गहरी समायी हुई है। इसे समृद्धिशाली बनाने में हमारे ऋषियों, मनीषियों का प्राचीनकाल से ही अद्वितीय योगदान रहा है। मनीषियों ने अपने चिंतन-मनन के द्वारा भारतीय जनमानस को ज्ञान सम्पन्न बनाने हेतु गुरूकुलों, मठों, संघों, विहारों के माध्यम से सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता-संस्कृति, शिक्षा, आदर्श, नैतिक मूल्य, मान्यताओं से सम्पृक्त हुई और शिक्षा मानव के कल्याण की आधारशिला बनी।

शिक्षा के द्वारा नये समाज का निर्माण होता है। यह सदैव भविष्य के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान पाठ्यक्रम रूचिकर और विद्यालय वातावरण बालकों के स्वभाविक विकास के अनुरूप बनाया गया है, परन्तु शिक्षा के इतने सारे आयाम होने के बावजूद भी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में शिक्षा स्वयं को स्थापित नहीं कर पा रही है क्योंकि शिक्षा बाल केन्द्रित तो है परन्तु बालकों को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से स्वयं को कैसे बाहर निकाला जाये यह नहीं सिखा पा रही है। पाठ्यक्रम लचीला तो है परन्तु वर्तमान समय में बालकों की ज्वलन्त समस्याओं को समावेशित नहीं किया गया। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में यौन विषयक बातों की चर्चा वर्जित मानी जाती है। निसन्देह यौनगत भावनाओं और व्यवहारों पर उस संस्कृति की गहरी छाप पड़ती हैं, जिसमें बालक का लालन-पालन होता है। भारतीय समाज का शिक्षित वर्ग भी इस विषय के प्रति अति संवेदनशील तथा संकुचित प्रवृत्ति वाला है।

समाज में सभी वर्ग के लोग इस विषय पर बात करने में हिचकिचाते है। जिसके कारण लोगों को यौन संबंधी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शिक्षकों और

अभिभावकों में यौन शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी रूचियाँ है। पूर्व में किये गये कई शोध अध्ययन के अनुसार शिक्षक अक्सर जैविक जानकारी देते है। वहीं माता-पिता नैतिक शिक्षा में अधिक रूचि रखते है। लेकिन छात्र जीवन कौशल आधारित यौन शिक्षा में अधिक अन्तदृष्टि प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार, इन हितों पर कार्य करने और सही प्रकार से शिक्षक को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

यौन शिक्षा के संदर्भ में कहा जाये तो विस्तृत वर्ग इस समस्या से ग्रसित है। उन्हें अभिभावकों में यौन शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी रूचियाँ है। पूर्व में किये गये कई मिलने से तनाव एवं यौन समस्याएँ और भी बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़ होता है।

किशोरास्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर बाल्यावस्था से अर्जित स्थिरता पुनः अस्थिरता में बदलने लगती है। यह जीवन की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण अवस्था होती है। किशोर विद्यार्थी समाज के भविष्य के निर्माता है। समाज के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में रहने के लिए वह समाज के प्रति प्रत्येक अंग के अनुकूल व्यवहार करता है। अपने प्रत्येक व्यवहार में व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न भावों, मानसिक विचारों एवं सामाजिक समझ को प्रदर्शित करता है। किशोर विद्यार्थी का यही व्यवहार उसके मूल्यांकन का अभिभावकों में यौन शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी रूचियाँ है। पूर्व में किये गये कई स्तरों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। इस रूप में वह अपने निश्चित विचार को प्रकट करने हेतु कोई निश्चित व्यवहार करता है। इसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है।

अभिवृत्ति एक मानसिक झुकाव है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार के मानसिक पहलू से संबंधित होता है। यह वृत्ति मानव के उस निर्णय की ओर इंगित करती है। जिसके माध्यम से वह किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है अथवा विचारों को अभिव्यक्त करता है।

अभिवृत्ति माता-पिता से प्राप्त होते हुए भी मित्र, पड़ोसी, समाज, विद्यालय, पत्र-पत्रिकाओं, मीडिया आदि से प्रभावित होती है एवं समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

थस्टन के अनुसार, ''अभिवृत्ति किसी एक मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक भाव की मात्रा व्यक्त करती है।''

अभिवृत्ति हमारे सामाजिक अनुभव एवं सामाजिक व्यवहार को बनाती है। अभिवृत्ति व्यक्ति की प्रेरणाओं, उद्देगों प्रत्यक्षीकरण एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का संगठन है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि व्यक्ति जीवनकाल में ही सीखता है। वह अपने जीवनकाल में तरह-तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है तथा इन अनुभूतियों के आधार पर वह अनुकूल या प्रतिकूल अभिवृत्ति में विकसित करता है क्योंकि अभिवृत्ति एक ऐसा मनोभाव है जो किसी विशेष घटना या विचार से होता है। सामाजिक कारक का प्रभाव अभिवृत्ति के निर्माण पर अत्यधिक पड़ता है। परिवार, विद्यालय, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरूदारे आदि ऐसी सामाजिक संस्थायें है जो व्यक्ति को सामाजिक शिक्षण प्रदान करती है।

किशोर बालक में परिवर्तन तीव्र गति से होने लगते है। जिस कारण उसका शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। माता-पिता एवं शिक्षक भी इस अवस्था में भयभीत रहते है। क्योंकि किशोर इस अवस्था में कई समस्यायें उत्पन्न करता है। शारीरिक अवयवों में वृद्धि के साथ-साथ रूचियों में भी परिवर्तन होने लगता है। जिस कारण उसकी रूचि विषमलिंगी सदस्यों व सामाजिक क्रियाओं आदि में बढ़ जाती है। इस अवस्था में चिन्ताओं का भी प्रभाव नजर आता है। जिसमें मुख्यतः सुन्दर दिखना, शादी के बारे में तथा भविष्य के व्यवसाय के बारे में इत्यादि प्रमुख है।

यौन शिक्षा के संदर्भ में कहा जाये तो किशोरों को उचित शारीरिक विकास एवं होने वाले बदलाव संबंधित पहलुओं पर जानकारी नहीं मिलने से तनाव एवं यौन समस्यायें और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर यौन शिक्षा के अभाव में शरीर में हुए परिवर्तनों को लेकर तनाव ग्रस्त रहते है। जिससे उसके मन मस्तिष्क में कई धारणाएँ बैठ जाती है। युवा कई मानसिक रोग, यौन व्यवहार, एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित हो रहे है। कई विद्यार्थी गलत संगत में फंस जाते है। अश्लील पुस्तकों, फिल्मों से जानकारी ढूंढते है। बहुत से किशोर पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण काम संबंधों के सोच विचारों में खोये रहते है। अपने आप को गलत आचरण करने को मजबूर करते है। मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते है।

किशोर वर्ग जो कि विश्व में 1/5 वाँ हिस्सा है, की आवश्यकताओं को अनदेखा करने देश के विकास की बात नहीं की जा सकती है। विद्यालयों में प्रारंभ से यौन शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिससे किशोर विद्यार्थी अपने जीवन के

प्रति जागरूक रहे। स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करें। विवाह पूर्व यौन संबंधों के दुष्प्रभावों की जानकारी प्राप्त करें। किशोरों में होने वाले शारीरिक, मानसिक व भावात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कर सके। यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करें।

1.2 यौन शिक्षा का अर्थ

यौन शिक्षा एक नया शैक्षिक आयाम है। यौन शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है - यौन व काम (सेक्स) संबंधी शिक्षा अथवा काम प्रवृत्ति संबंधी शिक्षा। काम प्रवृत्ति का तात्पर्य उस जन्मजात प्रवृत्ति व संवेगात्मक स्थिति से है जो व्यक्ति को विपरित लिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने तथा उसके साथ यौन संबंध करने के लिए उत्प्रेरित करती है।

मानव की प्रजनन व्यवस्था गर्भधारण और गर्भ-निरोध, यौन मनोविज्ञान और प्रेम के वे घटक जिनका संबंध यौन व्यवहारों और क्रियाओं से होता है। यौन शिक्षा कहलाती है। यौन शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य एवं विकास में आधिकाअधिक वृद्धि की जाये और वह यौन विकारों से ग्रस्त न हो। यौन शिक्षा व्यक्ति को उन बातों की जानकारी व आचरण सिखाता है। जिनका वह अभ्यस्त नहीं है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि - यौन शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें बालक को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की संतुष्टि व अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने तथा उचित विधियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशन व शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं वृद्धि करते हुए सुख एवं आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। यौन शिक्षा समाज के किशोरों को अधिक ज्ञान और समझदारी देकर यौन आवेगों को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होती है। यौन शिक्षा एक उपचारात्मक तरीका है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से यौन समस्याओं से बचाव करता है।

भारतीय संस्कृति में यौन-आनन्द को स्वाभाविक ढंग से स्वीकार किया गया है। जीवन के चार पुरुषार्थों - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य वात्सायन का काम सूत्र तथा खजुराहो के मंदिरों में उत्कीर्ण रतिक्रीड़ा में लिप्त मुद्रायें सम्भवतः यौन शिक्षा के उत्कृष्ठ उदाहरण हैं। वैदिक काल में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र तीनों का अध्ययन जीवन में समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता था। कामशास्त्र की शिक्षा क्या करें, क्या न करें, कैसे करें, कैसे न करें की दुविधा की स्थिति में अत्यन्त सहायक होती है। कामशास्त्र के अध्ययन से पुरुष और स्त्री के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित होता है तथा उसमें पवित्रता बनी रहती है। वस्तुतः संयमित ढंग से कामशास्त्र के अध्ययन का विधान वैदिक काल से था जिसमें कामजनित पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। उस समय कामशास्त्र का उद्देश्य स्त्री-पुरुष की अनर्गल, अनियन्त्रित, पाशविक प्रवृत्तियों

को नियंत्रित करके उन दोनों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में सहायता प्रदान करना है। वास्तव में भोजन की तरह यौन सम्बन्धों के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य और पशु में अन्तर इतना ही है कि पशु अपने भोजन और यौन की भूख मिटाते समय बदहवास होकर मर्यादाओं का अतिक्रमण कर लेता है जबकि मनुष्य आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। हिन्दू धर्म में यौन सम्बन्धों को विवाह जैसे पवित्र संस्कार से जोड़कर इन्हें मर्यादित बनाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है परन्तु पाश्चात्य संस्कृति के प्रेम ने यौन सम्बन्धों की पवित्रता का मर्यादा का क्षय किया है। आधुनिक समय में फ्रायड ने दमित कामेक्षा के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया था।

प्राचीन भारत में यौन शिक्षा औपचारिक नहीं थी कितु इसका चित्रण परोक्ष रूप से बहुत ही सुन्दरता के साथ इस प्रकार कर दिया जाता था कि इसमें अश्लीलता का लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता था। मध्यप्रदेश के खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा बनवायी गयी मूर्तियाँ कुछ इसी प्रकार की शिक्षा देती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में कभी काम को हेय नहीं समझा गया काम को दुर्गुण या दुर्भाव न मानकर चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में स्थान दिया गया है।

पाश्चात्य संस्कृति के समान काम या प्रेम के अधिष्ठाता को शैतान या राक्षस न मानकर देव (कामदेव) के रूप में आदर किया जाता है। गीता में धर्मानुकूल काम स्वीकार किया गया है - 'धर्मविरूद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ गीता में ही कृष्ण

ने स्वयं को 'संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव' स्वीकार किया है - 'प्रजनश्चास्मि कंदर्पः।'

कामसूत्र का अधिकांश भाग मनोविज्ञान से संबंधित है। यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व भी विचारकों को स्त्री और पुरुषों के मनोविज्ञान का इतना सूक्ष्म ज्ञान था। मनुष्य की आयु सौ वर्ष है। उसे जीवन के विभिन्न भागों में धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। ये त्रिवर्ग परस्पर संबंधित होने चाहिए तथा इनमें विरोध नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बचपन में विद्या ग्रहण करनी चाहिए। उसे यौवन में सांसारिक सुख तथा वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। अवस्था का निश्चय नहीं है। इसलिए मनुष्य त्रिवर्ग का सेवन इच्छानुसार भी कर सकता है पर जब तक विद्याग्रहण करें तब तक उसे ब्रह्मचर्य रखना चाहिए अर्थात् काम से बचना चाहिए। त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम में पहला श्रेष्ठ है अर्थात् काम की अपेक्षा अर्थ और अर्थ की अपेक्षा धर्म उत्तम है।

हमारे देश के प्राचीन वैदिक साहित्य में ज्ञान-विज्ञान से संबंधित कई बातें समाई हुई हैं। ज्ञान के हर पहलू का विवेचन किया गया है। यहाँ तक कि कामशास्त्र यानि यौन विषय का भी। स्त्री-पुरुष के रिश्ते की जिस सूक्ष्म लहर पर संवेदनाओं का अथाह सागर ठहरा हुआ है, उस काम का प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि-मुनियों ने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, उसी अध्य बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, उसी अध्ययन की रोशनी में जन्म हुआ है वात्स्यायन के कामसूत्र का। सृष्टि के आरम्भ से ही कामशास्त्र को अछूत या वर्जित नहीं माना जाता था। मानव के यौन जीवन के

दार्शनिक धरातल पर लिखा गया वात्स्यायन का कामसूत्र कामशास्त्र का आधार ग्रंथ माना जाता रहा है। हर पल रिश्तों की दुनिया में न जाने कितने ही सृजन होते हैं और कितने ही विध्वंस। हर सृजन पर जन्म होता है एक आधुनिक सेक्सोलाजी का और हर पल रिश्ते एक नई दिशा और दृष्टि से देखे परखे जाते हैं लेकिन परिवर्तन के इस आधुनिक और विकसित दौर में भी कामसूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

कामसूत्र के रचयिता मुनि वात्स्यायन (गुजरात) लाट प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कामसूत्र की रचना चैथी शताब्दी में 350 ई. से 369 ई. के बीच की थी। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि वल्लभी विश्वविद्यालय (गुजरात) में 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक कामसूत्र का अध्ययन कराया जाता था। कामसूत्र के महत्व को पाश्चात्य संस्कृति में भी स्वीकार किया गया और रिचर्ड बर्टन द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। काम पर लिखी ये पुस्तक प्रेम देवता के संदर्भ में काम की पवित्रता पर बल देती है। इसका विषय पवित्र और दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। इस काव्यबद्ध रचना दार्शनिक धरातल पर लिखा गया वात्स्यायन का कामसूत्र कामशास्त्र का आधार ग्रंथ अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में वात्स्यायन एक सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए धर्म, अर्थ और काम के उचित समन्वय पर बल देते हैं इसमें उन्होंने विभिन्न सामाजिक नियमों और आचरण संहिताओं का विशद वर्णन किया है।

स्वस्थ शारीरिक सम्बन्धों के बारे में जानकारी देना यौन शिक्षा है। कामेच्छा की विकृत और अतिरंचित झूठी तथा भ्रामक धारणाओं का निवारण करके प्राकृतिक शारीरिक सम्बन्धों तथा प्रजनन के क्रिया-कलापों की जानकारी देकर स्वस्थ परिवार

का निर्माण करना यौन शिक्षा कहलाता है। ऐसी औपचारिक शिक्षा जो यौन की गत्यात्मकता का देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सम्बन्धों का बोध कराये और परिवार के आकार को उसके जीवन पर पड़ने वाले निहितार्थ को स्पष्ट करें।

यौन शिक्षा से तात्पर्य केवल यौन क्रीड़ाओं तथा सम्बन्धों का ज्ञान करने से नहीं है, न ही यौन शिक्षा विवाह पूर्व या विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध, यौन स्वतंत्रता, काम-कला, यौन-तृप्ति, अप्राकृतिक यौन क्रियाओं अथवा उन्मुक्त यौन व्यवहार का पर्याय है वरन् यौन शिक्षा का सम्बन्ध यौन विकृतियों तथा यौन सम्बन्धी गलत, अपर्याप्त व भ्रामक जानकारी के निषेध से है। प्रायः मासिक धर्म, हस्तमैथुन, वीर्यक्षय, स्वप्नदोष आदि के बारे में भ्रामक जानकारी देकर डराया जाता है।

वस्तुतः किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों तथा यौन रोगों के होने के कारणों को समझाना अत्यन्त आवश्यक है। यौन शिक्षा इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। यौन शिक्षा का सम्बन्ध यौन क्रियाओं तथा उनके प्रभाव से है। यौन सम्बन्धी आशंकाओं तथा जिज्ञासाओं को जानकर यौन सम्बन्धों को सुरक्षात्मक बनाने के उपाय यौन शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। यौन-शिक्षा का तात्पर्य बालक को शरीर के यौन अंगों, यौनिक क्रियाओं, यौन सम्बन्धी भ्रांतियों, यौन विकृतियों, यौन रोगों आदि के बारे में जागरूक किया जाता है। 'यौन शिक्षा'' किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी देना, इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सोच को विकसित करना, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यौन संबंधी समस्याओं, यौन व्यवहार, यौन स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में भ्रांतियों का निराकरण करना इत्यादि कार्य करती है। इसमें मानवीय

संबंध, यौन पहचान, लिंग भूमिका, शारीरिक संरचना, यौवनारंभ, प्रजनन प्रक्रिया, मासिक धर्म संबंधी कौशल, गर्भ निरोधकों की जानकारी आदि शामिल है ।

- 'यौन शिक्षा' किशोर वर्ग के विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न पक्षों, विशेषकर प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य की वैज्ञानिक जानकारी देती है।
- स्त्री-पुरुष की उपस्थिति के मूलभूत जैविक तथ्य से उत्पन्न सैद्धान्तिक, व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं से सम्बन्धित शिक्षा को 'यौन शिक्षा' कहा जाता है।
- 'यौन शिक्षा' ऐसी शिक्षा है, जो यौन व्यवहार एवं यौन सम्बन्धों के विषय में विद्यालय में दी जाती है।
- 'यौन शिक्षा' का अर्थ है लोगों को यौन सम्बन्धी नैतिकता एवं यौन व्यवहार के सम्बन्ध में सही जानकारी देना व मार्गदर्शन करना।
- 'यौन शिक्षा' अपने सीमित उद्देश्यों के साथ युवा पीढ़ी को प्रजनन सम्बन्धी ज्ञान देने का कार्य करती थी, मगर पिछले कुछ वर्षों से इसका विस्तार हुआ है। अब इसमें व्यक्ति व समाज के जीवन के यौन सम्बन्धी समस्त पक्ष शामिल हो गये हैं। यह 'यौन कार्य' का ज्ञान है इसमें पुरुष व महिला के सम्बन्धों के संदर्भ में भावनाओं, चुनौतियों तथा जिम्मेदारियों की समझ विकसित की जाती है।
- 'यौन शिक्षा' केवल बालक कैसे जन्म लेता है' की ही चर्चा नहीं है, वरन् मानवीय यौन व्यवहार के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं

समाजशास्त्रीय पक्ष की भी चर्चा है, जो बालक को स्वस्थ व जिम्मेदार वयस्क बनाती है।

- 'यौन शिक्षा कार्यक्रम' की संरचना इतनी वृहत् तथा बहुआयामी होनी चाहिए कि वह व्यक्तित्व तथा अंतः वैयक्तिक सम्बन्धों के जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पक्ष की शिक्षा दे सके।
- 'यौन शिक्षा' का सम्बन्ध 'यौन व्यवहार' से है, जिसमें गर्भ निरोधक, परिवार नियोजन, यौन रोग एवं यौन सम्बन्धी भावात्मक तथा नैतिक दृष्टिकोण, समलैंगिकता आदि का ज्ञान सम्मिलित है। यह ज्ञान कुछ विद्यालयों में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा जीवविज्ञान से जोड़कर दिया जाता है।
- 'यौन शिक्षा' युवा पीढ़ी के विश्वासों और भावनाओं को समझने तथा इस सम्बन्ध में होने वाले शारीरिक, भावात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों से सामं जस्य बैठाने में सहायता प्रदान करती है।
- 'यौन शिक्षा' यौन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व वैयक्तिक रूप में सही व विश्वसनीय जानकारी देती है।
- 'यौन शिक्षा' में किशोरावस्था के परिवर्तनों एवं समस्याओं पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे किशोर पीढ़ी को अपने शारीरिक विकास की सही जानकारी हो सके, साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति के तहत

मान्य यौन व्यवहार की सीमाओं के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न की जा सके।

- 'यौन शिक्षा' वह शिक्षा है, जो विद्यार्थी को मानवीय प्रजनन तंत्र की बुनियादी जानकारी के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की यौन सम्बन्धी बीमारियों (जिसमें एड्स भी शामिल है) से बचाव के उपाय समझा सके। इसके साथ-साथ यह शिक्षा किशोर-किशोरियों को यौन सम्बन्धी मानवीय मूल्यों, नैतिकता तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है।

मुख्यतः यौन शिक्षा का अर्थ मनोवैज्ञानिक, जैविक तथा सामाजिक संदर्भों में लिया जा सकता है। इसका तात्पर्य मानव प्रजनन तंत्र की जानकारी के साथ-साथ किशोरावस्था में होने वाले विकास एवं परिवर्तनों, यौन संक्रमित रोगों तथा यौन व्यवहार के संदर्भ में भारतीय मान्यताओं एवं मूल्यों के अनुरूप दी जाने वाली शिक्षा से है, जिससे किशोर पीढ़ी में उत्तरदायित्वपूर्ण यौन व्यवहार एवं विषमलिंगी के प्रति सम्मान की भावना, विवाह संस्था के प्रति विश्वास आदि का विकास किया जा सके।

1.2.1 यौनशिक्षा से संबंधित तथ्य

वर्तमान में यौन शिक्षा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो अनेक प्रकार के उतार-चढ़ाव एवं संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत है-

- देश में 1921 में ''यौन सम्बन्धी स्वच्छता' के पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था जिसे शिक्षा बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। (शंकर उदय एवं लक्ष्मी 1978 सैक्स एजूकेशन)
- इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन, 1993 में पारिवारिक जीवन और यौन व्यवहार को महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना गया।
- भारत सरकार द्वारा सन् 2000 में ''सबके लिए स्वास्थ्य'' उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यौन स्वास्थ्य शिक्षा को जरूरी माना गया। क्योंकि यौनिकता मानव स्वास्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है। (1994 में भारत सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य)
- 1996 में गुजरात में हाई स्कूल के 547 विद्यार्थियों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि शहरी तथा ग्रामीण लड़के व लड़कियों में यौन शिक्षा कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है।
- विश्व स्वास्थ संगठन ने यौन शिक्षा को विनाशक प्रबंधन के तौर पर नहीं, बल्कि यौन स्वास्थ्य के प्रति जाग्रति लाने के उद्देश्य रूप में स्वीकारा।
- मुम्बई की 100 किशोरियों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि 80 प्रतिशत को गर्भ निरोधक उपायों की जानकरी नहीं थी।

- उत्तरी देशों डेनमार्क, फिनलैड, आइसलैंड, नार्वे तथा स्वीडन में यौन शिक्षा कार्यक्रमों के कारण गर्भधारण की दर न्यूनतम हुई । इन देशों में एसटी .डी. तथा एच.आई वी की दर भी कम हुई।
- यूनेस्कों के एड्स शिक्षा कार्यक्रम द्वारा दिल्ली में किशोर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने विद्यालय में यौन शिक्षा की आवश्यकता के पक्ष में विचार व्यक्त किए। (यूनेस्को 2000)
- स्वयंसेवी संगठन नारी रक्षा समिति में सुझाव दिया गया था कि यौन शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना बढ़ते बलात्कार के मामलों में रोक का कार्य कर सकता है।
- अधिकांश भारतीय माता-पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा प्रदान करने की भूमिका से पूर्णतया अनभिज्ञ थे तथा यौन शिक्षा भारतीय अभिभावको की प्राथमिकता में कहीं शामिल नहीं थी। (यौन परामर्शदाता- डॉ. जॉन अमित)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन हेतु तैयार की गई ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट की युवा व जनसामान्य जन इकाई द्वारा रिपोर्ट "युवाओं पर यौन शिक्षा के प्रभाव में कहा गया है कि पर्याप्त व प्रभावी जानकारी का अभाव अवांछित गर्भ और संक्रामक, यौन रोगों के अवांछित खतरों को कम करने का अवसर चूकने जैसा है।
- अमेरिका के स्वयंसेवी संगठन पाथ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करता है जिसका केन्द्र हाई स्कूल के विद्यार्थी ही नहीं विश्व भर के यौन

शिक्षक भी है। एक विद्यार्थी का मत था कि इसके बाद कहीं और से जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं।

- 2003 के आरम्भ में देश की स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस से कहा था कि एड्स कार्यक्रम को संयम और आपसी विश्वास पर अधिक केन्द्रित होना चाहिए।

1.2.2 यौन शिक्षा की आवश्यकता

विभिन्न अवस्थाओं और स्तरों पर यौन शिक्षा प्रदान करने पर बहुत समय से विवाद रहा है तथापि भारतीय समाज के रूढिवादी परिवेश में यह विषय निश्चित शैक्षिक अनुक्रिया प्राप्त करने में असफल रहा है। हमारे देश में विद्यालय और कॉलेजों में यौन शिक्षा न केवल अनुपस्थित है बल्कि मेडिकल संस्थाओं की पाठ्यचर्या में भी इस विषय की पूर्णतः अवहेलना की गई है। जहां तक यौन शिक्षा प्रदान करने की समुचित अवधि का संबंध है, इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का कोई नियम या निश्चित समय नही होता है। अनौपचारिक यौन शिक्षा किसी भी समय प्रारंभ की जा सकती है। जैसे-जैसे बालक बडा होता है उसे वैसे-वैसे आयु के अनुरूप ज्ञान प्रदान करना चाहिए।

जहां तक औपचारिक शिक्षा का प्रष्न है, यौन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ साधारण प्रयास किए गए हैं। शिक्षाविद् यौन शिक्षा को पाठ्यचर्या में प्रासंगिक विषय-वस्तु और उचित कार्यनीतियां सम्मिलित करने का सचेत प्रयास कर रहे हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुवर्ती के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रतिपादित प्रारंभिक और सैकेण्डरी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में कहा गया है कि पाठ्यचर्या आयोजक को

इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों में यौन शिक्षा और विपरित लिंग के प्रति अनुकूल प्रवृति पैदा करने के समुचित प्रावधान किए जाएं।

- **जनसंख्या वृद्धि रोकने एवं परिवार नियोजन हेतु -** क्योंकि इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध यौन सम्बन्धों पर निर्भर होता है। अतः यौन शिक्षा की प्रासंगिकता इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जरूरी हैं।
- **सामाजिक बुराई रोकने हेतु** - सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि अनेक किशोर यौनांगों की जानकारी के अभाव में अनेक अनैतिक व असामाजिक कार्यो में लिप्त हो जाते हैं। फलतः सामाजिक यौनाचारण तथा यौन सम्बन्ध प्रक्रिया से है। अतः यौनाचार के प्रति दुर्गुणों का विकास न होने देने के लिए यौन शिक्षा जरूरी है।

- **मानसिक तनाव को कम करने हेतु** - अनेक किशोर यौनांगों के विकास प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण अंग विकास प्रक्रिया को व्याधि समझ बैठते हैं। किशोरावस्था में अंग विकास प्रक्रिया से तनाव उत्पन्न हो जाते हैं इन तनावों को कम करने हेतु अन्य विषयों के साथ यौन शिक्षा देना भी जरूरी है।
- **आत्मसंयम वृद्धि हेतु -** इंन्द्रियों के नियंत्रण के अभाव में यौनेच्छा व यौनाचार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यौन शिक्षा के माध्यम से आत्म संयम की प्रवृत्ति विकसित होती है। अतः यौन शिक्षा देना आवश्यक है।
- **घातक रोगों के प्रति आगाह करने हेतु** - आज अनेक रोगों का सम्बन्ध यौनाचार होता है जैसे एच.आई.वी.एड्स आदि। अतः यौन शिक्षा जरूरी है।
- **विषम लिंगी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने हेतु -** किशोरों की कई समस्याओं की जड़ काम प्रवृत्ति होती हैं। इस कारण किशोर के संवेग, व्यवहार आदि में अस्थिरता रहती हैं। यौन शिक्षा द्वारा किशोरों में काम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। किशोरावस्था को यौन भावना का जागृति काल भी कहा जाता है।

1.2.3 यौन शिक्षा का महत्व

भारतवर्ष में यौन शब्द के साथ ही छिपाव जुड़ा हुआ है। 'यौन' शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप में होने पर विस्फोट की स्थिति आ जाती है। हममें से अधिकांश

व्यक्ति अपने प्रौढ़ों के समक्ष इस शब्द का प्रयोग करने से तथा इस सम्बन्ध में बात करने से कतराते है लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी अथवा ज्ञान हमारे देश के युवाजनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जिस तीव्र गति से हमारे देश में यौन सम्बन्धी अपराध निरन्तर प्रकाश में आ रहे हैं तो इन अपराधों की पीछे छिपे कारणों को जानना भी अत्यन्त आवश्यक है। यह न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तथा कानून एवं रक्षा विभाग बल्कि हम सभी को सचेत करने वाली परिस्थिति है।

विद्यालयी पाठ्यक्रम एवं विद्यालयी प्रणाली मे यौन शिक्षा को महत्व देने की अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय माता-पिता बच्चों के मस्तिष्क में उपज रहे यौन सम्बन्धी प्रश्नों एवं भ्रान्तियों का निराकरण करने में संकोच एवं शर्म की अनुभूति करते हैं तथा निरूत्साही प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जबकि यौन शिक्षा प्रदान करने में अभिभावकों की अहम् भूमिका होती है। यदि अभिभावक बच्चों को यौन सम्बन्धी सही जानकारी नहीं देगे तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चे प्रतिबन्धित एवं गलत साधनों द्वारा यौन सम्बन्धी अपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें जो उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। वर्तमान में इसका सर्वाधिक प्रचलित साधन एवं माध्यम 'इंटरनेट' है। आज का युवा वर्ग इन्टरनेट के माध्यम से यौन सम्बन्धी गलत सूचनाएँ ग्रहण कर रहा है जो असुरक्षित यौन क्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संघ' के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15-19 आयु वर्ग की लगभग 12% लड़कियाँ माँ बन जाती है, आखिर ऐसा क्यों ? इसका कारण है, यौन शिक्षा का अभाव। भारतीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत यौन शिक्षा की स्थिति अत्यन्त

दयनीय है। विभिन्न राजनैतिक सदस्यों के साथ संसदीय समिति ने वर्तमान में यह सुझाव दिया है कि स्कूल में यौन शिक्षा नही दी जानी चाहिए। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य पाठ्यक्रम से एच.आई.वी./एड्स तथा अन्य यौनिक क्रियाओं एवं यौन सम्बन्धी बीमारियों से सम्बन्धित शीर्षकों को हटा देना चाहिए। जहाँ भारतीय यौन शब्द के प्रयोग को ही विस्फोट मानते है वही 'आस्ट्रिया' में विश्व का प्रथम 'यौन/सेक्स विद्यालय खोला गया है जहाँ निर्धारित आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं को पर्याप्त यौन शिक्षा प्रदान की जाती है। 'यल्वा मारिया थाम्पसन' वह व्यक्ति थे जिन्होंने युवावर्ग को 'यौन शिक्षा' प्रदान करने हेतु विश्व का यह प्रथम 'अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय' स्थापित किया। यौन शिक्षा एक ऐसा कम खर्चीला कवच है, जो अनावश्यक मानसिक तनाव, दबाव, यौन प्रतिगमन, एकाकीपन, एड्स एवं अन्य यौन संक्रमित रोगों एवं यौन संबंधी व्यवहार के अवांछित परिणामों से बचाव कर सकता है। यौन शिक्षा का महत्व हमारे देश की स्वास्थ्य नीति 1966 से भी पुष्ट होता है। इस स्वास्थ्य नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य को बढावा देने वाली ऐसी शिक्षा दी जाए, जो उन्हें अनेक सामाजिक समस्याओं, जिनमें यौन समस्याएं भी शामिल हैं, से मुक्ति मिल सके। यौन शिक्षा आज समय की मांग है परन्तु भारत में अभी भी सामाजिक रूप से यौन शिक्षा के महत्व को समझा जाना बाकी है। माता-पिता व अध्यापक अक्सर विद्यार्थियों को यौन शिक्षा प्रदान करने से हिचकिचाते हैं।

1.2.4 यौनशिक्षा में परिवार की भूमिका

यौन शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व माता -पिता का है। बच्चे सर्वप्रथम अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों के रवैयों एवं व्यवहारों को देखकर काम भावना एवं नैतिकता के बारे में सीखते हैं। स्नेह और प्रेमपूर्ण संबंधों का महत्व प्रायः बच्चों के व्यावहारिक प्रतिरूपों को देखकर समझा जाता है। जो उनके भावात्मक और यौन विकास के विभिन्न चरणों में अभिव्यक्त होते हैं। चूँकि बाल्यावस्था के दौरान अधिकांश विकास अनुकरण द्वारा अर्जित किया जाता है, अतः माता-पिता को अपनी भूमिकाओं और बच्चों को सकारात्मक यौन शिक्षा प्रदान करने के प्रति सजग रहना महत्वपूर्ण है। यदि माता-पिता यौन शिक्षा पर बच्चों के साथ सामान्य रूप से बातचीत करते हैं तो वे बच्चों में स्वस्थ अभिभावक बालक संबंध को सवंर्धित कर पायेंगे। बच्चों को यौन संबंधित कहानी सुनानी चाहिए। उन्हें यौन संचारित रोगों, एड्स, किशोरावस्था में गर्भधारण, बलात्कार, अश्लील साहित्य एवं बाल उत्पीड़न से अवगत कराना चाहिए। लेकिन अभिभावकों को कालक्रमिक एवं मानसिक आयु के अनुरूप यौन शिक्षा की सरल ढंग से मूलभूत जानकारी देनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चों की जिज्ञासाओं को समझदारी से सुलझाना चाहिए। यौन शिक्षा महत्वपूर्ण है परन्तु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह शिक्षा बाल्यावस्था से प्रदान की जाए। क्योंकि किशोरावस्था से पूर्व ही उन्हें शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना आवश्यक है।

- माता-पिता को बच्चों के मन में यौन शिक्षा के संबंध में सकारात्मक रवैया पैदा करना चाहिए।

- घर में ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जो बच्चों के समग्र विकास में सहायक हो।
- बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली के प्रोत्साहन के लिए विद्यालय के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए।
- बच्चों को यौन शिक्षा के सकारात्मक पहलुओं के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर प्रदान करें।
- यौन शिक्षा संबंधी विषयों पर विद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों और मार्गदर्शन का पालन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

1.2.5 यौनशिक्षा में विद्यालय एवं अध्यापक की भूमिका

बहुत से लोग बच्चों को विद्यालय में यौन शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार यह उतरदायित्व स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले पेशेवरों का है। परन्तु विद्यालय में यौन शिक्षा दिया जाना बहुत आवश्यक है ताकि वे आगे आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो सकें। वैसे तो यौन शिक्षा प्रदान करना परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है लेकिन विद्यालय भी परिवार का ही एक रूप है। बारह वर्ष की आयु तक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक जो परिवार से सीखता है उसे आगे बढाना विद्यालय का दायित्व है। सचेत होकर नियोजित पाठ्यचर्या के माध्यम से यौन शिक्षा के विषय पर समुचित व पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विद्यालय की अद्वितीय भूमिका होती है। अधिकांश अभिभावकों को यौन शिक्षा किस प्रकार दी जाए इसकी जानकारी नही

होती है इसलिए विद्यालय ही यौन शिक्षा प्रदान करने का सही विकल्प है। विद्यालय एवं अध्यापकों के दायित्व इस प्रकार हैं-

- यह सुनिश्चित करना कि सकारात्मक यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय का वातावरण प्रेरक हो।
- अध्यापक यौन शिक्षा संबंधी शिक्षण सामग्री की विषयवस्तु और संचरण के तरीको को आत्मसात् करने योग्य हो।
- प्रेरक वातावरण में विद्यालय के बच्चों को यौन शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को शक्ति सम्पन्न करना।
- बच्चों के साथ अधिक से अधिक संपर्क बढाना ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधित आचरण का अवलोकन करके उन्हें सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया जा सके।
- विद्यार्थियों को सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना।
- विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढावा देने वाली संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।

1.2.6 यौनशिक्षा में जनसंचार माध्यम की भूमिका

जनसंचार माध्यम, विशेष रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, पर्चे, टेलीविजन और रेडियो ने संवेदनशील और स्वास्थ्य संबंधी मुद्धों पर लोगों को सूचना प्रदान करने और जागरूकता उत्पन्न करने में मदद की है। यदि हम सचेत होकर नियोजित यौन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना चाहते हैं तो हमें एक प्रमुख शिक्षा अभियान को तैयार

करने और उसे जारी रखने की जारूरत है। यौन शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

सूचना, शिक्षा और संचार वह प्रक्रिया है जो लोगों को स्वस्थ प्रचलनों और जीवन को अपनाने एवं उन्हें बनाए रखने के बारे में सूचित, प्रेरित तथा मदद करती है। और उन्हें संक्रमण व कुस्वास्थ्य अर्जित करने से रोकती है। चाहे विद्यालय हो या परिवार यौन शिक्षा पर समुचित एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक संचार विधि का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यहां निरक्षरता एवं अज्ञानता विद्यमान है। इसमें सूचना, सामग्रीयां, पोस्टर, पैम्फलैट, सार्वजनिक स्थानों पर उनको प्रदर्शित करना, लोगों को एकत्रित करके उनमें उन्हें वितरित करना और समुदाय आधरित मीडिया शामिल है। लिखित सामग्री के अतिरिक्त जो व्यक्ति पढ नही सकते उन्हें भी संचार के समुचित चैनल तैयार करके सूचना प्रदान करनी चाहिए। यौन शिक्षा एक व्यक्तिगत और संवेदनशील विषय है सूचना, शिक्षा एवं संचार के विभिन्न उपागमों का प्रयोग करके इसको प्राप्त करना ज्यादा आसान है। एक सुनिर्मित संचार पद्धति के जरिए लोगों को गलत धारणाओं और अज्ञानताओं को दूर करके लोगों को प्रभावशाली तरीके से यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

1.2.7 उच्च प्राथमिक स्तर पर यौनशिक्षा की स्थिति

आज दृष्य मीडिया जिस असंतुलित तरीके से विज्ञापन और अन्य कार्यक्रमों में यौन से संबंधित विषयों को दिखा रहा है, वह बच्चों तक भी पहुच रहा है तथा उनमें जिज्ञासा पैदा कर रहा है। बच्चें अन्य अनेक माध्यमों से अपनी जिज्ञासा को शान्त

करने का प्रयास करते हैं, गलत संगत में पहुचते हैं या फिर अश्लील साहित्य की ओर प्रवृत होते हैं। वहा से उन्हें आधी-अधूरी जानकारी प्राप्त होती है जो कि उनके लिए हानिकारक होती है।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने यौन शिक्षा को जो कि सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन का प्रमुख आधार है, उसे उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। बच्चों के समक्ष अनेक समस्याएं होती हैं वे शारीरिक परिवर्तनों के कारण असमंजस में होते हैं। ऐसे में अभिभावकों को, शिक्षकों को उनकी समस्याओं को समझ कर उनका समाधान करना चाहिए।

प्राणिशास्त्री रगल्स गेट्स ने कहा है कि स्कूल के प्रत्येक छात्र और छात्रा को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में वनस्पति और प्राणियों के स्वभाव, शरीर की बनावट और कार्यों के बारे में, साथ ही उनके परस्पर संबंधों और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें वंशानुक्रम के बारे में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक शरीर अपनी प्रजनन संबंधी विशेषताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्यौरों को उतराधिकार के रूप में ग्रहण करता है और फिर उन्हें उतराधिकारी को प्रदान कर देता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन शरीर एवं मन दोनों को ही प्रभावित करते है। अतः यह अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मानसिक स्तर पर किसी विशिष्ट समस्या से छूटकारा पाने के लिए सभी काल्पनिक परिस्थितियों के

संबंध में तार्किक रूप से सोचने लगता है। बालक अपनी पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों तथा सामाजिक दृष्टिकोण को भी समझने लगता है। आपसी सहयोग की भावना बढ़ने लगती है। बालक की रूचि में बार-बार परिवर्तन होता है तथा कभी-कभी वह उनमें विरोधाभास का अनुभव भी करने लगता है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण समय बालक की शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि का है। जो आवश्यकताओं, प्रवृत्ति, प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ-साथ बदलता है। शैशवकाल से किशोरावस्था का समय बहुत तेजी से होने वाले विकास और परिर्वतन का होता है। सीखने और विकास के प्रति पाठ्यचर्या का ऐसा रूख होना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक विकास के बीच अंतसंबंध को देख सकें।

यह वह समय होता है जब आत्मसात किये गये तमाम मानकों और विचारों पर सवाल खड़े होते है। दोस्तों के मत महत्वपूर्ण हो जाते है इस अवस्था में माता-पिता, शिक्षकों को सजग-सतर्क रहना होगा, उनसे मित्रता का व्यवहार कर भावात्मक सहारा देना होगा।

उनमें निहित असीमित ऊर्जा को सही दिशा देना, सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। तीव्र शारीरिक बदलावों का प्रभाव उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते है जो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोगों, यौन

दुव्र्यवहार, एड्स एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। यौन शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग मानव यौन व्यवहार, शरीर रचना, यौन प्रजनन संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। यौन शिक्षा प्रदान करने में माता-पिता मित्र मण्डली विद्यालयी पाठ्यक्रम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि प्रमुख साधन है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की वर्तमान स्थिति देखने के लिए इस स्तर की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कक्षा - 6 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में यौन शिक्षा से संबंधित कोई भी अध्याय सम्मिलित नहीं किया गया है।

कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ नामक एक अध्याय है। इस अध्याय में बालकों एवं बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन आवाज में परिवर्तन तथा एक ही आयु के बालकों में विभिन्नता के बारे में बताया गया है जो कि यौन शिक्षा का ही एक रूप है।

कक्षा - 8 की विज्ञान विषय में स्वास्थ्य, रोग एवं बचाव नामक एक अध्याय है। जिसमें विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों उसके कारण एवं बचाव के विषय में वर्णन किया गया है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की वास्तविक स्थिति के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में इस स्तर पर यौन शिक्षा से संबंधित अध्याय लगभग नगण्य है। पाठ्यक्रम निर्माता को चाहिए कि वे विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा विषयक जैसे

अध्यायों के द्वारा यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ पाठ्यक्रम में जोड़े। जिससे कि किशोर विद्यार्थियों को यौन जनित रागों से बचाया जा सकें।

कक्षा - 7 और कक्षा 8 में यौन शिक्षा से संबंधित अध्याय को कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा समझाया जाता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे बुरे स्पर्श के ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को समय-समय पर डॉक्टर, विशेषज्ञों, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा सेमीनार के माध्यम से यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से यौन शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है।

वर्तमान में बढते हुए यौन अपराधों एवं दुराचारों के कारण विद्यार्थियों को प्रारम्भ से अध्यायों के द्वारा यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ पाठ्यक्रम में जोड़े। जिससे कि विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है परन्तु आज प्राथमिक स्तर पर भी यह बहुत आवश्यक हो गयी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से यौन शिक्षा नहीं दी जा सकती है। परन्तु इस स्तर के बच्चों को सही या गलत स्पर्ष के बारे में समझाकर, विपरीत लिंग की उचित जानकारी प्रदान करके तथा प्रजनन क्रिया को समझा कर यौन शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यौन शिक्षा विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन के साथ दी जा सकती है। सामान्यतः यह शिक्षा पुष्पों, जानवरों, पशु-पक्षियों की यौन अवधारणाओं से प्रारम्भ की जा सकती है। तत्पश्चात् इसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों या शारीरिक अंगों के कार्यों इत्यादि से सहज रूप से जोडकर पढाया जा सकता है। अर्थात् उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में अन्य विषयों की शिक्षा के साथसाथ

जैसे-जैसे बच्चों का विकास होता है वैसे-वैसे उन्हें यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिसमें मानव जीवन के सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

1.3 समस्या का औचित्य

सांस्कृतिक, भाषाई, रीति-रिवाज तथा विश्वास की विभिन्नता वाले देश में यौन शिक्षा आरंभ करने का विचार चुनौतीपूर्ण है। हमारे देश में यह सन् 1970 के आरंभ में संज्ञान में आया, जब अनचाहे गर्भ, विषम विवाह, यौन व्यवहार एवं यौन संबंधी बिमारियां आदि समस्याओं को लेकर लोग चिकित्सालयों में जाने लगे। लोगों का जीवन व्यवहार तथा यौन व्यवहार तेजी से बदल रहा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कर्यक्रमों के साथ-साथ यौन संबंधी समस्याओं व चिंताओं पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है।

पिछली शताब्दी के नौवें दशक में एड्स महामारी की पहचान एवं इसके लाइलाज होने की बात पता चलने के बाद यह सिद्ध हुआ कि यौन शिक्षा ही इसका एकमात्र उपचार है। आज विश्व का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं मीडिया के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने विश्व के विभिन्न देशों को बहुत करीब ला दिया है। इससे हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन पर पश्चात्य देशों का प्रभाव पड रहा है। जिससे उनके यौन संबंधी मूल्यों में गिरावट आ रही है। समाज में यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। परिणामतः सांस्कृतिक प्रदूषण होने के साथ ही एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी फैल रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय मूल्यों को

पुर्नजीवित करने तथा समाज को विनाश से बचाने के लिए विद्यालयो में यौन शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

बालक के जीवन में यौन बोध प्रवृति अत्यधिक महत्व डालती है। अतः बालक के समुचित शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से उसे यौन संबंधी वांछित जानकारी उचित अवसर पर दिया जाना जरूरी है। जिसमें यौन शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है

उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में विद्यार्थी अन्य विषयों को गंभीरता से लेता है, किन्तु यौन शिक्षा से संबंधित जानकारी बहुत सारे स्रोतों से एकत्रित करना चाहते है, जिससे कई बार गलत जानकारी जुटा लेता है या अश्लील साहित्य के प्रति रूचि बढ़ जाती है। कई बार समाज में किशोर पाश्चात्य जगत में विद्यमान यौन आचरण के खुलेपन व उन्मुक्तता से प्रभावित रहते है। यौनगत आचरण के खुलेमन ने यौन शिक्षा के विचार को जन्म दिया।

अब यह महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, परिपक्व अवस्था में पहुँचने के पूर्व ही यौनाचार के आदी हो जाते हैं तथा उचित यौन शिक्षा के ज्ञान के अभाव में अनेक शारीरिक व मानसिक कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं। इनका मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यौन शिक्षा का उद्देश्य भारतीय जनमानस पटल पर उभरे जननांगों के सम्बन्ध में कथित दकियानूसी विचारों को समाप्त कर इन अंगों के प्रति सही जागरूकता लाना होता है। अतः वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की क्या स्थिति है तथा यौन

शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की क्या अभिवृति है इसको जानने के लिए शोधार्थी ने इस समस्या का चयन शोधकार्य करने का मानस बनाया क्योंकि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवनकाल में यौन आवश्यकता, प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य को समझना आवश्यक है।

1.4 शोध समस्या कथन

किसी भी अनुसंधान कार्य में समस्या कथन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। समस्या कथन शोध प्रबंध का उल्लेख मात्र नहीं है। यह एक सुस्पष्ट लक्ष्य केन्द्रित करने का प्रयास करता है। अतः शोधकर्ता द्वारा यौन शिक्षा का वर्तमान समय में आवश्यकता को देखते हुए निम्न समस्या का चयन किया है।

"उच्च प्राथमिक स्तर पर यौनशिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृति'

"Status of Sex Education at Upper Primary Level and Attitude of Students towards it"

1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्य

मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया अथवा गति के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही निहित होता है। उद्देश्य के निर्धारण के अभाव में प्रत्येक कार्य दिशाहीन होता है।

उद्देश्य पूर्व निर्धारित साधन होता है जो किसी कार्य का मार्गदर्शन करता है अर्थात् उद्देश्य को प्राप्य उद्देश्य भी कहा जाता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि उद्देश्य समीपवर्ती होते है और इनको सप्रयास अल्पावधि में प्राप्त किया जा सकता है। इनमें व्यापकता, विषयगतता नहीं होती है इसलिए इनका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। सभी उद्देश्य समाज के आदर्शों व कार्यों से संबंधित होते है। समाज संभव उद्देश्य नहीं होने पर उद्देश्य कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं क्योंकि समाज इन उद्देश्यों को स्थायी नहीं होने देते हैं। कोई भी शोध कार्य निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही प्रारम्भ किया जाता है क्योंकि उद्देश्यों के अभाव में कोई भी अध्ययन या कार्य सार्थक नहीं हो सकता है। उद्देश्यों का निर्धारण एक ऐसे पथ का निर्माण करता है जिस पर चलकर सम्पूर्ण शोध की प्रक्रिया संचालित एवं सम्पादित की जाती है। उद्देश्यों का निर्धारण भटकाव की स्थिति को रोकता है। शिक्षा भी एक सोदेश्य प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य समाज, राष्ट्र या राज्य के उद्देश्यों पर निर्भर होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है जो शिक्षा द्वारा व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। उद्देश्य की स्पष्टता शोधकर्ता के कार्य को स्पष्ट एवं सरल बना देती है। उद्देश्य किसी भी कार्य का वह अन्तिम बिंदु है जहाँ तक पहुँचने का सतत् प्रयास किया जाता है। अतः शोध अध्ययन में समस्या के उद्देश्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।

भाटिया एवं भाटिया के अनुसार "उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो यह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है ? और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं किनाने पर जा लगेगी।"

स्पष्टतः किसी भी शोध अध्ययन में इसके उद्धेश्य का समुचित स्पष्टीकरण करना अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य है क्योंकि उद्धेश्यहीन अनुसंधान एक अनिश्चित, विचारहीन तथा भटकाव की स्थिति का सूचक है। इसलिए शोधार्थी ने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा की स्थिति एवं अभिवृति का अध्ययन करने हेतु निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया है-

1.6 शोध अध्ययन के उद्देश्य

1 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा की स्थिति का कक्षावार अध्ययन करना।

2 उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

3 उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

4 उच्च प्राथमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

5 उच्च प्राथमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

6 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक, बालिकाओं की यौनशिक्षा के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.7 शोध परिकल्पनाएँ

1. यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है।

2. यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

3 यौनशिक्षा के प्रति षहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं हैं।

4 यौनशिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं हैं।

1.8 अध्ययन में प्रयुक्त पदों का परिभाषीकरण

तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना जरूरी होता है क्योंकि एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

1. **राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी -** जिनका शिक्षण कार्य सरकारी नीतियों एवं सरकारी अध्यापकों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

2. **निजी विद्यालयों के विद्यार्थी -** जिनका शिक्षण कार्य निजी संस्थाओं एवं निजी नियुक्त अध्यापकों द्वारा सम्पन्न होता है।

3. **किशोर -** शोध अध्ययन में किशोर से आशय 12 वर्ष से 14 वर्ष के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है।

4. **उच्च प्राथमिक स्तर** - प्रस्तुत शोध कार्य में उच्च प्राथमिक स्तर से तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा की कक्षा छः से कक्षा आठ तक से है।

5. **यौन शिक्षा** - यौन शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाधिक वृद्धि हो और वह यौन विकारों से ग्रस्त न हो। यौन विकृत्तियों से बचने एवं सेक्स के प्रति स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास करना ही यौन शिक्षा कहलाती है।

6. **अभिवृति** - अभिवृति किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। प्रस्तुत शोध में अभिवृति से तात्पर्य उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण से है।

1.9 शोध समस्या का सीमांकन

1 प्रस्तुत शोध कार्य को कोटा जिले तक सीमित रखा गया है।

2 शोध अध्ययन में केवल 12 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

3 शोध अध्ययन में कक्षा सातवी व आठवी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

4 शोध अध्ययन में कोटा क्षेत्र के निजी व सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है।

1.10 शोध प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की योजना

वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया के प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में शोध अध्ययन के प्रारूप का निर्णय किया जाता हैं। जो शोधकार्य की रूपरेखा पर निर्भर होता हैं कि इसके अन्तगर्त शोधकार्य के प्रमुख चरणों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता हैं। शोधकार्य को पांच अध्याय में प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रथम अध्याय-प्रथम अध्याय में शोध की प्रस्तावना, समस्या का औचित्य, समस्या कथन, शोध अध्ययन के उद्देश्य शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ, तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण एवं शोध प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया हैं।

द्वितीय अध्याय- द्वितीय अध्याय के अन्तगर्त संबंधित साहित्य की प्रस्तावना, अर्थ व परिभाषा, साहित्य के स्त्रोत, साहित्य अध्ययन के लाभ, शोधकार्य से संबंधित विदेशी एवं भारतीय अध्ययन को सम्मिलित किया गया हैं।

तृतीय अध्याय- तृतीय अध्याय के अन्तगर्त अध्ययन विधि की प्रस्तावना, अध्ययन में प्रयुक्त विधि, अध्ययन हेतु जनसंख्या, न्यादर्श, चर तथा शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण, सांख्यिकी विश्लेषण प्रक्रिया के प्रयोग को बताया गया हैं।

चतुर्थ अध्याय- चतुर्थ अध्याय में तथ्यों एवं प्रदत्तों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण व्याख्या को प्रस्तुत किया गया हैं।

पंचम अध्याय- पंचम अध्याय के अन्तगर्त शोध अध्ययन का सारांश बताया गया हैं तथा शोध के निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, भावी शोध हेतु सुझाव आदि का वर्णन किया गया।

1.11 उपसंहार

प्रस्तुत शोध प्रबंध के इस प्रथम अध्याय में इस सम्पूर्ण शोध की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय में शोधकर्त्ता ने समस्या की प्रस्तावना, समस्या का औचित्य, समस्या कथन, शोध के उद्देश्य, परिकल्पनाऐं, अध्ययन में प्रयुक्त परिभाषीकरण, शोध सीमांकन आदि सम्मिलित किया गया है। द्वितीय अध्याय में संबंधित साहित्य का उल्लेख किया जायेगा।

द्वितीय अध्याय

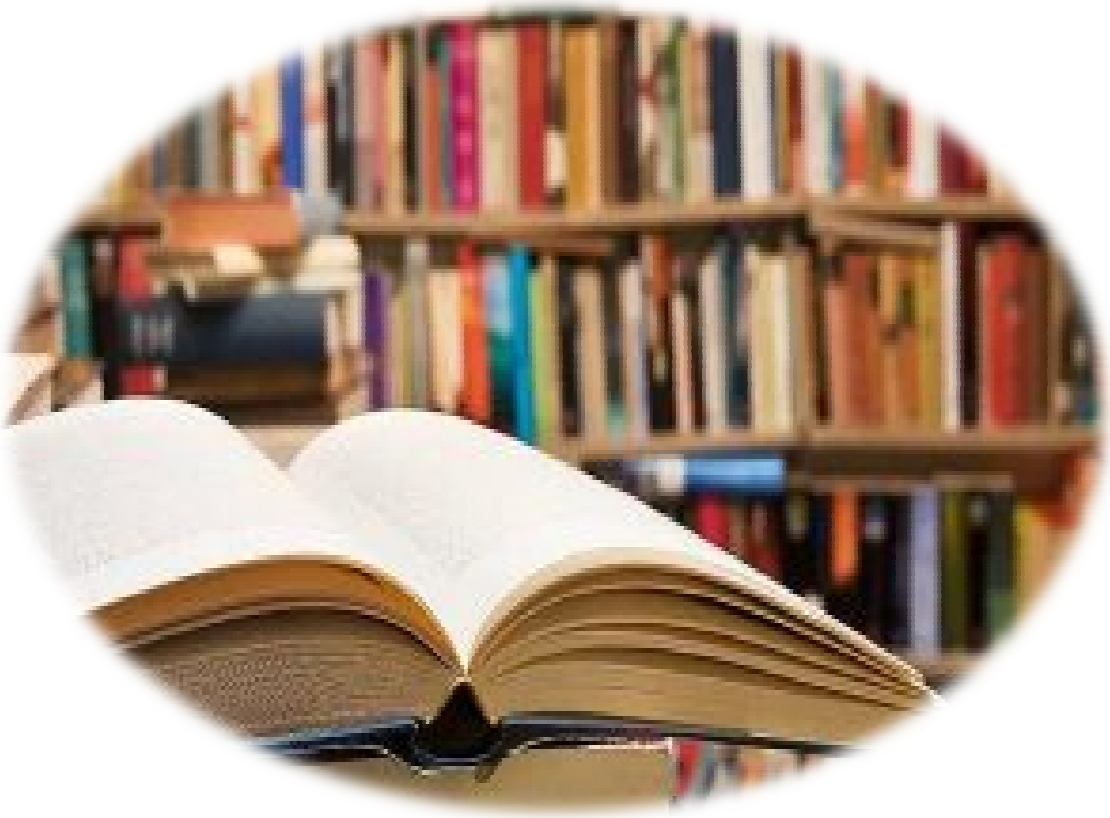

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

"मानव जाति ने जो सोचा समझा और पाया है वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में बंद है। उन पृष्ठों को खोलिए और संसार भर का ज्ञान प्राप्त करें।"

2.1 प्रस्तावना

संबंधित साहित्य के अध्ययन के अभाव में अनुसंधानकर्त्ता एक भी पग आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उसे पता न हो कि इस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है। किस विधि से कार्य किया गया है तथा उनके निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए है तब तक न तो वह समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य कर सकता है। इस धरा पर मात्र मानव ही ऐसा प्राणी है जो सदियों से एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानव ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं- एक ज्ञान को एकत्र करना, एक दूसरों तक पहुँचाना और अंतिम ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जो कि वास्तविकता के समीप आने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है। व्यावहारिक रूप में तो धन की भांति संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में मिल सकता है किन्तु अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये रूप में प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान के विस्तृत भंडार में इसका योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये

गये प्रयासों की सफलता को संभव बनाता है। व्यावहारिक आधार पर मानव संचित ज्ञान को प्राप्त कर, चिंतन कर, परिष्कृत कर अथवा पूर्ण या आंशिक परिवर्तन करके निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता रहता है। किसी भी विषय के विकास में विशेष स्थान के लिए शोधकर्ता को पूर्ण सिद्धान्तों से भली-भांति अवगत होना चाहिए। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा शोधकर्त्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से संबंधित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले हो चुका है अथवा नहीं।

डॉ. रमन के अनुसार, ''नियमानुसार कोई भी शोध का संबंधित लिखित विवरण तब तक उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है जब तक उस शोध से संबंधित साहित्य का आधार उस विवरण में न हो।''

अनुसंधान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो उसका लक्ष्य संबंधित क्षेत्र में अधिक से अधिक आगे प्रयासों की सफलता को संभव बनाना है। इसलिए प्रारंभ से सतत् संचित अविरल धारा प्रवाहित हुई है तथा सदियों से उसका एक क्रम निरंतर चला आ रहा है।

ज्ञान की यह प्रक्रिया अनन्त है जब तक मानव जीवन है उसकी ज्ञान की तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या हो, कैसा हो या होना चाहिए ? इन प्रश्नों से अनभिज्ञ मानव जीवन सदैव जिज्ञासा में रहता है। उसकी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति ने सदैव ही कल के ज्ञान को नवीन रूप प्रदान किया है।

गुड़ बार एण्ड स्कैट्स के अनुसार संबंधित साहित्य का औचित्य निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है-

1. यह तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए बिना आगामी अन्वेषण के ही उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समस्या का समाधान उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।

2. समस्या के व्यवस्थापन की दृष्टि से उपयोगी विचार, सिद्धान्त, व्याख्या अथवा उपकल्पनाएँ उपलब्ध करवाना।

3. समस्या के अनुकूल शोध प्रणाली प्रस्तावित करना।

4. परिणामों की व्याख्या करने की दृष्टि से उपयोग तथा तुलनात्मक दत्तों की खोज करना।

5. शोधकर्ता की सामान्य विद्वता में योगदान प्रदान करना।

2.2 संबंधित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा

प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान में चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य का पुनरावलोकन एक अनिवार्य और प्रारम्भिक कथन है। संबंधित साहित्य सर्वेक्षण से शोधार्थी यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से संबंधित विषयों में विचारणीय कार्य पहले हो चुका है अथवा

नहीं। किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधार्थी को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने हेतु व्यावहारिक ज्ञान के साथ शोध प्रारूप की प्रारंभिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं संशोधित साहित्य का पुनर्निरीक्षण करना होता है।

संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्रकार की पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित-अप्रकाशित लेख, शोध प्रबन्ध एवं अभिलेखों आदि से है। जिसके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को अपनी व्यवस्था के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। किसी भी शोध कार्य के अन्तर्गत संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण बहुत ही आवश्यक अंग होता है। इसका प्रयोग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाता है।

बेस्ट के अनुसार, "वास्तव में समस्त मानवीय ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है। अन्य जीवधारियों से भिन्न जो नई पीढ़ी के साथ पुनः नए सिरों से कार्य प्रारंभ करते है। मनुष्य अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। मनुष्य के ज्ञान में जीवजंतुओं में अप्रगतिशीलता एवं पुनरावृत्ति है।'

जॉन, डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, "व्यावहारिक रूप में ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान के प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये ज्ञान के रूप में प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान के विस्तृत भण्डार में

उसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा दिये गये प्रयासों की सफलता संभव बनाती है।

गुड़, बार तथा स्केट्स के अनुसार, एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्रों में हो रही औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्त्ता के लिए भी उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है।

चार्टर वी गुड ने संबंधित साहित्य के बारे में कहा है कि मुद्रित साहित्य के अपार भंडार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणी परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण अध्ययन की अवधि तथा विधि का चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है। वास्तव में रचनात्मक, मौलिकता तथा चिंतन के विकास हेतु विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन आवश्यक है।

डब्ल्यू आर बोर्ग ने संबंधित साहित्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य प्रभावहीन एवं महत्त्वहीन होने की संभावना है अथवा यह पुनरावृत्त भी हो सकता है।

2.3 संबंधित साहित्य का स्त्रोत

संबंधित साहित्य प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय सर्वाधिक उत्तम स्त्रोत है। पुस्तकालय के साथ-साथ अन्य साधनों से भी परिचित होना आवश्यक है जिससे संबंधित साहित्य की जानकारी प्राप्त की जा सके। पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी शोध विषय में विद्यमान सूचना के दो मुख्य स्त्रोत हो सकते हैः-

1. प्रत्यक्ष स्त्रोत 2. अप्रत्यक्ष स्त्रोत

1. प्रत्यक्ष स्त्रोत -

1. शोध प्रबंध

2. पत्रिकाओं में छपे लेख व सामग्री

3. विशिष्ट निबंध पुस्तिकाएँ

4. बुलेटिन

5. वार्षिक प्रकाशन

6. शासन द्वारा प्रकाशित नीतियाँ एवं प्रतिवेदन

2. अप्रत्यक्ष स्त्रोत -

1. विश्वज्ञान कोश

2. शिक्षा शब्दकोश

3. संचित पत्र

4. शिक्षा सार

5. पत्रिकाएँ

6. मनोआरेख बुलेटिन एवं वार्षिक पुस्तकें

7. कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं का स्त्रोत

2.4 संबंधित साहित्य के उद्देश्य

1. समस्या का स्पष्ट प्रतिरूप प्राप्त करना।

2. समस्या से संबंधित विभिन्न आयाम जिनका समावेश शोध में करना है उनका अध्ययन करना।

3. समस्या का व्यापक क्षेत्र ज्ञात करना।

4. शोध प्रबंध की विधि निर्धारण करने हेतु।

5. प्रविधि एवं उपकरण निर्मित करने एवं प्रयोग के लिए अनतर्दृष्टि का विकास करना।

6. समस्या से संबंधित विभिन्न चरणों का निर्धारण करने के लिए।

7. समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायक।

2.5 संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लाभ

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।

2. शोध प्रबन्ध ने एक महत्पूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्त्ता के ज्ञान, उसकी स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है।

3. सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों में अनुसंधान कार्य का आधार होता है। इसके अभाव में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते।

4. अब तक उस क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है।

5. पहले किये गये कार्य के आँकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते है।

6. यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होता है।

7. यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है।

8. अनुसंधानकर्त्ता के समय की बचत करता है।

9. समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।

10. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।

11. अनुसंधानकर्त्ता को त्रुटियों से बचाता एवं सावधान रखता है।

12. अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा अनुसंधान्कर्त्ता में आत्म-विश्वास उत्पन्न करता है।

2.6 भारत में हुए शोध से सम्बन्धित अध्ययन

1 कुमारी, निक्की. (2020) ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति मनोवृति का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति मनोवृति का पता लगाना था। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 153 शिक्षकों का चयन किया गया। आंकडों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का यौन शिक्षा के प्रति लिंग तथा विद्यालय के प्रकार के आधार पर मनोवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2 भारिल्य, रोशनी. (2018) ने यौन शिक्षा के प्रति सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन लिंग एवं विद्यालय के प्रकार के संदर्भ में करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस शोध कार्य में 200 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए प्रो. रवीन्द्र वी. पाटिल सहा द्वारा निर्मित "यौन शिक्षा, मनोवृति मापनी" का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी-परीक्षण का

प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुरूष एवं महिला शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3 भूटिया, योदिदा. (2018) ने एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन अमंग टीचर्स एण्ड क्लास 12 स्टूडेन्ट ऑफ़ सीनियर सैकण्डरी स्कूल ऑफ़ तूरा पर शोध किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति कक्षा-12 के विद्यार्थियों की अभिवृति का संकाय के आधार पर अध्ययन करना तथा शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का लिंग के आधार पर अध्ययन करना था। न्यादर्श के रूप में 60 शिक्षकों एवं 150 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्र्स सेक्स एजूकेशन" प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया तथा यौन शिक्षा के प्रति कला एवं वाणिज्य संकाय के कक्षा-12 के विद्यार्थियों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

4 दुबे, रवीन्द्र कुमार. (2018) ने किशोरावस्था में यौन शिक्षा की आवश्यकता : एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर लेख लिखा। इन्होंने अपने लेख में यह बताया है कि किशोरों को दी जाने वाली यौन शिक्षा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इसके

माध्यम से किशोरों का सही मार्गदर्शन करके उनकी क्षमताओ एवं शक्तियों का, समाज और राष्ट्रिय हित में उपयोग किया जा सकता है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि किशोर सही शिक्षा प्राप्त कर सके तथा अभिभावकों को भी अपने बच्चों को सही समय पर यौन शिक्षा देनी चाहिए।

5 झा, अनुरिता (2017) ने उच्च माध्यमिक स्तर पर किशोर विद्यार्थियों में यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता व अभिवृत्ति समीक्षात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के लिए 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया। स्वनिर्मित उपकरण के द्वारा आंकडों का संकलन किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोर विद्यार्थियों की भिन्न परिवेश स्थित विद्यालयों के संदर्भ में 'यौन शिक्षा के आयामों पर जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोर विद्यार्थियों की लिंगभेद के संदर्भ में यौन शिक्षाआयामों के पदों पर अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

6 कुमार, वी. सुब्बुराज मनोज. और शशिकला (2017) ने एटीट्यूड ऑफ़ स्कूल टीचर्स टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन इन श्रीरंगम तालुका त्रिची डिस्ट्रिक्ट विषय पर

शोध किया। इस शोध का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 50 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया। प्रदतों के सांख्यिकी विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण एवं अनोवा परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है तथा अधिकांश शिक्षकों की अभिवृति यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक पायी गयी।

7 सिंह, डॉ. इन्दिरा. (2017) ने यौन शिक्षा के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृति का शिक्षा (हाई स्कूल, स्नातक एवं परास्नातक) के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए मेरठ जनपद के 240 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। उपकरण के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" का प्रयोग किया। इस शोध में सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं काई स्क्वायर के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा के प्रति पुरूष

एवं महिला अभिभावकों की शिक्षा (हाईस्कूल, स्नातक एवं परास्नातक) के आधार पर अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं था।

8 जोशी, ममता (2016) ने स्टडी ऑफ़ एटीट्यूड ऑफ़ एडोलेसेन्स टुवड्स सेक्स एजूकेशन इन हीली डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ उतराखण्ड पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति किशोर विद्यार्थियों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 372 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि किशोर छात्र एवं छात्राएं यौन शिक्षा पर बात करना चाहते हैं तथा किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर अंतर पाया जाता है।

9 गुप्ता, मिनाक्षी (2016) ने कक्षा 11 के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य कक्षा 11 के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का लिंग, क्षेत्रीयता एवं संकाय के आधार पर अध्ययन करना था। इस शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। यादर्श के रूप में 220 विद्यार्थियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" प्रयोग

किया गया। आंकडों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग एवं संकाय के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में क्षेत्रीयता के आधार पर अंतर पाया गया।

10 कुमार, प्रवीन. और मितल, अर्चना. (2015) ने ए स्टडी ऑफ़ द एटीट्यूड टुवड्स सेक्स एजुकेशन ऑफ़ कॉलेज गोइंग स्टुडेन्ट्स इन रिलेषन टु दिअर होमएन्वायरमेन्ट पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 300 कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। उपकरण के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" तथा डॉ. के. एस. मिश्रा द्वारा निर्मित "होम एन्वायरमेन्ट इन्वेन्टरी" का प्रयोग किया। आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति उच्च पायी गयी तथा पारिवारिक वातावरण एवं उसके विभिन्न आयामों का विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति पर प्रभाव पडता है।

11 नागपाल, आरती एन. (2015) ने एटीट्यूड ऑफ़ पेरेन्ट्स टुवड्स सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य किशोर बालकों के

अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति जानना था। इस शोध कार्य में विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए हैदराबाद के किशोर बालाकों के 60 अभिभावकों का चयन किया गया। न्यादर्श का चयन उद्धेष्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। उपकरण के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" प्रयोग किया गया। आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रतिशत और टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह पाया कि किशोर बालाकों के अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक एवं उच्च थी। किशोर बालकों के अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में अंतर नहीं पाया गया।

12 रेड्डी ए. वी. (2015) ने एटीट्यूड ऑफ़ टीचर्स टुवड्स इन्ट्रोडक्षन ऑफ़ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य विद्यालय में शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में आंध्र प्रदेश के 240 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का चयन किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावलीका निर्माण किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि विद्यालय में शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक पायी गयी। महिला शिक्षकों की तुलना में पुरूष शिक्षकों की अभिवृति अधिक सकारात्मक पायी गयी।

13 शर्मा, डॉ. दिनेश कुमार. (2015) ने किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों की यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन एवं शिक्षा की भूमिका का

अध्ययन करना था। इस शोध का उद्देश्य किशोर एवं किशोरियों को यौन शिक्षा के प्रति जागृत करना एवं यौन शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करना था। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा के द्वारा ही किशोर एवं किशोरियों को भावी जीवन में काम आने वाले व्यवहार, कार्य एवं स्वस्थ यौन जानकारी प्रदान की जा सकती है। सही समय पर सही यौन शिक्षा देना अति आवश्यक है।

14 गोयल, एस. (2014) ने एटीट्यूड ऑफ़ फीमेल स्कूल टीचर्स टुवड्स टीचिंग ऑफ़ सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर की महिला शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा 200 महिला शिक्षकों का चयन पंजाब राज्य से किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि विवाहित एवं अविवाहित महिला शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में षहरी क्षेत्र की महिला शिक्षकों की अभिवृति अधिक सकारात्मक पायी गयी।

15 शाह, पी. एस. (2014) ने परसेप्शन ऑफ़ स्कूल टीचर्स अबाउट सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आकंडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ

कि अधिकांशत: शिक्षकों ने यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया तथा विद्यालय में यौन शिक्षा को आवश्यक माना है।

16 शर्मा, अंकित (2014) ने माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की अभिवृति एवं जागरूकता का अध्ययन पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की अभिवृति का अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए मध्यप्रदेश के 240 अभिभावकों एवं 200 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। उपकरण के लिए डॉ. ऊषा मिश्रा द्वारा निर्मित "एटीट्यूड स्केल टुवड्स सेक्स एजूकेशन" का प्रयोग किया। इस शोध में सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी-परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृति में सार्थक अंतर था जबकि विद्यार्थियों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

17 वेंकटलक्ष्मी और नव्या (2013) ने एटीट्यूड ऑफ़ पेरेन्ट्स ऑफ़ माइल्ड एण्ड मोडरेट इंटेलेक्चुअली चैलेन्ज्ड चिल्ड्रन टुवड्स इंपार्टिंग सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य अक्षम विद्यार्थियों के माता-पिता की यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 600 अभिभावकों का चयन उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया

गया। आंकडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अक्षम विद्यार्थियों के माता-पिता की यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक पायी गयी।

18 चैहान, प्रशांत के. (2012) ने ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ हायर सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स टुवड्स सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का लिंग, क्षेत्रीयता, संकाय एवं व्यावसायिक अनुभव के आधार पर अध्ययन करना था। न्यादर्श के लिए 70 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृतिमापनी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया जबकि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में क्षेत्रीयता, संकाय एवं व्यावसायिक अनुभव के आधार पर अंतर नहीं पाया गया।

19 तूर, कमलप्रीत कौर. (2012) ने ए स्टडी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, पेरेन्ट्स एण्ड एडोलेसेन्ट्स टुवड्स सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य शिक्षकों, अभिभावकों और किशोरों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का जननांकीय चरों के आधार पर अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन के लिए लुधियाना के 50 शिक्षक, 50 अभिभावक एवं 100 किशोरों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का

प्रयोग किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक थी तथा अभिभावकों का यह मानना था कि यौन शिक्षा बच्चों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षकों, अभिभावकों और किशोरों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

20 वशिष्ठ, के. सी. (2012) ने एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन एज पर्सिव्ड बाय पेरेन्ट्स एण्ड टीचर्स पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए आगरा षहर के दो विद्यालयों का चयन उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि शिक्षक विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देने के पक्ष में थे तथा उनकी यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक पायी गयी।

21 यादव, सुनिता (2012) ने माध्यमिक स्तर के छात्रों को यौन शिक्षा देने के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के छात्रों को यौन शिक्षा देने के प्रतिशिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन लिंग एवं क्षेत्रीयता के आधार पर करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 300 अभिभावकों एवं 600 शिक्षकों का

चयन किया गया। आंकडों के संकलन के लिए प्रो. रवीन्द्र वी. पाटिल द्वारा निर्मित यौन शिक्षा अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। आंकडों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाप विचलन और टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि माध्यमिक स्तर के छात्रों को यौन शिक्षा देने के प्रति अभिभावकों की अभिवृति सकारात्मक पायी गयी तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को यौन शिक्षा देने के प्रति पुरूष शिक्षकों की अभिवृति सकारात्मक पायी गयी जबकि महिला शिक्षकों की अभिवृति नकारात्मक पायी गयी।

22 राजश्री. (2011) ने ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड टुवड्स सेक्स एजुकेशन एज पर्सिव्ड बाय पेरेन्ट्स पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य शिक्षकों एवं अभिभवकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति को जानना था। न्यादर्श के लिए आगरा षहर के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को लिया गया। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी-परीक्षण एवं सहसंबंध का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि शिक्षकों की तुलना में अभिभवकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति उच्च पायी गयी तथा अभिभावक विद्यालय में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के पक्ष में थे।

23 अनन्दिता, ए (2010) ने एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन अमंग एडोसेन्ट्स इन देहली पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं जागरूकता का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रदतों का संकलन स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता में सकारात्मक संबंध पाया गया।

24 अरोड़ा (2010) ने अपने अध्ययन 'विद्यालयों में यौन शिक्षा' में पाया कि अभिभावक वर्ग का बहुसंख्यक यह स्वीकार करता है कि उनके किशोरवय में बालक-बालिकाओं के विकास व वृद्धि के सम्बन्ध 85 में कुछ समस्याएँ होती हैं, जिनके बारे में विद्यालय की ओर से मार्गदर्शन व सहायता की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ अभिभावकों का यह भी मानना है कि इस विकास व वृद्धि की प्रक्रिया में यौन सम्बन्धी विकास अधिक समस्यायें उत्पन्न करता है। अभिभावकों ने ठोस तर्क दते हुए यह बात कही है कि उनके किशोर वय बालक-बालिकाओं को यौन सम्बन्धी समस्याओं के संदर्भ में विद्यालय की ओर से वैज्ञानिक मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अधिकांश अभिभावकों का कहना है कि वे अपने किशोरवय बालक-बालिका द्वारा पूछे गए यौन सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त किन्तु वैज्ञानिक ढंग से देने का प्रयास करते हैं।

25 बुद्ध, राजेन्द्र (2009) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक

स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति के स्तर को ज्ञात करना एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का क्षेत्रीयता एवं लिंग के आधार पर अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 600 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण के माध्यम से आंकडों का संकलन किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण और षहरी विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर भी अंतर पाया गया।

26 चैहान, जितेन्द्र (2009) ने उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति के स्तर को ज्ञात करना मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा की आवश्यकता एवं अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। 150 अभिभावक एवं 150 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। उपकरण के लिए स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत एवं टी-परीक्षण के आधार पर किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा को आवश्यक माना तथा

अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

27 सिंह, रमेश कुमार (2009-10) ने माध्यमिक स्तर के छात्रों का यौन-शिक्षा देन के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों के अभिवृत्तियों का अध्ययन पर शोध किया। अपने अध्ययन में पाया कि यौन-शिक्षा के द्वारा किशोरों के यौन सम्बन्धी संकीर्ण विचारधारा को विस्तार प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 88 प्रतिशत शिक्षक-अभिभावक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यौन-शिक्षा पाश्चात्य दर्शन तथा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इस विचार को शत प्रतिशत शिक्षकों-अभिभावकों ने अस्वीकार किया जबकि शत-प्रतिशत शिक्षक अभिभावक इस विचार से सहमत थे कि माध्यमिक स्तर पर यौन-शिक्षा भारतीय दर्शन तथा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। हमार देश में माध्यमिक स्तर पर यौन-शिक्षा लागू करने की बात व्यावहारिक है इस कथन को 80 प्रतिशत शिक्षक-अभिभावकों ने पूर्ण सहमति दी जबकि 73 प्रतिशत शिक्षकों-अभिभावकों ने स्वीकार किया कि हमारे देश में माध्यमिक स्तर पर यौन-शिक्षा को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

28 पंकज (2008) ने यौन शिक्षा के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृतियों का अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृतियों का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन के दौरान उन्हें यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा के द्वाराकिशोरों के यौन संबंधी संकीर्ण विचारधारा कों विस्तार प्रदान

किया जा सकता है। इस संबंध में 88 प्रतिशत शिक्षक अभिभावक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। 73 प्रतिशत शिक्षकों एवं अभिभावकों ने स्वीकार किया कि वर्तमान समय में यौन शिक्षा को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

29 माधवी, आर. एल. (2006) ने ए स्टडी ऑफ ओपिनियन ऑफ स्टुडेन्ट टीचर्स एण्ड टीचर एजुकेटर्स ऑन दीअर ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इम्पार्ट एच आई वी / एड्स एजुकेशन विषय पर शोधकार्य किया। इस शोध का उद्देश्य विद्यालय में एच आई वी / एड्स शिक्षा के प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रति छात्राध्यापक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के विचारों का अध्ययन करना था। महाराजा सियाजीराव, बड़ौदा विश्वविद्यालय के सत्र 2006-2007 के बीएड. व एम.एड. के विद्यार्थियों का चयन शोधकार्य हेतु न्यादर्श के रूप में किया गया है। इस शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। स्वनिर्मित उपकरण द्वारा दत्त संकलन किया गया जिसमें प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों के विचार प्राप्त किए गए। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों का मानना है कि इस शिक्षा को देने हेतु अध्यापकों की विशेष भूमिका है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों के अधिक करीब होता है। छात्राध्यापक भावी अध्यापक हैं। अतः प्री-सर्विस शिक्षण द्वारा इस बीमारी तथा इसके शिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी देना अति आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर इस विषय हेतु निम्न विषयों को सम्मिलित करना चाहिए।

30 महाजन, पायल. एवं शर्मा, नीरू. (2005) ने पेरेन्ट्स एटीट्यूड टुवड्स इम्पार्टिंग सेक्स एजुकेशन टु दीअर एडोलेसेन्ट गिर्ल्स पर शोध किया। इस

शोध का उद्देश्य अभिभावकों की किशोर छात्राओं को यौन शिक्षा प्रदान करने के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए जम्मू-कश्मीर के 200 अभिभावकों (100 ग्रामीण एवं 100 शहरी) का चयन किया गया। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। प्रदतों का संकलन करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार मापनी का प्रयोग किया। प्राप्त प्रदतों का विश्लेषण प्रतिशत के द्वारा किया गया। शोध निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि किशोर छात्राओं की माताएं उन्हें यौन शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थी तथा माताएं अपनी बेटियों से यौन शिक्षा के संबंध में बात नहीं करना चाहती हैं।

31 भान, निरंजीनी भट्ट (2004) ने अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स नोलेज अमंग एडोलेसेन्ट गल्स पर शोध किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य किशोर छात्राओं की यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 75 किशोर छात्राओं का उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि छात्राओं में यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी थी। कुछ छात्राएं यौन शिक्षा के विषय में जानती हैं परन्तु इस विषय में चर्चा करने में शर्म महसूस करती हैं।

32 कपूर, अर्चना (2004) ने मध्यम आयवर्गीय शिक्षित व अशिक्षित माताओं का यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु आगरा शहर के दयालबाग क्षेत्र से कुल 50 माताओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। इसमें से 25 माताएँ शिक्षित व 25 अशिक्षित थीं। माताओं का यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जानने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न हैं जो कि यौन शिक्षा की आवश्यकता, यौन शिक्षा प्रदान करने में माताओं का योगदान, यौन शिक्षा कब प्रदान की जाए तथा उसमें क्या-क्या विषय सम्मिलित किए जाए आदि विषयों से सम्बन्धित प्रश्न हैं। प्रदत्त गणना हेतु प्रतिशत व काई वर्ग मान का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि मध्य आय वर्ग की शिक्षित माताएँ व अशिक्षित माताएँ समाज में यौन अपराध रोकने, बालकों के व्यक्तित्व विकास, नैतिक मूल्यों के विकास हेतु यौन शिक्षा देना आवश्यक मानती हैं। दोनों माताओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर पाया गया। शिक्षा के अभाव के कारण अशिक्षित माताओं की अपेक्षाकृत शिक्षित माताएँ यौन शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। 84 प्रतिशत शिक्षित व 54 प्रतिशत अशिक्षित माताएँ बाल्यावस्था से ही बालकों को यौन शिक्षा प्रदान करना उचित मानती हैं।

33 चितोरा, बबीता (2003) ने ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ साइको सेक्सुअल हेल्थ ऑफ मेरिड वुमन ऑफ बिजनस एण्ड नॉन बिजनस फैमेली शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य व्यवसाय वर्ग के परिवार व अव्यवसायिक परिवार की विवाहित महिलाओं का मनोवैज्ञानिक यौन स्वास्थ्य की तुलना करना। संयुक्त व एकल व्यावसायिक परिवारों की विवाहित महिलाओं के मनोवैज्ञानिक यौन

स्वास्थ्य की तुलना करना। शोध परिणाम में यह ज्ञान हुआ कि व्यवसाय व पारिवारिक प्रकार का महिलाओं व मनोवैज्ञानिक यौन स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यावसायिक व अव्यावसायिक परिवार तथा संयुक्त व एकल परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य में सामान्य रूप से कोई अन्तर नहीं पाया गया। महिलाओं में शारीरिक, मानसिक व यौन स्वास्थ्य की समस्या सामान्यतः सभी पक्षों में समान पाई गई ।

34 डोना, लालन्यूनफेली (2019) ने एटीट्यूड ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स टुवड्स सेक्स एजुकेशन इन मिजोरम पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का लिंग एवं क्षेत्रीयता के आधार पर अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श के लिए 400 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों (200 महिला एवं 200 पुरूष) का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक पायी गयी। पुरूष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षकों की अभिवृति अधिक सकारात्मक पायी गयी।

2.7 विदेशों में हुए शोध से संबंधित अध्ययन

35 आचार्य, देव आर (2019) ने पेरेन्ट्स एण्ड टीचर्स पर्सप्रेक्टिव आन चिन्ड्रन्स सेक्सुअल हेल्थ एजूकेशनः ए क्वालिटेटिव स्टडी इन मेकवानपुर नेपाल पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देने के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण को जानना था। इस शोध कार्य की मात्रात्मक प्रकृति थी। न्यादर्श के लिए 8 शिक्षकों और 6 अभिभावकों का चयन किया गया। प्रदतों को एकत्र करने के लिए साक्षात्कार का प्रयोग किया गया। प्रदतों का विश्लेषण शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा देने के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण सकारात्मक था तथा वे विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देने के पक्ष में थे।

36 आदिया, एस (2018) ने द स्टेट ऑफ एडोलेसेन्ट स्टुडेन्ट एटीट्यूड टुवड्स सेक्स/सेक्सुअलिटि एजुकेशन इन टुडेज कन्टेम्परी सोसाइटी पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा 1981 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के लिए किया गया। आकंडों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया। शोध निष्कर्ष में यह ज्ञात हुआ कि किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृति पायी गयी तथा किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर अंतर नहीं पाया जाता है।

37 ओनायस, एना (2018) ने टीचर्स एटीट्यूड टुवड्स टीचिंग ऑफ सेक्सुएलिटी एजुकेशन इन फेडरल गवर्मेन्ट कोलेज इन नाइजीरिया- इम्प्लीकेशन फॉर काउन्सलिंग पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य नाइजीरिया में कॉलेज शिक्षकों की यौन शिक्षाशिक्षण के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 580 शिक्षकों का चयन किया गया। प्रमापीकृत उपकरण के माध्यम से प्रदतों का संकलन किया गया। प्रदतों के विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि शिक्षकों की यौन शिक्षा शिक्षण के प्रति अभिवृति में लिंग के आधार पर अंतर नही पाया गया जबकि शिक्षण अनुभव के आधार पर अंतर पाया गया।

38 मोहम्मद, मुस्तफा (2018) ने परसेप्शन ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड टीचर्स टुवड्स इन्ट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स इन बाउची स्टेट, नाइजीरिया पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा शुरूकरने के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि के द्वारा 300 अभिभावकों एवं 300 शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। आंकडों का संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत के माध्यम से किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश अभिभावक एवं शिक्षकों ने सामाजिक-

सांस्कृतिक मान्यताओं एवं धार्मिक हठधर्मिता के कारण यौन शिक्षा को अनुचित एवं अस्वीकार्य माना।

39 ओमाले, अमेह. (2015) ने ए सर्वे ऑफ द परसेप्शन ऑफ स्टूडेन्ट ऑन द स्टडी ऑफ सेक्स एजूकेशन इन सेकेण्डरी स्कूल सोशियल स्टडीज इन डेकिना लोकल गवर्मेन्ट एरिया ऑफ कोगी स्टेट पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के सामाजिक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को जानना था। इस शोध कार्य में 497 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों का संकलन करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। प्रदतों का विश्लेषण मध्यमान, प्रतिशत और प्रमाप विचलन के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह पाया कि माध्यमिक स्तर के सामाजिक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक था। तथा विद्यार्थी यौन शिक्षा के विषय में केवल अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करना चाहते हैं।

40 कोन्विया. (2015) ने पेरेन्ट्स परसेप्शन्स ऑफ द टीचिंग ऑफ सेक्सुअल एजूकेशन इन सेकेण्डरी स्कूल इन नाइजीरिया पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य अभिभावकों का यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जानना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 400 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। प्राप्त

आंकडों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश अभिभावकों का यह मानना था कि माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

41 न्यारकों, किंग्सले. (2014) ने पेरेन्टल एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन एट द लोअर प्राइमरी इन घाना पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 100 अभिभावकों का चयन उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। आंकडों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण एवं अनोवा परीक्षण के माध्यम से किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि 58 प्रतिशत अभिभावक प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा देने के प्रति नकारात्मक अभिवृति रखते हैं। यौन शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

42 एलिजाबेथ (2013) ने पेरेन्टल परसेप्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ सेक्स एजुकेशन टू एडोलेसेन्ट इन सैकेण्डरी स्कूल इन क्रोस रिवर स्टेट, नाइजीरिया परष्शोध किया। इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। न्यादर्श के रूप में 400 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण के आधार पर किया

गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृति नकारात्मक पायी गयी।

43 एजीबाडे, बी. एल. (2013) ने नोलेज एण्ड ओपीनियन टुवड्स सेक्स एजूकेशन अमंग सलेक्टेड सेकेण्डरी स्कूल इन एजीग्बों लोकल गवर्मेन्ट एरिया, ओसुन स्टेट, नाइजीरिया विषय पर शोध किया । इस शोध कार्य का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 300 विद्यार्थियोंका चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति सकारात्मक पायी गयी परन्तु उन्हें यौन शिक्षा के विषय में जानकारी का अभाव था।

44 कासिम, सयैद हसन (2013) ने ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ सीनियर सैकण्डरी स्कूल टीचर्स टुवड्स सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में क्षेत्रीयता एवं विद्यालय के प्रकार के आधार पर अंतर को जानना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 300 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों के संकलन के लिए प्रो. रवीन्द्र वी. पाटिल द्वारा निर्मित यौन शिक्षा अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया। आंकडों के विश्लेषण हेतु मध्यमान

प्रमाप विचलन और टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में क्षेत्रीयता एवं विद्यालय के प्रकार के आधार पर अंतर पाया गया।

45 स्मिथ (2013) ने टीचर्स एटीट्यूड टुवड्स एडोलेसेन्ट सेक्सुएलिटि एण्ड लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन रूरल साउथ अफ्रीका पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा के प्रति शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 43 शिक्षकों एवं 19 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन किया गया। प्रदतों का संकलन स्वनिर्मित साक्षात्कार मापनी के द्वारा किया गया। शोध परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि शिक्षा के प्रति शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

46 स्टीफन (2013) ने एटीट्यूड ऑफ पेरेन्ट्स इन द मेट्रोपोलिस ऑफ लागोस टुवड्स इंक्लुजन ऑफ सेक्सुअलिटि एजुकेशन इन द स्कूल करीक्यूलम पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य यौन शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलितकिए जाने के प्रति अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 150 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। प्राप्त आंकडों का विश्लेषण टी-परीक्षण एवं अनोवा परीक्षण के आधार पर किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि यौन शिक्षा को

विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के प्रति अभिभावकों की अभिवृति में लिंग एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

47 तालपुरा, अशफाक अहमद (2012) ने अवेयरनेस एण्ड एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स हेल्थ एजुकेशन एण्ड सेक्सुअल हेल्थ सर्विस अमंग यंगस्टर इन रूरल एण्ड अर्बन सेटिंग्स ऑफ सिंध, पाकिस्तान पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य पाकिस्तान में किशोर विद्यार्थियों की यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं जागरूकता का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रदतों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया। न्यादर्श के लिए 200 किशोर विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रदतों का विश्लेषण करने पर यह प्राप्त हुआ कि पाकिस्तान में किशोर विद्यार्थियों की यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं जागरूकता संतोषजनक नहीं है।

48 अगंडी, जी. आर (2011) ने एडोसेन्ट्स चिल्ड्रन पेरेन्टल एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशन पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों के अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडों को एकत्र करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि किशोर विद्यार्थियों के अभिभावकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

49 फ्रीमपोंग, एस (2010) ने एडोसेन्ट्स एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्स एजुकेशनः ए स्टडी ऑफ सीनियर हाई स्कूल इन कुमासी मेट्रोपोलिस पर शोध कार्य किया। इस शोध का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 320 किशोर विद्यार्थियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि एवं उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि किशोर विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

50 अब्दुल, इमाम और रहमान (2009) ने पेरेन्ट्स एटीट्यूड टुवड्र्स इंक्लुजन ऑफ सेक्सुअलिटि एजुकेशन इन मलेशियन स्कूल पर शोध किया। इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति मलेशियाई ग्रामीण अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए 211 अभिभावकों का चयन किया गया। न्यादर्श के चयन के लिए उद्देश्य परक न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि अधिकांश माता-पिता प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में यौन स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित किए जाने के पक्ष में थे।

51 ओक्टा, सोविया (2009) ने एटीट्यूड टु सेक्स एजुकेशन इन अडोलेसेन्ट पेरेन्ट्स ओथोरिटरियन पर शोध किया। इनके अध्ययन का उद्देश्य किशोरों में यौन शिक्षा के प्रति उनके अभिभावकों द्वारा दी गयी स्वीकृति है। अभिवृत्ति

किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक रवैये को दर्शाती है। हर व्यक्ति की अभिवृत्ति किसी समस्या को लेकर अलग-अलग हो सकती है। इसी प्रकार यौन शिक्षा को लेकर अभिवृत्तियां अलग-अलग हैं। कई अभिभावक स्कूलों में यौन शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि कई इसकी आवश्यकता नहीं अनुभव करते।

52 सुजुई (2007) ने एटीट्यूड टुवड्र्स सेक्सुअलिटि अमंग हाई स्कूल स्टुडेन्ट्स इन जापान पर शोध किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य जापान के उच्च स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकडों के संकलन हेतु स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया। शोध निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि जापान के उच्च स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षाके प्रति अभिवृति में सार्थक अंतर पाया गया।

53 स्टेकिक सेड्जन (2005) ने ए क्वालिटी एसेसमेन्ट ऑफ़ ए सेक्सुअल एण्ड रिप्रोडक्टीव हेल्थ पियर एजुकेशन नेटवर्क इन इस्टर्न युरोप एण्ड सेन्ट्रल एषिया पर शोधकार्य किया। यह अध्ययन पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया के किशोर विद्यार्थियों पर किया गया है। इसमें उनका यौनिक व प्रजनन स्वास्थ्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही उन्हें प्राप्त यौनिक जानकारी के साधनों का भी पता लगाया गया, इस शोध के किशोर समूह की शक्तियाँ व कमियाँ दोनों पर प्रकाश डाला गया तथा शोध द्वारा प्राप्त सभी परिणाम व सुझावों को यौन शिक्षा की दृष्टि से रेखांकित किया गया।

2.8 सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता

शोधकर्ता साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करती है। शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रूचि अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा करता है।

प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किये गये अपनी समस्या से संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भली-भाँति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षा समझा जाता है।

अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद-विवाद किया जा सकता है। साहित्य पुननिरीक्षण के द्वारा क्षेत्र में माहिरता विकसित की जा सकती है।

2.9 उपसंहार

प्रस्तुत अध्याय के संदर्भ में शोध साहित्य के सर्वेक्षण तथा आवश्यकता व उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है साथ ही शोध प्रकरण से मिलते जुलते भारत में तथा विदेश में किये गये शोध कार्य का विवरण उल्लेखित किया गया है।

शोध के इस महत्वपूर्ण कार्य से शोधार्थी को अपने शोध के संबंध में विचारों, सिद्धान्तों, तथ्यों एवं निष्कर्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंधित कई अलग-अलग शोध कार्य हुए है किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंधित शोध कार्य कम ही है।

अतः शोधार्थी ने शोध अध्ययन के विषय के रूप में इसका चयन किया और इसी आधार पर आगामी शोध अध्ययन की सम्पूर्ण योजना प्रस्तुत की है।

तृतीय अध्याय

अनुसंधान आकल्प एवं क्रियान्वयन

तृतीय अध्याय

अनुसंधान आकल्प एवं क्रियान्वयन

3.1 प्रस्तावना

मानवीय जीवन में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव की प्रगति के लिए अनुसंधान अति आवश्यक है। कोई भी अनुसंधान मनगढ़त नहीं हो सकता। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया है। समस्या का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है और मानवीय प्रकृति प्रारंभ से ही जिज्ञासु रही है। वह हमेशा जानना चाहता है कि किन परिस्थितियों में कौन से परिणाम निकलते है, तथा उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाता है? अनुसंधान मानव को प्रगति की ओर ले जाने से एक शक्तिशाली तथा आवश्यक उपकरण सिद्ध हुआ है। अनुसंधान द्वारा घटनाओं और उनके कारणों का बोध प्राप्त होता है।

एफ.एन. कार्लजंर के अनुसार- ''अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषण की योजना संरचना एवं एक रणनीति है।''

अनुसंधान कार्य की व्याख्या हेतु उसके अध्ययन का अभिकल्प आवश्यक होता है। अनुसंधान अभिकल्प समस्या से संबंधित उद्देश्य, परिकल्पनाओं से लेकर आंकड़ों के

अंतिम विश्लेषण तक उन सभी क्रियाओं की योजना है जो शोध प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु की जाती है। इस प्रकार यह एक व्यापक कार्य योजना है। जिसका अंतिम उद्देश्य अनुसंधानकर्त्ता को शोध प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है। जो यथासम्भव वस्तुनिष्ठ शुद्ध और किफायती हो, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख होता है -

चरों का उल्लेख - कौन से चर सक्रिय होंगे और कौनसे चर विश्लेषक ताकि स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकें।

प्रदत्तों को संकलन करने व उनका विश्लेषण करने की क्या नीति अपनाई जाये तथा अन्वेषण के अंतर्गत उठाने वाली समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाये?

जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, "विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि को आधिकारिक, व्यवस्थित और गहन रूप से चलाने का प्रक्रम अनुसंधान है।"

जॉर्ज जे. मूले के अनुसार - "कोई भी व्यवस्थित अध्ययन जिसका विधान शिक्षक द्वारा एक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए किया गया हो अनुसंधान कहा जा सकता है।"

तथ्यों के विश्लेषण के लिए शोध अभिकल्प एक प्रकार का संगठन है। एक शोधकर्ता को इस बात पर विचार करना पड़ता है कि संदर्शन तथ्यों का एकत्रीकरण तथा उपकल्पना को शुद्ध करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाये? शोध कार्य को सही दिशा प्रदान करने हेतु शोधार्थी को एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। अध्ययन विषय की प्रकृति, स्वरूप व उद्देश्यों के अनुसार शोध अभिकल्प का निर्माण आवश्यक होता है।

जब शोधार्थी शोध कार्य करना चाहता है तो समस्या चयन के पश्चात् उसका सबसे प्रमुख कार्य शोध संरचना का निर्माण करना होता है। शोध संरचना की सहायता से शक्ति तथा समय का अपव्यय नहीं होता है, साथ ही शोधार्थी अधिक आत्मविश्वास से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है।

शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक विधियाँ है। यह अनुसंधानकर्त्ता की समझ, अन्तदृष्टि तथा समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि का चयन उपयुक्त रहेगा। अर्थात् शोध विधि प्रविधि उपकरण ही वे माध्यम है जिनसे शोध के निर्धारित उद्देश्यों को सटीकता से प्राप्त किया जा सकता है। विधि और उपकरण जितने अधिक शोध की प्रकृति से संबंधित होंगें। शोध उतना ही उद्देश्योन्मुख होगा।

अतः यह कहा जा सकता है कि एक वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक उपकरणों और विधियों का होना बहुत आवश्यक है।

3.2 शोध में प्रयुक्त विधियाँ

शोध का महत्व एवं उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब शोध की प्रकृति के आधार पर वांछित विधि का चयन किया जाये, क्योंकि अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें समस्या के चयन से लेकर अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए निर्धारित क्रम से होकर गुजरना होता है। शोध विधि उस क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसी पर शोध की वैज्ञानिकता व सार्थकता निर्भर करती है। शोध की विश्वसनीयता, वैधता और उपयोगिता बनी रहती है तथा शोध का व्यावहारिक उपयोग भी स्थापित होता है।

शैक्षिक अनुसंधान में मुख्यतः पाँच प्रकार की शोध विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियाँ है वर्णानात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, घटनोत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि तथा दार्शनिक विधि। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए शोधकर्ता ने प्रकृति और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

3.2.1 वर्णनात्मक अनुसंधान

शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है। जिसमें वर्तमान की स्थितियों एवं प्रचलित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यह शैक्षिक, सामाजिक समस्याओं के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। यह समस्या की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। इस विधि में अनुसंधानकर्त्ता वर्तमान परिस्थितियों में समस्या का विभिन्न दशाओं और संबंधों की स्थिति कैसी है? किस तरह के व्यवहार प्रचलित है? साथ ही यह भी देखा जाता है कि वर्तमान में कैसी मान्यताएँ, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है?

''वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त करने वाले शोधों के तहत ऐसी घटनाओं का अध्ययन होता है, जो घटित हो चुकी हो।''

''वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है''? का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वर्तमान में है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रही है, प्रक्रियायें जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किये जा

रहे है अथवा नयी दिशाएँ जो विकसित हो रही है, उन्हीं से इसका संबंध है। वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है।

3.2.2 वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ

वर्णनात्मक अनुसंधान के विवरण एवं परिभाषाओं के आधार पर निम्न विशेषताएँ दृष्टिगत होती है।

वर्णनात्मक अनुसंधानों में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों से आंकड़े प्राप्त किये जा सकते है।

वर्णनात्मक अनुसंधान सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

इस अनुसंधान में ''क्या है''? का स्पष्टीकरण किया जाता है।

सभी अनुसंधान की तरह ही वर्णनात्मक अनुसंधान का भी एक विशिष्ट उद्देश्य होता है।

स्पष्ट एवं परिभाषित समस्याओं का समाधान वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है।

इस अनुसंधान में पूर्व नियोजन किया जाना आवश्यक है।

सावधानीपूर्वक आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने पर निष्कर्ष सटीक प्राप्त होते है।

मुख्यतः वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, यहाँ किसी समस्या के समाधान के प्रयास किये जाते है।

3.2.3 वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य

वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्न उद्देश्य होते है -

वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण तथा भावी नियोजन अथवा परिवर्तन में सहायता करना।

भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकें।

मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना।

मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षिक नियोजन में सहायता करना।

3.2.4 वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार

वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए वान डालेन ने तीन प्रकारों का उल्लेख किया है -

1. सर्वेक्षण अध्ययन विधि

2. अन्तर्सम्बन्धात्मक अध्ययन विधि

3. विकासात्मक अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। अतः सर्वेक्षण विधि का ही विस्तार से उल्लेख किया गया है।

3.2.5 सर्वेक्षण विधि

सर्वेक्षण शब्द की व्युत्पत्ति सर तथा वेयर से मिलकर बने सर्वेक्षण से हुई जिसका अर्थ क्रमशः ऊपर की ओर देखना। अनुसंधान के लिए समस्या संबंधी तथ्यों का अध्ययन, वर्णन व व्याख्या करने वाली विधि सर्वेक्षण विधि कहलाती है। अनुसंधान में सर्वेक्षण का तात्पर्य ऐसे अध्ययन से है जिसमें शोधकर्ता को उस स्थान पर जाकर परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं को इकट्टा करना पड़ता है।

सर्वेक्षण विधि मूलतः विषय विशेष पर जनसंख्या से जानकारी एकत्र करने की विधि है, गुणात्मक विधि के विपरित भावात्मक विधि से ज्यादा बड़ी जनसंख्या पर अध्ययन किया जा सकता है।

मूले के अनुसार, ''सर्वेक्षण संबंधी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है। जिसके अन्तर्गत अनेक विधियाँ तथा प्रक्रियायें आती है जो उद्देश्य की दृष्टि से समान होते है।''

सर्वेक्षण में तीन प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जाता है -

वर्तमान में क्या है? इससे संबंधित सूचनाएँ वर्तमान स्थिति के महत्वपूर्ण पक्ष के अध्ययन से प्राप्त की जाती है।

हम क्या चाहते है? - इससे संबंधित सूचनायें आवश्यक वस्तुएं लक्ष्य एवं उद्देश्य के स्पष्टीकरण से प्राप्त होती है।

इच्छित उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते है? इससे संबंधित सूचनायें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभावित साधनों के शोध कार्य, दूसरों के अनुभवों या विशेषज्ञो के विचारों के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों के बारे में आंकड़े प्राप्त कर उसकी व्याख्या व विश्लेषण कर वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते है।

3.2.6 सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं

विभिन्न सामाजिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन किया जाना संभव हो पाता है।

इस विधि द्वारा शोधकर्ता उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संपर्क में भी आता है। अतः उत्तरदाता के मनोभावों तथा विचारों का निकट में अध्ययन कर पाता है।

किसी घटना की व्यापकता, संभावना का अध्ययन किया जा सकता है।

समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक चरों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है।

घटनओं, चरों, विशेषताओं की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते है।

सर्वेक्षण द्वारा समष्टि से संबंधित परिशुद्ध, वस्तुपरक और विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन किया जाता है।

कम समय में अधिक दत्तों का संग्रह करना संभव हो पाता है।

इस विधि में प्रयुक्त उपकरण अधिक विशुद्ध व वैज्ञानिक होते है।

सर्वेक्षण अध्ययन विधि के अन्तर्गत निरीक्षण, साक्षात्कार, मूल्यांकन, मानदंड, सूचना-प्रपत्र मानक परीक्षण आदि आते है। इसके अतिरिक्त इसमें वे सभी परीक्षण उपयोग में लाये जाते है, जो संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायक हो।

3.2.7 सर्वेक्षण विधि के प्रमुख सोपान

सर्वेक्षण विधि के लिए मान्य सोपान है, इन निर्धारित सोपानों का पालन किया जाना शोध के लिए आवश्यक होता है। सर्वेक्षण के लिए समस्या का चयन से लेकर विश्लेषण एवं व्याख्या तक निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है।

उद्देश्यों का निर्धारण - एक वैज्ञानिक शोध के लिए यह आवश्यक है कि उसके उद्देश्य स्पष्ट और सुनिश्चित हो। निर्धारित उद्देश्यों को लेकर किये गये सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़े उपयोगी होते है।

उपकरणों और प्रविधियों का चयन - उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात् उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण के लिए दो तरह के उपकरण काम में लिये जाते है।

स्वनिर्मित और मानकीकृत उपकरण। साथ ही प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण हेतु प्रविधियों का चयन भी करना होता है।

उपकरणों का परीक्षण - उपकरणों के निर्माण के पश्चात् उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता जानना आवश्यक होता है। इसके लिए जिन न्यादर्श का चयन किया है, उसके कुछ सदस्यों पर इसका परीक्षण किया जाता है।

न्यादर्श का चयन - न्यादर्श का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। न्यादर्श संपूर्ण जनंसख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इनका चयन न्यादर्श चयन की वैज्ञानिक विधियों में किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण कार्यविधियों का निर्धारण - उपर्युक्त सभी सोपानों से गुजरने के पश्चात् दत्त संकलन की आवश्यकता होती है। दत्त संकलन के लिए चयनित न्यादर्श से उपकरण के माध्यम से दत्तों का संकलन किया जाता है। इसमें न्यादर्श तक उपकरण पहुंचाना, उपकरण संकलित करना, साक्षात्कार के समय लेना जैसी क्रियायें सम्मिलित होती है।

दत्तों का विश्लेषण - सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त दत्तों का सारणीयन और विश्लेषण शोध के लिए आवश्यक होता है। विश्लेषण के लिए प्रविधियों का निर्धारण पहले ही कर चुके होते है। विश्लेषण के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते है।

इस प्रकार इन सोपानों का प्रयोग करते हुए किसी शोध समस्या का निदान कर सकते है।

3.2.8 प्रस्तुत शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग

प्रस्तुत शोध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण विधि ही उपयुक्त है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता का शोध के उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को अध्ययन करना है। अतः इस का अध्ययन सर्वेक्षण विधि से ही संभव है।

शोध अध्ययन किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर बड़ी जनसंख्या से संबंध रखता है। अतः सर्वेक्षण विधि से ही दत्तों का संकलन संभव है।

प्रस्तुत अध्ययन में कोटा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। यहाँ से राजकीय, निजी, शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों से सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण विधि ही उपयुक्त रहती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति के आधार पर स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया तथा विषय से संबंधित व्यक्तियों के संपर्क कर सूचनाओं का संकलन किया गया। इसके लिए सर्वेक्षण विधि ही उपयुक्त रहती है।

उपर्युक्त आधारों से प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता स्पष्ट होती है। अतः प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया।

3.3 शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर

विज्ञान के उद्देश्य ऐसे सिद्धान्तों का विकास करना है जो किसी दृश्य घटनाओं के समूह की सामान्य व्याख्या करने का प्रयास करता है। किसी सिद्धान्त में समाहित

केन्द्रिय कारकों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना ही इस व्याख्या में होता है, इन कारकों की कुछ विशेषताएँ व स्थितियाँ होती है जो परिवर्तनशील होती है इसलिए इन कारकों को चर कहते है।

बुलेस्की के अनुसार, ''चर किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप है जो अपनी उपस्थिति से किसी दूसरी घटना या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है, प्रभावित करें।

3.3.1 चरों के प्रकार

सामान्यतः चर दो प्रकार के होते है।

स्वतंत्र चर- स्वतंत्र चर जो किसी अन्य चरों पर अपना प्रभाव डालते है परन्तु उनसे प्रभावित नहीं होते स्वतंत्र चर कहलाते है। यह वह कारक होता है जिसका मापन किया जा सकता है। वह प्रयोग करने वाले के नियंत्रण में रहता है।

आश्रित चर- ऐसे चर जो स्वतंत्र अन्य चरों से प्रभावित होते है, उन्हें प्रभावित नहीं करते आश्रित चर कहलाते है।

टाउनसेंड के अनुसार - 'आश्रिम चरवह कारक होता है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र के दिये जाने, हटाने अथवा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार प्रकट अथवा परिवर्तित होता है।''

प्रस्तुत शोध अध्ययन के चर इस प्रकार है।

स्वतंत्र चर - उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

आश्रित चर - यौन शिक्षा

3.4 शोध अध्ययन हेतु जनसंख्या व न्यादर्श

प्रत्येक अनुसंधान का आधार उसका न्यादर्श ही होता है, क्योंकि सर्वेक्षण का क्षेत्र यदि विशाल है तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। साथ ही शोध की शुद्धता पर भी प्रश्न उठता है। अतः शोध में सभी इकाइयों का अध्ययन न करके प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चयन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। इस चयन से शोध का वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

पी.वी.यंग के शब्दों में - "एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का एक लघु चित्र होता है। किसी भी अनुसंधानकर्त्ता के लिए पूरे समग्र में सभी व्यक्तियों का अध्ययन करना संभव नहीं होता, जबकि ऐसे थोड़े व्यक्तियों का अध्ययन करना संभव है। जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिदर्श द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकते है।

शोध की जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जो सजातीय होते है। अर्थात् एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जो सजातीय होते है। एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाइयों को जनसंख्या कहते है।

जनंसंख्या के रूप में प्रस्तुत शोध में कोटा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा छः से आठ तक के समस्त विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

3.5 न्यादर्श

डब्ल्यू.जी. कोकारण - "प्रत्येक विज्ञान की शाखा हमारे साधन सीमित है। इसलिए सम्पूर्ण तथ्य को एक अंश से अधिक का अध्ययन नहीं कर पाते अतः सम्पूर्ण तथ्य के एक अंश के अध्ययन का ज्ञान प्रस्तुत किया जाना न्यादर्श है।"

एक न्यादर्श अपने समस्त समूह का एक लघुचित्र होता है। किसी भी शोधकर्ता के लिए पूरे समग्र में सभी व्यक्तियों का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। जबकि ऐसे थोड़े व्यक्तियों का अध्ययन करना संभव है जो उसका प्रतिनिधित्व करते है। न्यादर्श शोधकार्य की आधारशिला है अतः यह न्यादर्श चयन पर भी निर्भर करता है कि शोध के परिणाम कितने विश्वसनीय एवं परिशुद्ध है।

3.5.1 न्यादर्श की आवश्यकता

निम्नलिखित कारणों से न्यादर्श का चयन आवश्यक होता है।

समय की बचत होती है।

यह मितव्ययी विधि है।

अधिक सत्यता का ज्ञान होता है।

प्रशासनिक सुविधाएँ हो जाती है।

विस्तृत जानकारी हो जाती है।

3.5.2 अच्छे न्यादर्श की विशेषताएँ

स्वतंत्रता - न्यादर्श के विभिन्न अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हो तथा प्रत्येक के चयन के अवसर समान हो।

पूर्वाग्रह का अभाव - शोधार्थी के भावों व विचारों के प्रभाव से न्यादर्श को बनाया जाये।

न्यादर्श का चयन - सामाजिक व शैक्षिक विषयों में न्यादर्श के चयन की प्रमुख समस्या होती है कि जनसंख्या में से किस प्रकार न्यादर्श की इकाइयों का चयन किया जाये जो कि उसका प्रतिनिधित्व कर सकें।

3.5.3 न्यादर्श द्वारा अध्ययन के विभिन्न चरण

- अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना।
- समष्टि को स्पष्ट करना।
- सार्थक तथा आवश्यक आंकड़ों का संकलन करना।
- परिणामों को आवश्यक मात्रा में पूर्व निर्धारित करनां
- मापन विधि का व्याख्या करना।
- प्राप्त इकाइयों की सूची निर्माण।
- प्रतिचयन विधि का चयन।
- पूर्व परीक्षण करना।
- अध्ययन क्षेत्र का सफल संगठन करना।
- आंकड़ों का सारांश तथा विश्लेषण करना।

3.5.4 न्यादर्श चयन हेतु विधि

न्यादर्श चयन की प्रमुख विधियाँ दो प्रकार की होती है जिसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है -

(1) सम्भाव्य न्यादर्श

- देवीय/यादृच्छिक /साधारण नियमित
- स्तरीकरण
- गुच्छ
- दिशः
- क्रमबद्ध

(2) असम्भाव्य न्यादर्श

- सोद्देश्य
- आकास्मिक
- अंश
- निर्णित

3.5.5 शोध में चयन विधि

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिक चयन विधि का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत जनसंख्या में से इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो।

3.5.6 यादृच्छिक न्यादर्श विधि

यादृच्छिक न्यादर्श समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है।

यादृच्छिक न्यादर्श प्रक्रिया में समष्टि की इकाइयों को क्रमांकित कर इकाई की समान मात्रा में महत्व देते हुए इकाइयों को बिना किसी पक्षपात व उद्देश्य के लिए चुन लिया जाता है। इसमें किसी एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। इस विधि में किसी भी इकाई को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। बल्कि सभी इकाइयों से चुने जाने का वही अवसर होता है, जो किसी अन्य का होता है।

प्रस्तुत शोध में उच्च प्राथमिक स्तरीय ग्रामीण व शहरी, सरकारी व निजी विद्यालयों का चयन इसी विधि से किया गया है।

3.5.7 यादृच्छिक न्यादर्श में सावधानियाँ

जिस जनसंख्या से न्यादर्श का चयन करना हो उसके विषय में अनुसंधानकर्त्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

जनसंख्या ही हर एक इकाई के गुण लगभग समान होने चाहिए।

वास्तविक यादृच्छिकरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

हर एक इकाई स्वतंत्र होनी चाहिए।

एक इकाई के चुनाव का दूसरी इकाई के चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

3.6 शोध में प्रयुक्त न्यादर्श

शोध राजस्थान राज्य के कोटा जिले से सम्बन्धित है। क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में बालक बालिकाओं दोनों को सम्मिलित किया गया है।

शोध अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा कुल 520 विद्यार्थियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालयों से यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चयनित किया गया है।

3.1 न्यादर्श को प्रदर्शित करती सारणी

क्र.सं.	समूह	राजकीय	निजी	योग
1	ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी	130	130	260
2	शहरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी	130	130	260
	योग	260	260	520

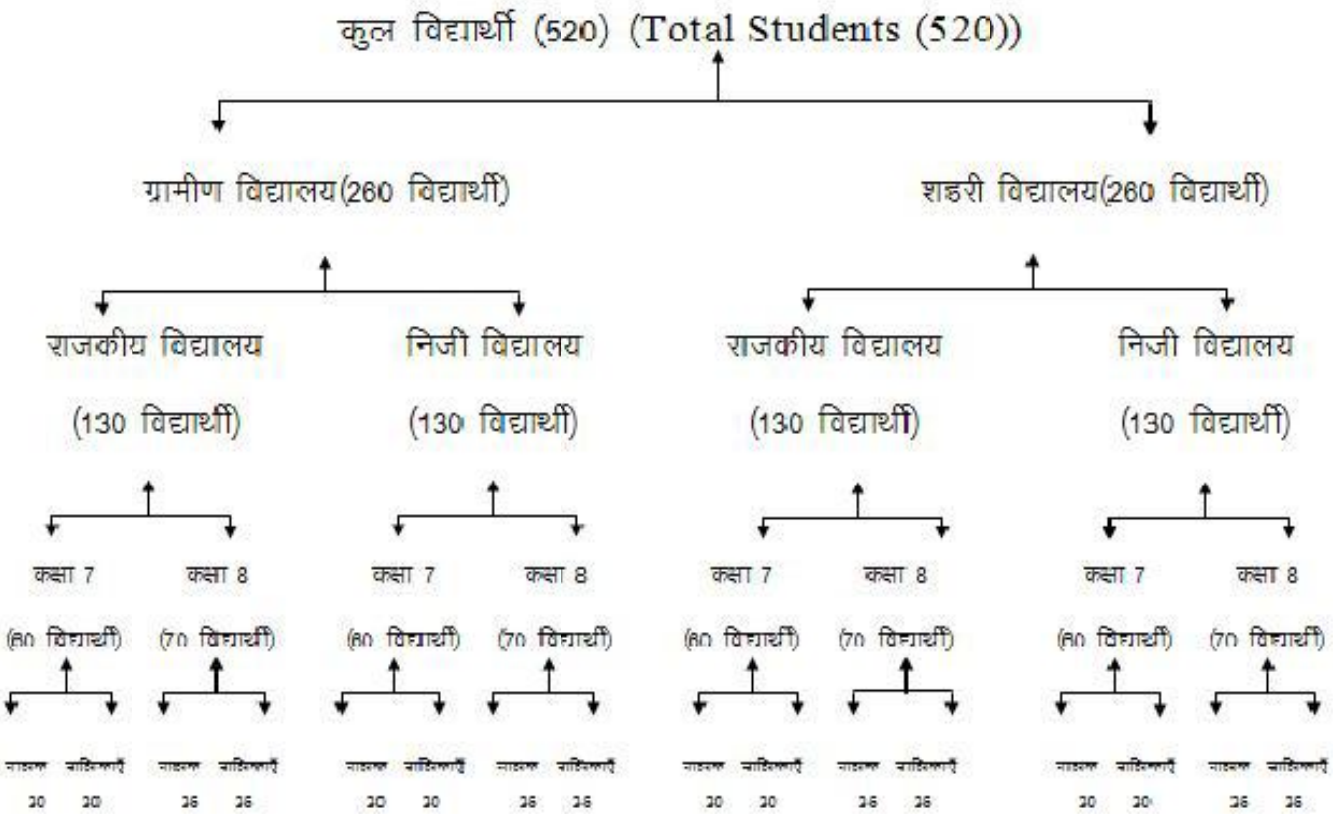
कुल विद्यार्थी (520) (Total Students (520))
ग्रामीण विद्यालय(260 विद्यार्थी)
शहरी विद्यालय(260 विद्यार्थी)
राजकीय विद्यालय
(130 विद्यार्थी)
निजी विद्यालय
(130 विद्यार्थी)
राजकीय विद्यालय
(130 विद्यार्थी)
निजी विद्यालय
(130 विद्यार्थी)
कक्षा 7
कक्षा 8
(60 विद्यार्थी)
(70 विद्यार्थी)
लड़के लड़कियाँ
30 30
35 35

3.7 शोध उपकरण

प्रत्येक शोध की महत्ता उपकरण पर निर्भर करती है क्योंकि उपयुक्ता, वैधता एवं विश्वसनीयता पर ही प्रदत्तों की विश्वसनीयता एवं वैधता निर्भर करती है।

शोधकार्य को प्रमाणिकता एवं वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु वैध एवं विश्वसनीयता संकलन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। आवश्यक दत्तों का संकलन हेतु सुव्यवस्थित कार्यविधि को अपनाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए वैध विश्वसनीय एवं प्रमाणिक साधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं साधनों को उपकरण कहते है। इनकी उपयुक्तता वैधता एवं विश्वसनियता पर ही दत्तों की विश्वसनीयता निर्भर करती है एवं दत्तों की विश्वसनीयता व वैधता पर ही निष्कर्षों की व्यावहारिकता व उपयोगिता निर्भर करती है।

अतः प्रत्येक अनुसंधान की सफलता हेतु उपयुकत उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्व है। उपकरण सामान्यतया दो प्रकार के होते है -

मानकीकृत्त उपकरण - सर्वाधिक उपयोगी व बहुलता से प्रयुक्त किये जाने वाले मानकीकृत उपकरणों का शैक्षिक अनुसंधान में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये वे मनोवैज्ञानिक उपकरण होते है जिनका निर्माण मनोवेज्ञानिक द्वारा मानवीय व्यवहारों के कतिपय पक्षों अथवा आंतरिक गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है। ये पूर्व निर्मित, विश्वसनीय तथा वैध होते है। प्रस्तुत शोध में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया है।

स्वनिर्मित - इन उपकरणों का निर्माण अनुसंधानकर्त्ता समस्या के अनुसार स्वयं करता है। शोधकर्त्ता उपकरण निर्माण के सभी सोपानों का अनुसरण करते हुए अपनी शोध समस्या की आवश्यकता अनुसार करता है। प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों के मन में यौन शिक्षा के प्रति कई धारणाएँ बैठ जाती है। इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते है। अपने शरीर में हुए परिवर्तन को लेकर तनावग्रस्त रहते है। शोध के लिए आवश्यक है कि न्यादर्श की विशेषता को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण बनाये जाये, जो शोधकार्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करें। यहाँ शोध की प्रकृत्ति के अनुसार स्वनिर्मित उपकरण की आवश्यकता को देखते हुए यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी निर्माण के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाया गया -

3.7.1 यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के लिए स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया है। यह परीक्षण केवल यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति जानने के लिए है। इस प्रक्रिया निम्नलिखित मद सम्मिलित है।

प्रथम सोपान - उपकरण का निर्माण करने के लिए शोधार्थी ने सम्बन्धित विषय की पुस्तकों, जर्नरल, उपन्यास एवं समाचार-पत्र पत्रिकाएँ का गहणता से अध्ययन किया ताकि उपकरण निर्माण की प्रक्रिया के समग्र ध्यान रखने योग्य बातों एवं विषय से परिचित हुआ जा सकें।

द्वितीय सोपान- शोधार्थी के द्वारा समस्या से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बाद शिक्षा-शास्त्र अनुसंधान तथा उच्च शैक्षिक अनुभव प्राप्त एवं यौन शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों से क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। विशेषज्ञों की राय से विद्यालय में किस प्रकार की उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा हो, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मानव की प्रजनन व्यवस्था, गर्भाधरण और गर्भ निरोध, बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाधिक वृद्धि हो, यौन विकारों से ग्रस्त न हो। यौन शिक्षा के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास तनाव ग्रस्त एवं एड्स से बचाव आदि पर मद एकत्रित करना।

तृतीय सोपान - क्षेत्रवार कथनों का निर्माण किया गया। प्रारंभ में 40 कथन निर्मित किये गये। प्रश्नावली का प्रथम प्रारूप तैयार होने के बाद सर्वप्रथम विभिन्न शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों के पास भेजा गया। जिन कथनों पर 70 प्रतिशत विशेषज्ञों की सहमति बनी। उन्हें प्रश्नावली में रखा गया। अस्पष्ट एवं दोहराव वाले कथनों को पृथक कर मापनी को तैयार कर लिया गया। विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त सलाह से प्रश्नावली से 08 कथनों को हटा दिया गया। अंत में कुल प्रश्नों की संख्या 32 है।

चतुर्थ सोपान - पूर्व परीक्षण प्रश्नावली के कथनों का अन्तिम निश्चित हो जाने तथा प्रारूप के अन्तिम आकार ले लेने के पश्चात् मापनी का पूर्ण परीक्षण आवश्यक हो जाता है ताकि वह पता लगा सके कि उत्तरदाता कथनों की रूचि को भली भांति समझा है या नहीं साथ ही पूर्व परीक्षण से प्राप्त प्रश्नावली के अंकन से शोधार्थी को यह भी विश्वास हो जाता है कि जिन उद्देश्यों को सामने रखकर मापनी का निर्माण किया था, वे पूरे हो सकेगें -

उत्तरदात्ता के लिए आवश्यक निर्देशों का निर्धारण किया गया। इस स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी में 32 कथन है जिनके प्रत्युत्तर सहमत, अनिश्चित व असहमत के रूप में किये गये है। फलांकन क्रमशः 3,2,1 की ओर किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण मापनी में एक विद्यार्थी निम्नतम प्राप्तांक 32 एवं उच्चतम प्राप्तांक 96 तक प्राप्त कर सकता है।

3.8 प्रश्नावली प्रमापनी की विश्वसनीयता

किसी भी अनुसंधान में उपकरण का वह गुण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होता है कि जिन उपकरणों के आंकड़ों को संचित किया जाता है तथा उनके आधार पर मापों का पता लगाया जाता है वे कहाँ तक उपयुक्त एवं विश्वसनीय है। जब किसी परीक्षण में विभिन्न अवसरों पर या एक ही प्रकार के विभिन्न परीक्षण पदों में किसी परीक्षार्थी द्वारा फलांकों में संगति होती है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है।

3.8.1 विश्वसनीयता मापने की विधियाँ

किसी उपकरण की विश्वसनीयता मापने के निम्न माध्यम है -

- परीक्षण पुनः परीक्षण
- विभक्तार्थ परीक्षण
- सांख्यिकी आधारित पदों की विश्वसनीयता
- समानान्तर पद रूप विश्वसनीयता

3.8.2 कोटि अन्तर विधि

कोटि अन्तर विधि का विकास प्रो. स्पीयरमेन ने किया था। यह विधि स्पीयरमेन की कोटि अन्तर विधि कहलाती है।

इस विधि का प्रयोग छोटे समूह पर संभव है। बड़े समूह पर नहीं। इकाइयों की संख्या जितनी कम होगी प्रयोग उतना ही सरल होगा।

इस विधि के प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता है केवल कोटि को महत्व दिया जाता है।

इस विधि में सह-संबंध गुणांक की गणना सुगमता से की जा सकती है।

सह- सम्बन्ध गुणांक का सूत्र

$$\mathrm{P} = 1 = \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

$$\mathrm{P} = 1 = \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - N)}$$

$\mathrm{P} =$ कोटि अन्तर विधि द्वारा गणना किया गया सह-सम्बध गुणांक

$\varepsilon D^2 =$ कोटि अन्तर के वर्गों का कुल योग

$N =$आवृत्तियों की संख्या

विश्वसनीयता $r = \frac{2r}{1+r^1}$

विद्यार्थियों के परीक्षण व पुनपरिक्षण के प्राप्तांकों के मध्य विश्वसनीयता गुणांक 0.817 पाया गया जो कि उच्च धनात्मक है। अतः स्वनिर्मित उपकरण विश्वसनीय है।

वैधता - उपकरण की वैधता से तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से उपकरण का निर्माण किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। प्रश्नावली की वैधता को निम्न प्रकार से परखा गया -

विषयवस्तु की वैधता - शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम संबंधित साहित्य का अध्ययन कर एवं विशेषज्ञों से राय प्राप्त कर उन तत्वों की खोज की जिनसे शोध समस्या का सीधा संबंध है तथा संबंधित तत्वों को ही क्षेत्र मानते हुए इन क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों का ही निर्माण किया है।

अंकित वैधता - शोधार्थी द्वारा प्रश्नावली विषय विशेषज्ञों को दी गयी। जिन्होंने उद्देश्यों के संदर्भ में प्रश्नों को जाँचा, परखा एवं उनकी सहमति पर ही सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है।

प्रस्तुत प्रश्नावली में पाठ्यवस्तु वैधता व आमुख वैधता देखी गई जो कि परिपूर्ण है।

3.9 उपकरण का प्रशासन

चयनित विद्यालयों के प्राचार्यों से पूर्व में स्वीकृति ले ली गई थी। शोधार्थी स्वयं विद्यालय में जाकर सभी से परिचित हुई।

उपकरण का प्रशासन करने के लिए दिनांक व समय प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों से निर्धारित कर ली गई।

शोधार्थी द्वारा निर्धारित दिनांक को विद्यालय में जाकर उपकरण का प्रशासन किया गया। प्रशासन के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पुस्तिका वितरण कर सामूहिक रूप से निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

- विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देने है।
- विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर दिये गये विकल्पों में से चुनकर देने है।
- विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी पूर्णतयाः गोपनीय रखी जायेगी।
- विद्यार्थियों से प्राप्त उत्तरों का प्रयोग शोधार्थी अपने शोध में करेगी।

सभी विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों को व्यक्तिशः सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया और भविष्य में सहयोग देते रहने हेतु निवेदन किया गया।

3.10 सांख्यिकी प्रविधियाँ

उपकरण का प्रशासन करने के लिए दिनांक व समय प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों से सांख्यिकीय प्रविधियों का चयन करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है। शोधकर्ता का

यह कार्य है कि वह शोध समस्या का तार्किक और तथ्यों के आधार पर समाधान निकाले।

प्रस्तुत शोध में प्राप्त दत्तों का वर्गीकरण व सारणीयन कर सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया है। शोधकार्य में सांख्यिकी विधि से विश्लेषण कर प्राप्त किये गये निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रमाणिक होते है।

प्रस्तुत शोध के लिए आंकड़ों का विश्लेषण और निर्धारण हेतु निम्न सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

मध्यमान - समस्त प्राप्तांकों का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक है, जो पृथक-पृथक प्राप्तांकों की संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। मध्यमान की गणना निम्न सूत्र द्वारा दी गयी है।

मध्यमान $M = \frac{\sum x}{N}$

M = मध्यमान

N = इकाइयों की संख्या

$\sum$ = कुल योग (विभिन्न मापकों का)

X = प्राप्तांकों का मापन

मानक विचलन- किसी समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से लिये गये विचलनों के वर्गों के योग का कुल प्राप्तांकों से भाग देने पर प्राप्त भागफल के वर्णमूल को उस समूह का मानक विचलन कहते है। मानक विचलन के प्रतीक के रूप में (S.D.) का प्रयोग किया जाता है।

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum X}{N} - \left(\frac{\sum X}{N}\right)^2} \text{ or } \sqrt{\frac{\sum X^2}{N}}$$

S.D. = प्रमणिक विचलन

N= न्यादर्श का आकार

$\sum X^2$ = प्राप्तांकों के वर्गों का योग

$\sum X$ =प्राप्तांकों का योग

टी - परीक्षण - टी परीक्षण ऐसी सांख्यिकी विधि है। जिसमें दो समूहों के मध्यमानों का अन्तर की सार्थकता ज्ञात की जाती है। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से टी-मूल्य की गणना की जाती है।

टी. का सूत्रत्र $\frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\left(\frac{\sum c_1^2 + \sum c_2^2}{N_1 + N_2}\right)\left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 N_2}\right)}}$

t= t का मान

M_1= पहले प्रतिदर्श का मध्यमान

M_2= दूसरे प्रतिदर्श का मध्यमान

σ_1= प्रथम न्यादर्श के मानक विचलन का वर्ग

σ_2 = द्वितीय न्यादर्श के मानक के विचलन का वर्ग

N_1= प्रथम न्यादर्श की इकाइयों की संख्या

N_2 = द्वितीय न्यादर्श की इकाइयों की संख्या

आरेख - शोध अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों को सही रूप देने एवं उनकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए चित्रिय निरूपण किया जाता है। प्रस्तुत शोध में भी आंकड़ों का चित्रात्मक आव्यूह एवं तुलनात्मक रूप देने हेतु आरेखन तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके लिए ढण्ड़ आरेख का प्रयोग किया गया है।

3.11 आंकड़ों का व्यवस्थापन एवं वर्गीकरण

सामान्यतः संकलित आंकड़ों का मूलरूप अस्पष्ट और जटिल होता है। अतः आंकड़ों को क्रमबद्ध सरल स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने के लिए उनको व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण और सारणीयन आवश्यक होता है। प्रस्तुत शोध के लिए प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने और सारणीबद्ध करने के लिए कम्प्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल

का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम एक्सल शीट बनाकर उसमें प्राप्त आंकड़ों को निर्धारित अंक भार के आधार पर दर्ज किया गया तथा विश्लेषण किया गया।

3.12 उपसंहार

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता ने अध्ययन विधि, जनसंख्या, न्यादर्श, उपकरण एवं प्रविधियों का विस्तार से वर्णन किया है तथा शोध में इनके उपयोग की प्रासंगिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनके सही तथा उपयुक्त चयन पर ही शोध की वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है तथा प्रयोग की गयी सांख्यिकी प्रविधियों का वर्णन किया है। जिनके आधार पर निष्कर्षों को प्राप्त किया। आगामी अध्याय में प्राप्त दत्तों से विश्लेषण के पश्चात् निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए किये गये प्रयासों का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय

प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या

चतुर्थ अध्याय

प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना

एक अनुसंधान प्ररचना आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है, जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्य रीतियों में अधिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है।

ड्यूश और कुक

किसी भी शोध कार्य में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंक को व्यवस्थित रूप देना आवश्यक है किन्तु केवल आंकड़ों की व्यवस्थिकरण से समस्या का हल नहीं हो पाता। अर्थ जानने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। शोध का चतुर्थ अध्याय आंकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण से संबंधित है। शोधार्थी संकलित आंकड़ों का सारणीयन करता है।

आंकड़ों के व्यवस्थापन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका विश्लेषण एवं कारण तथा सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के बाद प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण एवं व्याख्यान करना है। शोधकार्य के सही निष्कर्ष एवं विश्लेषण के लिए जितनी आवश्यकता संग्रह

तथ्यों के सामग्री के प्रामाणिक होने की है, उतनी ही उसे व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत कर सारणीयन करना आवश्यक है।

सारणीयन में शोधार्थी अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर तालिकाओं का निर्माण करता है। आंकड़ों को तालिका में व्यवस्थित रूप से रखने के बाद जिस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, उसे दर्शाता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित परिपत्रों की विधियों के उपयोग से परिणामों को प्राप्त करने के पश्चात् अगला महत्वपूर्ण कार्य एवं परिणामों का विश्लेषण एवं विवेचन करना होता है। तथ्यों का विश्लेषण करने के आधार पर पूर्व परिकल्पनाओं की जांच होती है तथा इन्हीं के आधार पर शोधार्थी वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचता है। वैज्ञानिक विश्लेषण शोध अध्ययन के तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिक संबंधों की खोज करता है।

आर. के. मुखर्जी के अनुसार- "तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं करता, जब तक उसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान न किया जाये अर्थात् तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीकरण आवश्यक है।

तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीय कर देने से बिखरे हुए संकलित तथ्यों के ढ़ेरों को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं संक्षिप्त रूप मिल जाता है। जिससे उन्हें समझना सरल हो जाता है। इसके लिए विभिन्न सांख्यिकी प्रक्रिया करनी होती है।

संकलित किये गये तथ्य प्रारंभिक रूप से बड़े जटिल असंभव तथा बिखरे हुए होते हैं। जिन्हें सार्थक बनाने तथा विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व उसे एक

निश्चित रूप रेखा प्रदान करना आवश्यक रहता है। तथ्यों का व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही तथ्यों का विश्लेषण कहलाती है।

विश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित उपक्रियाएँ होती है -

1. तथ्यों का संपादन

2. तथ्यों का वर्गीकरण

3. तथ्यों का सारणीकरण

4. तथ्यों का विश्लेषण

शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन, सारणीयन तथा सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के बाद निष्कर्षों का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदत्तों के विश्लेषण के अन्तर्गत अनेक समूहों के अंकों का विभिन्न प्रकार से अभिक्रम देकर उनकी उपलब्धियों की तुलना की जाती है तथा शोध के उद्देश्यों का निर्णय प्राप्त मात्रात्मक रूप से संयोजित कर लेते है और नियंत्रित समूहों में सार्थक अन्तर ज्ञात करके परिणामों का परीक्षण करते है।

निश्चित रूप रेखा प्रदान करना आवश्यक रहता है। तथ्यों का व्यवस्थित करने की परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है।

इस प्रकार प्रदत्तों के विश्लेषण के निम्नलिखित कार्य है -

1. प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाना।

2. शून्य परिकल्पना का परीक्षण।

3. अनुमान लगाना अथवा सामान्यीकरण करना।

सम्पूर्ण चतुर्थ अध्याय तालिकाओं से संबंधित रहता है जिस संख्या में तालिकाओं का निर्माण किया जाता है उसके आधार पर कार्य का परिणाम होता है। यह अध्याय अनुसंधान का वैज्ञानिक कसोटी का विश्लेषण करता है। अध्याय की अहम् भूमिका होती है। यही शोधार्थी के सम्पूर्ण समस्या के आंकड़ों को तालिका में रखता है, तत्पश्चात् सार्थकता के स्तर की जांच की जाती है। प्रस्तुत अनुसंधान में शोधार्थी ने अपनी तथ्य सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके उसका विश्लेषण तथा व्याख्या करने का प्रयास किया है।

4.2 शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की स्थिति का कक्षावार अध्ययन करना।

2. उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

3. उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

4. उच्च प्राथमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

5. उच्च प्राथमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

6. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4.3 शोध परिकल्पनाएँ

1. यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है।

2. यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

3. यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

4. यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

4.3.1 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोध कार्य में आंकड़ों का संकलन सारणीयन व सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के पश्चात् प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण व उनकी व्याख्या की जाती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करते है कि वह समस्या के संबंध में वांछित परिणामों को प्रस्तुत कर सकते है।

शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त मूल आंकड़ों, संकेतीकरण व संवेर्गोकृत सामग्री को व्यवस्थित व संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए उन्हें सर्वप्रथम आवृत्ति वितरण में प्रस्तुत करना होता है। इसमें उनके प्रति माध्य ज्ञात करने में अत्यधिक सुविधा उपलब्ध होती है। विश्लेषण के अन्तर्गत जटिल कारकों को खण्डित करके सरल अंशों या अंगों को नवीन व्यवस्था के संदर्भ में संयोजित करना होता है। नवीन और नवीनतर तथ्यों को ज्ञात करने हेतु तथ्यों का अध्ययन यथासंभव अधिक से अधिक दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिये।

सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी.मूल्य आदि सांख्यिकीय विधियों से समूह के अंतर तथा सार्थकता की जांच 0.01 उच्च सार्थकता स्तर पर किया है।

Ho_1 यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या 4.1

यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति का कक्षावार प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
कक्षा सात के विद्यार्थी	240	69.25	17.8	5.02	0.01 अस्वीकृत
कक्षा आठ के विद्यार्थी	280	76.78	10.18		

$df = 518$ के लिए सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान = 2.59

4.3.2 विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि कक्षा सात और कक्षा आठ के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 69.25 एवं 76.78 तथा मानक विचलन 17.8 एवं 10.18 प्राप्त हुए है। इन मानों के आधार पर दोनों मानों के समूह के मध्य टी.मूल्य का मान 5.02 प्राप्त हुआ है। यह

मान स्वतंत्रता के अंश 518 के 0.01 सार्थकता के स्तर पर टी. मूल्य के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कक्षावार सार्थक अंतर है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में विषय का प्रभाव है तथा कक्षा आठ के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति कक्षा सात के विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक है। इस विवेचना के आधार पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

सारणी संख्या 4.1 से ज्ञात होता है कि कक्षा सात और कक्षा आठ के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है तथा कक्षा आठ के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति कक्षा सात के विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक है क्योंकि उनके द्वारा विज्ञान विषय को समझ कर एवं रूचि से पढ़ा जाता है। विद्यार्थी इन विषयों के माध्यम से मनुष्य के सम्पूर्ण अंगों के बारे में पढ़ते है जिससे वह पूर्ण जानकारी शरीर के अंगों के बारे में एवं उनके कार्य के बारे में रखते है। उनमें किसी भी विषय के बारे में सम्पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है।

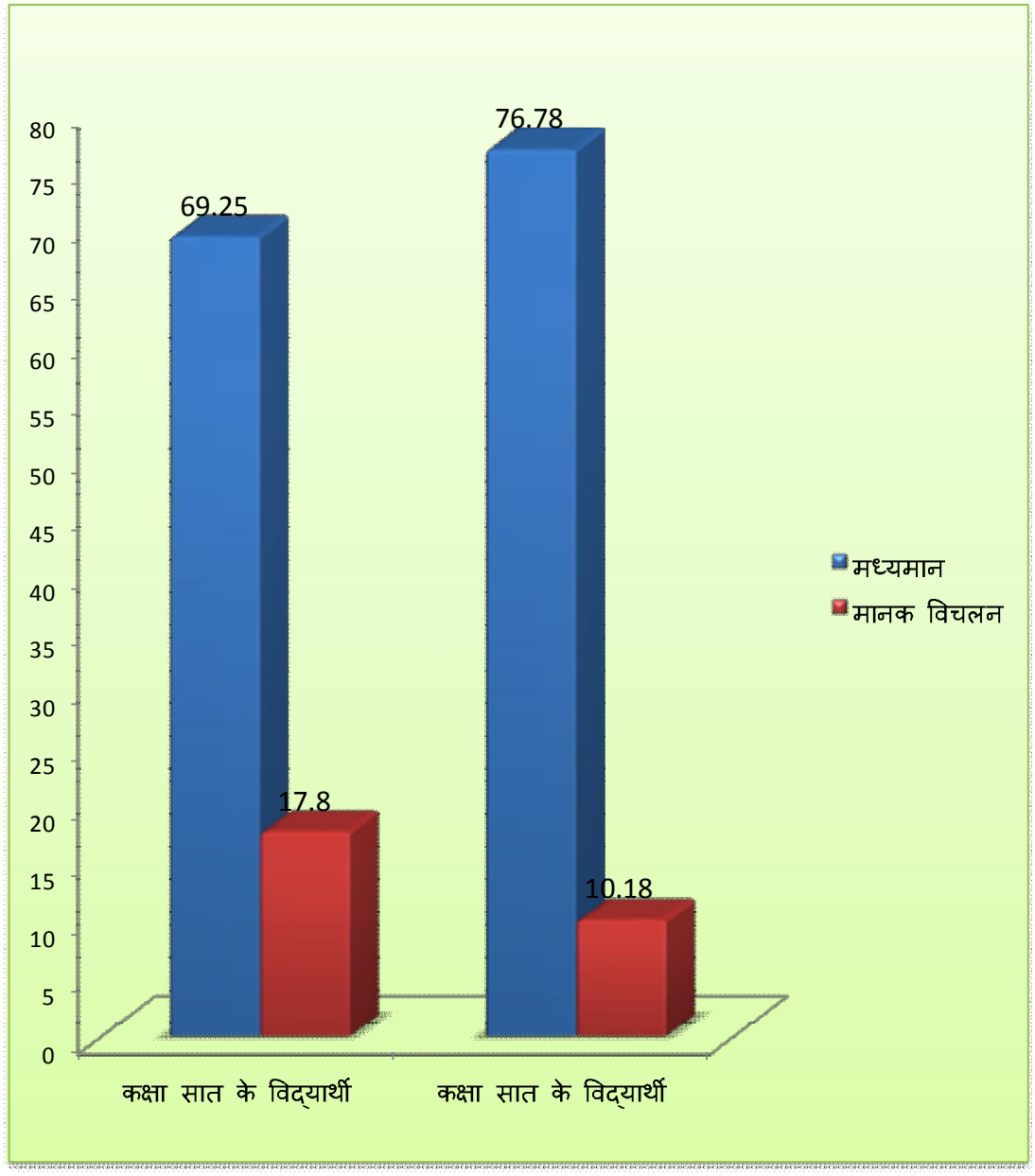

आरेख संख्या 4.1

यौन शिक्षा के प्रति कक्षावार विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

Ho_2 यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या 4.2

यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी	260	71.66	15.49	2.51	0.01 स्वीकृत
निजी विद्यालयों के विद्यार्थी	260	74.87	11.33		

$df = 518$ के लिए सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान = 2.59

4.3.3 विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी संख्या 4.2 से स्पष्ट है कि यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 71.66 एवं 74.87 तथा मानक विचलन 15.49 एवं 11.33 प्राप्त हुए है। इन मानों के आधार पर दोनों मानों के समूह के मध्य टी.मूल्य का मान 2.51 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतंत्रता के अंश 518 के 0.01 सार्थकता के स्तर पर टी. मूल्य के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से कम है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नही है, को स्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष -

यह शून्य परिकल्पना सांख्यिकी गणना द्वारा सत्य सिद्ध हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान होता है तथा उनकी रूचियाँ, अभिवृत्तियों को प्रोत्साहन हेतु शिक्षक द्वारा पूर्ण सुविधायें प्रदान कीजाती है। विद्यार्थियों के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए यौन शिक्षा की महत्ती आवश्यकता है। यह उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक व भावात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए है। किन्तु उपरोक्त सांख्यिकी विश्लेषण से यह पता चलता है कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक है राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी की अपेक्षा।

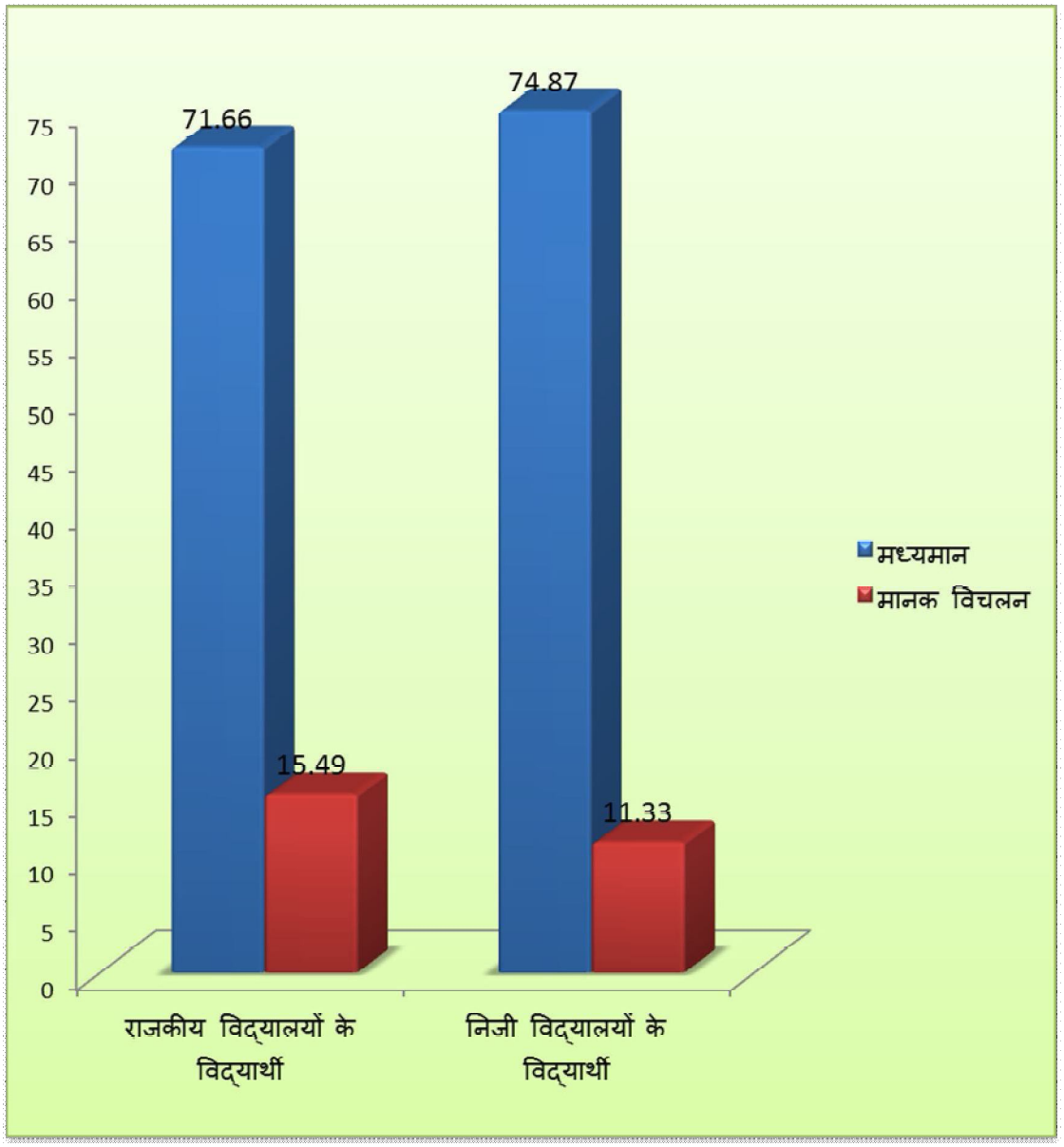

आरेख संख्या 4.2

यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

Ho_3 यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या 4.3

यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

समूह	**संख्या**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**	**टी मूल्य**	**सार्थकता का स्तर**
शहरी विद्यालयों के विद्यार्थी	260	75.961	12.84	.4.48	0.01 अस्वीकृत
ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थी	260	70.576	16		

df = 518 के लिए सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान = 2.59

4.3.4 विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी संख्या 4.3 से स्पष्ट है यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 75.961 एवं 70.676 तथा मानक विचलन 12.84 एवं 16 प्राप्त हुए है। इन मानों के आधार पर दोनों मानों के समूह के मध्य टी.मूल्य का मान 4.48 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतंत्रता के अंश 518 के 0.01 सार्थकता के स्तर पर टी.मूल्य के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। विश्लेषण के आधार पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

सांख्यिकी विश्लेषण से सिद्ध होता है कि 0.01 सार्थकता के स्तर से टी. मूल्य का मान अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है। इसके आधार पर अस्वीकृत किया जाता है। शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक है। विद्यालयों में तो समान रूप से यौन शिक्षा के विषय में जानकारियाँ दी जाती है। विज्ञान विषय के माध्यम से भी मन में उत्पन्न विभिन्न

जिज्ञासाओं को शान्त कर अज्ञान जनित भ्रम से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। जिज्ञासाओं को शान्त कर अज्ञान जनित भ्रम से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। जिज्ञासाओं को शान्त कर अज्ञान जनित भ्रम से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। अभिवृत्तियों को पूर्ण करने हेतु विद्यालय के अतिरिक्त भी सुविधा प्राप्त कर पाते है। उनमें जिज्ञासा होती है, जबकि ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थी की सोच में इन विषयों के प्रति संकुचित भावना होती है। यौन शिक्षा विषय को लेकर असहज महसूस करते है। इन विषयों के बारे में खुलकर बात करने में संकोच करते है।

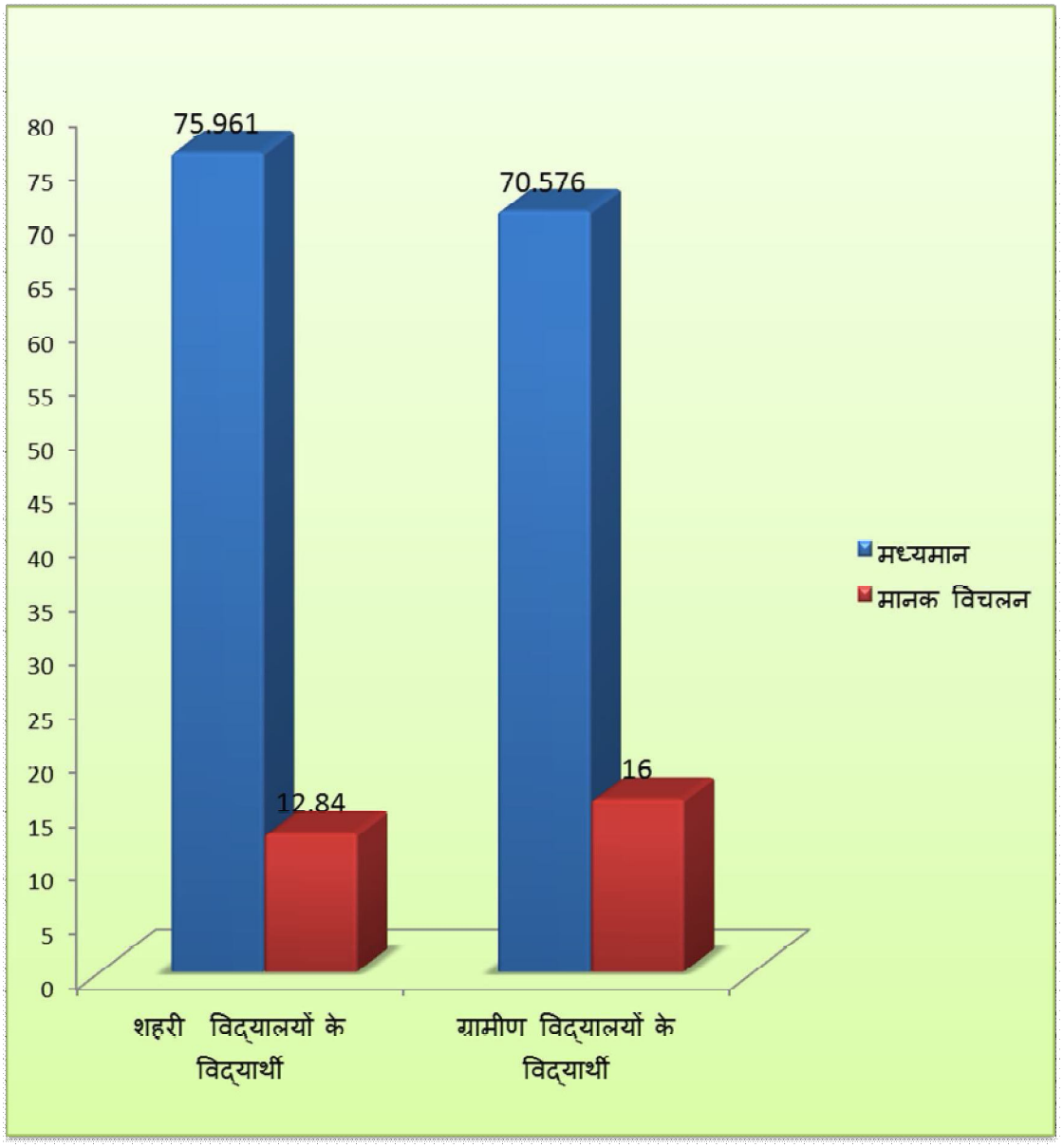

आरेख संख्या 4.3

यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

Ho_4 यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या 4.4

यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता का स्तर
उच्च प्राथमिक स्तर के बालक	260	74.833	13.74	3.55	0.01 अस्वीकृत
उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकायें	260	69.833	16		

df = 518 के लिए सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान = 2.59

4.3.5 विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी संख्या 4.4 से स्पष्ट है, यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 74.833 एवं 69.833 तथा मानक विचलन 13.74 एवं 16 प्राप्त हुए है। इन मानों के आधार पर दोनों मानों के समूह के मध्य टी.मूल्य का मान 3.55 प्राप्त हुआ है। यह मान

स्वतंत्रता के अंश 518 के 0.01 सार्थकता के स्तर पर टी. मूल्य के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। इस विश्लेषण के आधार पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष -

सांख्यिकी विश्लेषण से सिद्ध होता है कि 0.01 सार्थकता के स्तर से टी. का मान अधिक है। अतः यहाँ शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है, इसे अस्वीकृत किया जाता है। यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बालिकाओं की तुलना में सकारात्मक है। क्योंकि बालक एच.आई.वी/एड्स के बढ़ते खतरे, मादक एवं नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति जागरूक हो रहे है। वे यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखते है जबकि बालिकायें इसके प्रति संकुचित भावना रखती है। अभी भी इन विषयों के बारे में शर्म महसूस करती है। खुलकर बात करने में संकोच रखती है।

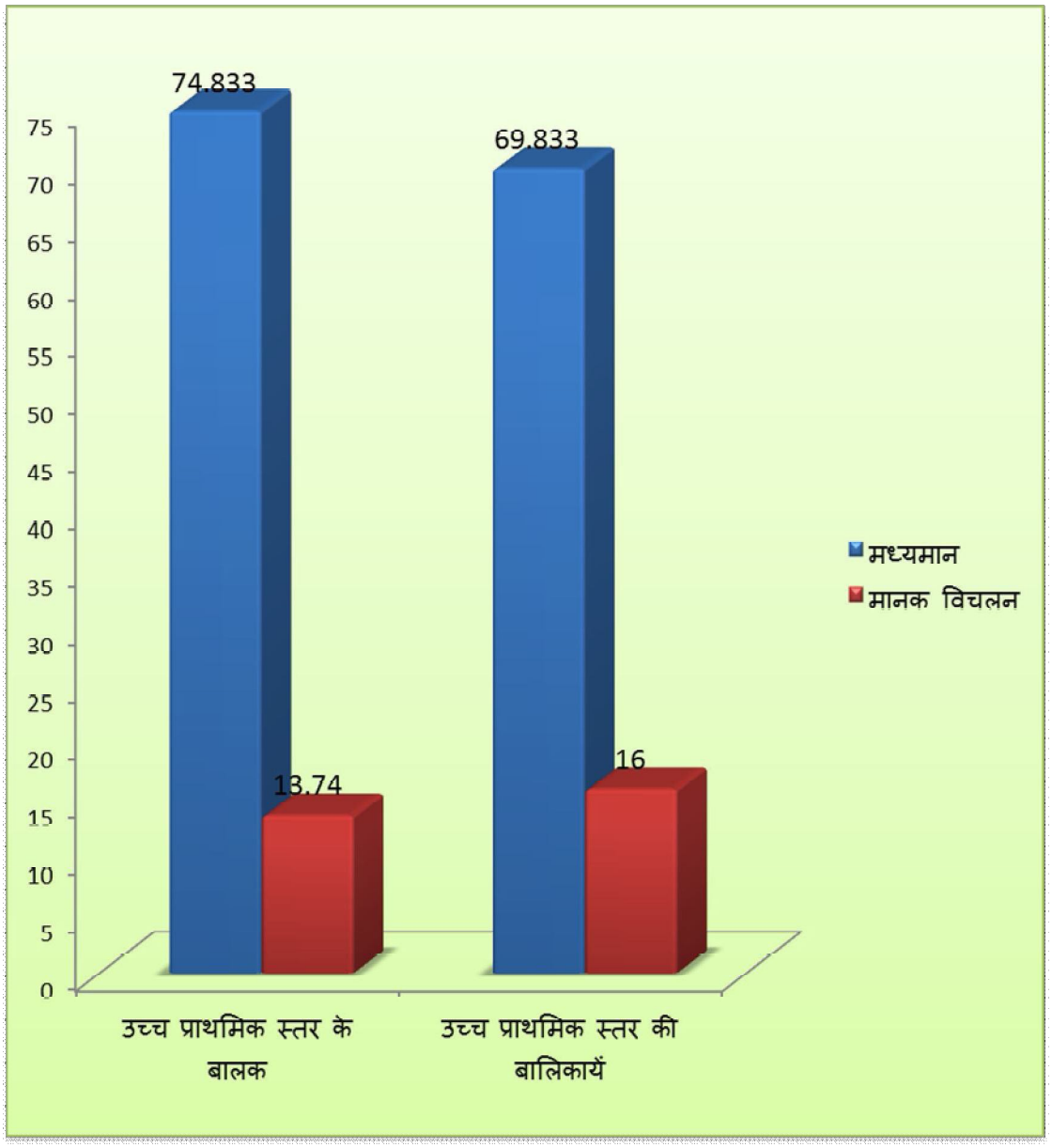

आरेख संख्या 4.4

यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति का मध्यमान एवं मानक विचलन

4.4 उपसंहार

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सांख्यिकी का उपयोग कर आंकड़ों को व्यवस्थित व सारणीयन कर विश्लेषण, व्याख्या व निष्कर्ष निकाले गये तथा अधिक स्पष्टीकरण हेतु आरेख निर्माण कर प्रस्तुत किये गये है। आगामी अध्याय में शोध सरांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

पंचम अध्याय

शोध सारांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव

पंचम अध्याय

शोध सारांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

प्रारंभिक काल से मानव की प्रकृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चिंतनयुक्त रही है। उसके मस्तिष्क में विभिन्न विचार तथा मन में नवीन आकांक्षाएँ उद्‌मासित होती रहती है। जिनकी पूर्णता हेतु वह विभिन्न शारीरिक व मानसिक सक्रियाएँ करता रहता है। इन सक्रियाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के शोध या अन्वेषण सम्पन्न होते है। इन शोध अध्ययन द्‌वारा ही वह अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करता है। प्रत्येक शोधार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शोध कार्य में कोई नवीन दिशा या हल प्राप्त करें जो चयनित समस्या के समाधान का स्थायी और व्यावहारिक उपाय हो। साथ ही शोधकर्ता का यह जानने का प्रयास रहता है कि उसके द्‌वारा किस हद तक निर्धारित उद्‌देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। शोध की उपलब्धियाँ, शोध के परिणाम, भविष्य में उसका महत्व एवं उपयोगिता आदि देखा जाना आवश्यक होता है। यही पर शोध का मूल्यांकन भी होता है।

प्रस्तुत अध्याय का उद्‌देश्य सम्पूर्ण अध्ययन का अवलोकन करते हुए निष्कर्ष, निहितार्थ तथा भावी शोध की संभावनाओं की सूची बनाना है।

निरूद्देश्य कार्य का कोई औचित्य नहीं होता है। इसी धारणावश प्रत्येक शोधकार्य में शोधकर्ता का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, उसी के आधार पर संबंधित दत्तों का संकलन किया जाता है तथा उसका विश्लेषण व विवेचन किया जाता है। जिससे अंत में महत्वूपर्ण निष्कर्षों निकाले जाते है।

प्रत्येक शोधकार्य में शोधकर्ता विषय से संबंधित परिकल्पनाएँ निर्माण करता है। इन परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के पश्चात् ही अंत में वह किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। इसके साथ ही वह यह भी स्पष्ट करता है कि जो परिकल्पनाएँ अध्ययन के लिए निर्मित की गयी थी, उनमे से कौन-कौन सी परिकल्पनाएँ तथ्यों से प्रमाणित हुई और कौन्-कौन सी अप्रमाणित सिद्ध हुई है।

प्रत्येक शोधकार्य में शोधकर्ता को अपने प्रदत्तों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय पूर्ण सावधानी व सर्तकता रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी नियम का प्रतिपादन या सिद्धान्त का निर्माण वैज्ञानिक शोध का सारतत्व है। अतः इसका स्पष्ट यथार्थ एवं सुसगत होना आवश्यक है। समय या परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने के साथ पुराने नियमों की पुनः परीक्षा और नये नियमों का प्रतिपादन अनिवार्य हो जाता है। सम्पूर्ण विज्ञान की प्रगति का यही एक मार्ग है। अतः निष्कर्ष एक सामान्य नियमों का प्रतिपादन करते समय तर्कसंगत चिंतनशीलता, व्यापक दृष्टिकोण सूक्ष्म निरीक्षण व दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है।

शोध का यह अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि क्रमबद्ध रूप से किया गया सारांश एवं निष्कर्ष सम्पूर्ण शोध का प्रतिनिधित्व करते है। प्रत्येक शोधकार्य में उस शोध की शैक्षिक उपयोगिता व भावी शोधार्थ सुझाव आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्याय में सम्पूर्ण शोध अध्ययन पर विहंगम दृष्टि डालने का प्रयत्न किया गया है। शोधार्थी द्वारा व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए यह जानने का प्रयत्न किया है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। इस हेतु संकलित तथ्यों का गहन सांख्यिकी विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधित सुझाव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

5.2 शोध प्रबंध का साराश

5.2.1 प्रस्तावना

परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, परिवार से ही बालक सामान्य शिष्टाचार सिखता है। वर्तमान में परिवार की जिम्मेदारी विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा निभायी जा रही है। बच्चों की भावनाओं और उसके बदलते स्वभाव को अभिभावक एवं शिक्षक ही सबसे पहले चिन्हित करते है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक व भावात्मक विकास होता है। सही एवं उचित शिक्षा ही मनुष्य को सामान्य प्राणी से भिन्न बनाती है। शिक्षा के बिना हम किसी आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते है। शिक्षा के द्वारा समाज में कई परिवर्तन लाये

जा सकते है तथा सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण भी शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

शिक्षा द्वारा नये समाज का निर्माण होता है। यह सदैव भविष्य के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान पाठ्यक्रम रूचिकर और विद्यालय वातावरण बालकों के स्वभाविक विकास के अनुरूप बनाया गया है। परन्तु शिक्षा के इतने सारे अध्याय होने के बावजूद भी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में शिक्षा स्वयं को स्थापित नहीं कर पा रही है क्योंकि शिक्षा बाल केन्द्रित तो है परन्तु बालकों को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से स्वयं को कैसे बाहर निकाला जाये यह नहीं सिखा पा रही है। पाठ्यक्रम लचीला तो है परन्तु वर्तमान समय में बालकों की ज्वलन्त समस्याओं को समावेशित नहीं किया गया।

प्राचीन समय से ही हमारे समाज में यौन विषयक बातों की चर्चा वर्जित मानी जाती है। निसन्देह यौनगत भावनाओं और व्यवहारों पर उस संस्कृति की गहरी छाप पड़ती है। जिसमें बालक का लालन-पालन होता है। भारतीय समाज में शिक्षित वर्ग भी इस विषय के प्रति अति संवेदनशील तथा संकुचित प्रवृत्ति वाला है।

समाज में सभी वर्ग के लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते है जिसके कारण लोगों को यौन संबंधी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शिक्षकों और अभिभावकों में यौन शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी रूचियाँ है। पूर्व में किये गये कई शोध अध्ययन के अनुसार शिक्षक अक्सर जैविक जानकारी देते है, वही माता-पिता नैतिक शिक्षा देने में अधिक रूचि रखते है। लेकिन छात्र जीवन कौशल आधारित यौन

शिक्षा में अधिक अन्तरदृष्टि प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार इन हितों पर कार्य करने और सही प्रकार से शिक्षक को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

5.3 किशोर विद्यार्थी एवं अभिवृत्ति निर्माण

यौन शिक्षा के संदर्भ में कहा जाये तो किशोर का विस्तृत वर्ग इस समस्या से ग्रसित है। उन्हें उचित शारीरिक विकास एवं होने वाले बदलाव संबंधित पहलुओं पर जानकारी नहीं मिलने से तनाव एवं यौन समस्यायें और भी बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति न तो बालक होता है और नहीं प्रौढ़ होता है। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर बाल्यावस्था से अर्जित स्थिरता पुनः अस्थिरता से बदलने लगती है। यह जीवन की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण अवस्था होती है। वह अपने प्रत्येक व्यवहार में मन में उत्पन्न भावों, मानसिक विचारों एवं सामाजिक समझ को प्रदर्शित करता है। किशोर विद्यार्थी का यही व्यवहार उसके मूल्यांकन का आधार होता है। वह अपने व्यवहार को समाज के सभी मानकों के अनुरूप एवं उसके स्तरों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। इस रूप में वह अपने निश्चित विचार को प्रकट करने हेतु कोई निश्चित व्यवहार करता है। इसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है।

अभिवृत्ति माता-पिता से प्राप्त होते हुए भी मित्र, पड़ौसी समाज, विद्यालय, पत्र-पत्रिकाओं, मीडिया आदि से प्रभावित होती है एवं समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

अभिवृत्ति हमारे सामाजिक अनुभव एवं सामाजिक व्यवहार को बनाती है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि व्यक्ति जीवन काल में ही सीखता है। वह अपने जीवनकाल में तरह-तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है तथा इन अनुभूतियों के आधार पर वह अनुकूल या प्रतिकूल अभिवृत्ति में विकसित करता है। क्योंकि अभिवृत्ति एक ऐसा मनोभाव है जो किसी विशेष घटना या विचार से होता है। सामाजिक कारक का प्रभाव अभिवृत्ति के निर्माण पर अत्याधिक पड़ता है। परिवार, विद्यालय, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरूदारे आदि ऐसी सामाजिक संस्थायें है जो व्यक्ति को समाजिक शिक्षण प्रदान करती है।

किशोर बालक में परितर्वन तीव्र गति से होने लगते है। जिस कारण उसका शारीरिक, मानसिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक अवयवों में वृद्धि के साथ-साथ रूचियों में भी परिवर्तन होने लगता है। जिस कारण उसकी रूचि विषमलिंगी सदस्यों व सामाजिक क्रियाओं आदि में बढ़ जाती है। इस अवस्था में चिन्ताओं का भी प्रभाव नजर आता है।

यौन शिक्षा के संदर्भ में कहा जाये तो किशोरों को उचित शारीरिक विकास एवं होने वाले बदलाव संबंधित पहलुओं पर जानकारी नहीं मिलने से तनाव एवं यौन समस्यायें और भी बढ़ जाती है। युवा कई मानसिक रोग, यौन रोग, और व्यवहार, एच.आई.वी. एड्स से ग्रसित हो रहे है। कई विद्यार्थी गलत संगत में फंस जाते है। अश्लील पुस्तकों, फिल्मों से जानकारी ढूंढते है। अपने आप को गलत आचरण करने को मजबूर करते है। मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते है।

विद्यालयों में प्रारंभ से यौन शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिससे किशोर विद्यार्थी अपने जीवन के प्रति जागरूक रहे। स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करें। यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करें।

5.4 यौन शिक्षा का अर्थ

यौन शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है - यौन व काम (सेक्स) संबंधी शिक्षा अथवा काम प्रवृत्ति संबंधी शिक्षा। काम प्रवृत्ति का तात्पर्य उस जन्मजात प्रवृत्ति व संवेगात्मक स्थिति से है जो व्यक्ति को विपरित लिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने तथा उसके साथ यौन संबंध करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यौन शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाअधिक वृद्धि कि जाये और वह यौन विकारों से ग्रस्त न हो। यौन शिक्षा समाज के किशोरों को अधिक ज्ञान और समझदारी देकर यौन आवेगों को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होती हैं। यौन शिक्षा एक उपचारात्मक तरीका है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से यौन समस्याओं से बचाव करता है।

5.5 यौन शिक्षा की आवश्यकता

विभिन्न अवस्थाओं और स्तरों पर यौन शिक्षा प्रदान करने का बहुत समय से विवाद विद्यालयों में प्रारंभ से यौन शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अनुक्रिया प्राप्त करने में असफल रहा है। जहाँ तक यौन शिक्षा प्रदान करने की समुचित अवधि का संबंध है। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का कोई नियम या निश्चित समय नहीं होता है। अनौपचारिक यौन शिक्षा किसी भी समय प्रारंभ की जा सकती है। जहां तक औपचारिक शिक्षा का प्रश्न है, यौन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ साधारण प्रयास किये गये है। शिक्षाविद् यौन शिक्षा को पाठ्यचर्या में प्रासंगिक विषय-वस्तु और उचित कार्यनीतियाँ सम्मिलित करने का सचेत प्रयास कर रहे है। यौन शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि रोकने एवं परिवार नियोजन हेतु जरूरी है। सामाजिक बुराई रोकने हेतु भी यौन शिक्षा की आवश्यकता है।

5.6 उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति

उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की वर्तमान स्थिति देखने के लिए इस स्तर की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कक्षा छः की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में यौन शिक्षा से संबंधित कोई भी अध्याय सम्मिलित नहीं किया गया। कक्षा सातवीं की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक में अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ नामक एक अध्याय है। इस अध्याय में बालकों एवं बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन आवाज में परिवर्तन तथा एक ही आयु के बालकों में विभिन्नता के बारे में बताया गया है जो कि यौन शिक्षा का ही एक रूप है।

कक्षा आठवीं की विज्ञान विषय में स्वास्थ्य एवं बचाव नाम एक अध्याय है। जिसमें विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों उसके कारण एवं बचाव के विषय में वर्णन किया

गया है। कक्षा सात एवं कक्षा आठ में यौन शिक्षा से संबंधित अध्याय कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा समझाया जाता है।

वर्तमान में बढ़ते हुए यौन अपराधों एवं दुराचारों के कारण विद्यार्थियों को प्रारंभ से [illegible] है। कक्षा [illegible] में यौन शिक्षा से संबंधित अध्याय कुशल और प्रत्यक्ष रूप से यौन शिक्षा नही दी जा सकती है, परन्तु इस स्तर के बच्चों को सही या गलत स्पर्श के बारे में समझाकर विपरित लिंग की उचित जानकारी प्रदान करके तथा प्रजनन क्रिया को समझाकर यौन शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

5.7 समस्या का औचित्य

बालक के जीवन में यौन बोध प्रवृत्ति अत्यधिक महत्व डालती है। अतः बालक के समुचित शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से उसे यौन संबंधी वांछित जानकारी उचित अवसर पर दिया जाना जरूरी है। जिसमें यौन शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में विद्यार्थी अन्य विषयों को गंभीरता से लेता है, किन्तु यौन शिक्षा से संबंधित जानकारी बहुत सारे स्रोतों से एकत्रि करना चाहते है। जिससे कई बार गलत जानकारी जुटा लेता है या अश्लील साहित्य के प्रति रूचि बढ़ जाती है। कई बार समाज में किशोर पाश्चात्य जगत में विद्यमान यौन आचरण के खुलेपन व उन्मुक्तता से प्रभावित रहते है। यौनगत आचारण के खुलेपन ने यौन शिक्षा के विचार को जन्म दिया। यौन शिक्षा का उद्देश्य भारतीय जनमानस पटल पर उभरे जननांगों के संबंध में कथित दकियानुसी विचारों को

समाप्त कर इन अंगों के प्रति सही जागरूकता लाना होता है। अतः वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की क्या स्थिति है तथा यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की क्या अभिवृत्ति है इसको जानने के लिए शोधार्थी ने इस समस्या का चयन कर शोधकार्य करने का मानस बनाया, क्योंकि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवनकाल में यौन आवश्यकता प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य को समझना आवश्यक है।

5.8 शोध समस्या कथन

"उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की स्थिति एवं उसके प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति'

"Status of Sex Education at Upper Primary Level and Attitude of Students towards it"

5.9 शोध अध्ययन के उद्देश्य

1 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा की स्थिति का कक्षावार अध्ययन करना।

2 उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

3 उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

4 उच्च प्राथमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

5 उच्च प्राथमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना।

6 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक, बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.10 शोध परिकल्पनाएँ

1. यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है।

2. यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

3 यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं हैं।

4 यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं हैं।

5.11 अध्ययन में प्रयुक्त पदों का परीभाषीकरण

तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना जरूरी होता है क्योंकि एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

1. **राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी -** जिनका शिक्षण कार्य सरकारी नीतियों एवं सरकारी अध्यापकों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

2. **निजी विद्यालयों के विद्यार्थी -** जिनका शिक्षण कार्य निजी संस्थाओं एवं निजी नियुक्त अध्यापकों द्वारा सम्पन्न होता है।

3. **किशोर-** शोध अध्ययन में किशोर से आशय 12 वर्ष से 14 वर्ष के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी व निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है।

4. **उच्च प्राथमिक स्तर-** प्रस्तुत शोध कार्य में उच्च प्राथमिक स्तर से तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा की कक्षा छः से कक्षा आठ तक से है।

5. **यौन शिक्षा** - यौन शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाधिक वृद्धि हो और वह यौन विकारों से ग्रस्त

न हो। यौन विकृत्तियों से बचने एवं सेक्स के प्रति स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास करना ही यौन शिक्षा कहलाती है।

6. **अभिवृति -** अभिवृति किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। प्रस्तुत शोध में अभिवृति से तात्पर्य उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण से है।

5.12 शोध समस्या का सीमाकंन

1 प्रस्तुत शोध कार्य को कोटा जिले तक सीमित रखा गया है।

2 शोध अध्ययन में केवल 12 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

3 शोध अध्ययन में कक्षा सातवी व आठवी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

4 शोध अध्ययन में कोटा क्षेत्र के निजी व सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है।

5.13 शोध अध्ययन विधि

शैक्षिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का अत्याधिक महत्व है तथा बड़े व्यापक रूप से व्यवहार में ली गई विधि है। यह वर्तमान समय में विद्यमान तथ्यों का अध्ययन वर्णन तथा व्याख्या करने का उत्तम साधन है।

शोधकार्य की सफलता उसकी योजना व अध्ययन विधि पर काफी सीमा तक आधारित होती है। अतः प्रस्तुत शोधकार्य में शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

5.14 जनसंख्या एवं न्यादर्श

जनसंख्या के रूप में प्रस्तुत शोध में कोटा जिले के उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा छः से कक्षा आठ तक के समस्त विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। न्यादर्श के रूप में शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा 520 विद्यार्थियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के राजकीय एवं निजी विद्यालयो से यादृच्छिक चयन विधि द्वारा चयनित किया गया है।

5.15 शोध से संबंधित साहित्य

शोध अध्ययन से संबंधित चरों पर विदेशों व भारत में किये गये अनुसंधानों का पुनरावरोकन किया गया है।

यह अधिकांश यौन शिक्षा के प्रति छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, महिलाओं की अभिवृत्ति, जागरूकता, विचारों को दर्शाता है।

5.16 शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

शोध अध्ययन की प्रकृति के अनुसार स्वनिर्मित उपकरण की आवश्यकता को देखते हुए शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध के लिए स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया है। यह परीक्षण केवल यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति जानने के लिए किया गया है।

5.17 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी के अंतर्गत शोधार्थी ने क्रमशः निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग किया है -

1. मध्यमान
2. मानक विचलन

3. टी. परीक्षण

4. आंकड़ों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन

5.18 शोध अध्ययन के निष्कर्ष

किसी भी शोध अध्ययन के परिणामों को जानने की जिज्ञासा मस्तिष्क में हमेशा रहती है। प्राप्त परिणामों के माध्यम से यह देखना चाहता है कि जिस कार्य के लिए उसने उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ निर्धारित किये थे, उनकी पूर्ति शोधार्थी द्वारा किस सीमा तक हुई है। परिकल्पना के परीक्षण के बाद जो सम्प्राप्तियाँ प्राप्त हुई उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये उनकी व्याख्या निम्नलिखित है।

Ho_1 यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

कक्षा सात और कक्षा आठ के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 69.25 एवं 76.78 तथा मानक विचलन 17.8 एवं 10.18 प्राप्त हुए है।

यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक 5.02 प्राप्त हुआ है जो कि 0.01 स्तर के सारणीयन मान 2.59 से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कक्षावार सार्थक अंतर है।

अतः इस विवेचना के आधार पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के अभिवृत्ति की स्थिति में कक्षावार सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में विषय का प्रभाव है तथा कक्षा आठ के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति कक्षा सात के विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक पायी गयी है क्योंकि उनके द्वारा विज्ञान विषय को समझकर एवं रूचि से पढ़ा जाता है। विद्यार्थी इन विषयों के माध्यम से मनुष्य के सम्पूर्ण अंगों के बारे में पढ़ते है, जिससे वह पूर्ण जानकारी शरीर के अंगों के बारे में एवं उनके कार्य के बारे में रखते है। उनमें किसी भी विषय के बारे में सम्पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है।

Ho_2 यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 71.66 एवं 74.87 तथा मानक विचलन 15.49 एवं 11.33 प्राप्त हुए है।

मध्यमानों की अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी. परीक्षण का मूल्य 2.51 प्राप्त हुआ है जो कि 0.01 स्तर के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से कम है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इसे स्वीकृत किया जाता है।

इससे स्पष्ट होता है कि यौन शिक्षा के प्रति राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान होता है तथा उनकी रूचियों, अभिवृत्तियों को प्रोत्साहन हेतु शिक्षक द्वारा पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।

विद्यार्थियों के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए यौन शिक्षा की महत्ती आवश्यकता है। यह उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक व भावात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए है। राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक है।

Ho_3 यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 75.961 एवं 70.676 तथा मानक विचलन 12.84 एवं 16 प्राप्त हुए है।

मध्यमानों की अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी. परीक्षण का मूल्य 4.48 प्राप्त हुआ है जो कि 0.01 स्तर के सारणीयान मान क्रमशः 2.59 से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

इससे स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक है। विद्यालयों में समान रूप से यौन शिक्षा के विषय में जानकारियाँ दी जाती है। विज्ञान विषय के माध्यम से भी मन में उत्पन्न विभिन्न जिज्ञासाओं को शान्तकर अज्ञान जनित भ्रम से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकारों की जानकारी एवं उससे संबंधित भ्रान्तियों का निराकरण किया जाता है। शहरी विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी रूचियों एवं अभिवृत्तियों को पूर्ण करने हेतु विद्यालय के अतिरिक्त भी सुविधा प्राप्त कर पाते है। उनमें जिज्ञासा होती है। जबकि ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थी की सोच इन विषयों के प्रति संकुचित भावना होती है। यौन शिक्षा विषय को लेकर असहज महसूस करते है। इन विषयों के बारे में खुलकर बात करने में संकोच करते है।

Ho_4 यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 74.833 एवं 69.833 तथा मानक विचलन 13.74 एवं 16 प्राप्त हुए है। मध्यमानों की अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी. परीक्षण का मूल्य 3.55 प्राप्त हुआ है जो कि 0.01 स्तर के सारणीयन मान क्रमशः 2.59 से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित शून्य परिकल्पना यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

इससे स्पष्ट होता है कि यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के बालक एवं बालिकओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। बालकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बालिकाओं की तुलना में सकारात्मक है, क्योंकि बालक एच.आई.वी./एड्स के बढ़ते खतरे, मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति जागरूक हो रहे है। वे यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखते है, जबकि बालिकायें इसके प्रति संकुचित भावना रखती है। अभी भी इन विषयों के बारे में शर्म महसूस करती है। खुलकर इस विषय में बात करने में संकोच रखती है।

5.19 शैक्षिक निहितार्थ

शैक्षिक शोध कार्य का शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सम्यक विकास करना है जिससे बालक राष्ट्र के हित में कार्य कर राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। शिक्षा ही राष्ट्र, समाज की प्रगति, विकास, परिवर्तन और स्थिरता का मुख्य साधन है।

प्रस्तुत शोध शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यौन शिक्षा का महत्व विशेष रूप से किशोर विद्यार्थियों में है जो बालक को काम प्रवृत्ति से संबंधित ज्ञान प्रदान कर उसे समाज द्वारा स्वीकृत माध्यमों द्वारा संतुष्ट करने के उपायों को बताकर उसका शोधन, मार्गान्तरीकरण व विकास करती है, जिससे विद्यार्थी अपना शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास करते हुए स्वस्थ व्यक्तित्व पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके।

यौन शिक्षा द्वारा किशोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, मस्तिष्क भावी जीवन पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे ज्ञात करने का प्रयास इस शोधकार्य द्वारा किया गया है। इसके आधार पर हम यौन शिक्षा के पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्तर पर विभिन्न लाभदायक पहलुओं पर विचार कर सकते है साथ ही विद्यालय में विभिन्न स्तर पर यौन शिक्षा नियमित कक्षाओं में विद्यार्थियों को जागृत करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत प्राप्त निष्कर्षों से शोध अध्ययन की निम्नलिखित उपादेयता निकल कर सामने आती है।

1. किशोर विद्यार्थी भावी राष्ट्र का कर्णधार है। अतः विद्यार्थियों को यौन शिक्षा प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा।

2. यौन शिक्षा के द्वारा किशोर विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास किया जा सकेगा।

3. किशोर विद्यार्थियों में अंग विकास प्रक्रिया से तनाव उत्पन्न हो जाते है। इन तनावों को कम करने हेतु अन्य विषयों के साथ यौन शिक्षा देना आवश्यक है।

4. यौन शिक्षा के माध्यम से विपरीत लिंग के प्रति आदर भाव उत्पन्न कराया जा सकेगा।

5. यौन शिक्षा विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर लाभकारी है।

6. यौन शिक्षा किशोरों को बढ़ते यौन अपराध, हत्या, आत्महत्या व बलात्कार जैसी घटनाओं से बचाने में सहायता प्रदान करेगा।

7. किशोरों को तेजी से बढ़ते एच.आई.वी./एड्स बढ़ते खतरे से अवगत करने के लिए यौन शिक्षा लाभकारी है।

8. किशोरों को विवाह से पूर्व यौन संबंधों के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिये यौन शिक्षा उपयोगी है।

9. यौन शिक्षा किशोरों में मादक एवं नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए उपयोगी है।

10. यौन शिक्षा के द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकारों की जानकारी देना एवं संबंधित भ्रान्तियों का निराकरण करने के लिए आवश्यक है।

11. यौन शिक्षा किशोरों के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है।

12. यौन शिक्षा के द्वारा पुराने व नये मूल्यों में सामन्जस्य स्थापित करने की सोच विकसित की जा सकती है।

13. यौन शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा किशोर विद्यार्थी उनके शारीरिक परिवर्तनों एवं सेक्स संबंधी समस्याओं को लेकर जो भी जिज्ञासायें मन में उनका समाधान प्राप्त कर सकता है।

14. यौन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपना नैतिक उत्थान व चारित्रिक विकास कर सकेंगे।

15. यौन शिक्षा द्वारा किशोर विद्यार्थियों में तनाव, कुण्ठा, दुश्चिंता व अवसाद जैसे विकारों को दूर किया जा सकेगा।

5.20 भावी शोध हेतु सुझाव

शोध अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भावी शोध हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये गये है -

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल कोटा जिले को ही लिया गया है, भावी शोध हेतु राजस्थान राज्य के अन्य संभागों को भी सम्मिलित करके शोध कार्य किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत शोध अध्ययन को व्यापक बनाते हुए पूरे संभाग के सरकारी व निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को आधार बनाकर शोधकार्य किया जा सकता है।

3. शोध अध्ययन को ग्रामीण व शहरी विद्यालयों के शिक्षकों की तुलनात्मक अभिवृत्ति के रूप में किया जा सकता है।

4. शोध अध्ययन को राजकीय व निजी विद्यालयों में शिक्षकों के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया जा सकता है।

5. शोध में प्रयुक्त अभिवृत्ति मापनी के प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

BIBLIOGRAPHY

- Aborto (1997), Under Seige : Sexuality Education in the Public Schools; *Internet Article.* Accessable at http://www.aborto.com/escoIa I.htm.

- Abraham. Leena and Kumar, Anil (1998), Sexual Experiences and their correlates among Co1lege sudents in Mumbai City, India: *International Family Planning Perspective,* V1.25, No.3, PP. 139-146 and 152, 199.

- Aggarwal, D. (1994), Can sex as a subject find place in Indian Schools? New Delhi; *Pioneer* (December 20th) Also accessable at http://www.agi-usa.org/pubs/journals/25 I 3999.html.

- American Civil Liberties Union(1998), Campaigns to Undermine Sexuality Education in the Public Schools: *Internet Article,* Accessable at http:/www..aclu.org/ issues/reproductlsex-education. html.

- Athar, Shahid (2000), Sex Education. Teenage Pregnancy, Sex and Marriage: Is- lamic Perspective: *Internet Article,* Accessable at http:/www.crescent.Iifelcom/ articles/sex-education. html.

- Bailey, J.M. and Zucher, K.J. (1995). Childhood Sex-Typed Behaviour and Sexual Orientation: A Conceptual Analysis and Quantitative Review; *Developmental Psychology,* Vol.31, No. I : pp. 43-55.

- Baker, E.A. (1946), C*assell's New English Dictionary:* New York; Cassell & Com pany Ltd.

- Bali, Prema(1999)'Sex Education-For whom? New Delhi; *Hindustan Tunes, (August* 8th)

- Bali, Prerna. (2000), Need for Sex Education. New Delhi, *The Hindusthan Times, (Feb. 2').*

- Barneti, Barbara, (1997), Education Protects Health. Delays Sex: *Internet Article,* Accessable at http:/www.fh.ogr/enlfppuhs/nciworkjV 17-3/nt I 734.html.

- Bean. Scott W. (1992), *Human Sexuality: A Resource Guide for Parents and Teachers;* Utah: Utah State Office of Education.

- Beaumont L.S. (1996). Adolescent Girls' Perceptions of Conversations with Mothers and Friends: *Journal of Adolescent Research* Vol.11, No.3. pp 325-346.

- भादरायु एवं विचारजनी (1996), यौन शिक्षा संबंधी स्वयं निर्देशित विषयवस्तु का प्रभाव एवं यौन संबंधी दृष्टिकोण, राजकोट, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय।

- भारत सरकार (1978), शिक्षा परिभाषा कोश, नई दिल्ली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग।

- Bhattacharjee, Swati (l998), 'No more hesitation on sex education : Let's open the the main door', CaIcutta *:Ananda Bazaur Patrika* (25" November)

- BIOS peter (1962). *On Adolescence: A Psychoanalytic* Interpretation, New York, The Free Press.

- Capaldi M.D., The Reliability of Retrospective Report for Timing First Sexual in tercourse for Adolescent males; *Journal of Adolescent Research* .VoI.ll ,No.3; pp.375-387.

- Cone, Jason Topping (1999) Mongolians eager to teach children tough Lessons in Sex Education; NewYork, *Earth Thnes News Services* (January 9th), Accessable at http::/www.Carthtimes0 populaflonmongoansegerjan9-99 .htm.

- Conger, J.J. and Petersen, A.C. (1994), *Adolescence and Youth: Psychological Development in a changing world,* New York: Harper and Row Publishers.

- Dallas, Dorothy M. (1992), Sex Education in School and Society; *The National*
  Foundation for Education Research in England and Wales; United Kingom. DeCarlo, Pamela (1996), *Does Sex Education Work?* Call fornia; University of California

- Dharker, Anil 1(1997), Children are People too, New Delhi; *Times of India* (June 12th).

- दिवाकर व महन्गले (1991) महाविद्यालयों के अध्यापकों के यौन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन, पुणे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।

- Goldenson, Robert and Anderson, Kenneth (1 992) *Sex A-Z;* Delhi; Goyal Saab Publishers and Distributors.

- गोयल, सतीश (2000), वृहत्वात्स्यायन कामसूत्र, नई दिल्ली, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा.) लिमिटेड।

- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू व जेम्स, वी खान, (1986), रिसर्च इन एजूकेशन न्ययार्क: प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि.

- भार्गव, महेश, (2006), आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन, कचहरी घाट आगरा: पुस्तक प्रकाशन
- कपिल, एच.के. (1995), अनुसंधान विधियाँ, मेरठ: भार्गव भवन
- कप्लान, आर.एम. (1987), बेसिक स्टेटिस्टिक फॉर दि बिहेवियरल साइन्स, लन्दन: एलन एण्ड बेकन प्रिन्टर्स
- करलिंगर, एफ.एन. (1967), फाउण्डेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च न्यूयार्क, हालट रेनहार्ट एण्ड विन्सटर
- लिंगक्विस्ट, इ.एफ. (1970), स्टेटिस्टिक एनालिसिस इन एजुकेशन रिसर्च, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच. पब्लिशर्स कॉपरेशन
- पाठक, आर.पी. व भारद्वाज, अमिता पाण्डेय, (2012), शिक्षा में अनुसंधान एवं सांख्यिकी, नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स
- राय, पारसनाथ, (2010), अनुसंधान परिचय, आगरा: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशक
- Verma, Monisha (2000). *Need Dialogue on Reproductive and Sexual Health;* New Delhi, Swaasthya
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (1999), चंपा और मोहन की कहानी: प्रजनन अंगों की बीमारियों की चर्चा: नई दिल्ली, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ व नाको।

- Watsa. *M.C.(* 1990), *Teenagers Ask—The Doctor Answers:* Mumbai, Family Planning Associate of India.
- Watsa. M.C. (1999). Sexual Health: The Slow Path to Progress; *Real Lives;* issue. IV, Dec- 1999.
- Accessable at http://WWW. \ippf.org/regions/sar/rllissue4j ha1th.htm.
- Whitehead. DafoeB. (1994), The Failure of Se Education *Atlantic Monthly,* Oct. *1994*
- यादव, राजेन्द्र (1993), सेक्स को तो फ्री होना ही था, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहारा (29 अगस्त)
- Yowell, C.M. (1997). 'Risks' of Communication : Early Adolescent Girls', conversations with Mothers and Friends about Sexuality; *Jounial of Early Adolescence,* Vol.17, No. 2, ppl 72-196.
- युवा शिक्षा श्रृंखला (1993), परिवर्तन का स्वागत (किशोरियों के लिए मार्गदर्शिका), मुम्बई, एफ.पी.ए.आई. एवं जबलपुर, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सलाह केन्द्र।
- Grunseit A. Kippax S'. Angleton P., Baldo M. and Slutkin G. (1997), Sexuality Education and Young Peopl'' Sexual Behaviour: A Review of Studies; *Journal of Adolescent Research',* Vol.12. No.4, pp42 I -453.
- Handa. Amita (1994). A Study to identity the learning Needs of High School students on Human Sexuality: *Unpublished M. Sc. Dissertation:* Delhi, R . K., College of Nursing. Univ. of Delhi.
- Hawes, J. and Hawes, C. (1982) Concise Dictionary *of Education:* New York, Reinhold company.

- Haynes. M (1997), Sex Education Ought to Emphasize Basic Ethical Values of Community; Internet Article, Accessable at http://www.feic.org/rellgionl haynescolfhayfles 30.htm.

- Hopper.W.A.F. (1998). Helping Adolescents *Unpublished article* NewYork. USA.
  Hughes. William (1999). School Liability for Student Sexual Harassment, *American Secondary Education.* Vol.28. No.2.

- Kak. B.L. (2000). A to Z about Sex to be Taught in Schools: *Internet Article,* Accessable at http://www.diIyexCelSiOr.com/00j 9/edit. Htm/#3

- Kapur, Malavika. *(1997).Menral Health in Indian Schools:* New Delhi, Sage Publications India Pvt. Ltd.

- Khan. Samecra. (1998). Negative Attitudes towards adolescent sex lead to higher risk of pregnancies; New Delhi. *The Times of India* (June21'). Also accesable at http://w4 w.education Lirnes.com/fileSt9b. htm.

- King. Helen (1994). Sowing the Field: Greek and Roman Sexology in Porter Roy and Teich Mikulas (Ed.). *Sexual Knowledge, Sexual Science : The history of Attitudes w Sexuality:* United Kingdom; Cambridge University Press.

- Kothari, Prakash(l 994). *The National Sexual Health Education Programme :A Draft Proposal:* Mumbai.

- Kothari Prakash *(1995),* Impotence: Is the Cure in the body or mind? New Delhi, *Times of India* (February 21st)

- kothan, Prakash(2000),Towards a Sexually Healthy Society; New DeihiTheTimes of India (January 269. Accessable at http://www.ti mesofindia.comitoday/ 26repu I 9.htm.

- Dear, Dana (1997), *Sex and Sexuality.. Risk and Relationships in the age of AIDS:* New Delhi. Sage Publications.

- Leslie, Julia (1994), 'Some Traditional Indian Views on Menstruation and Female

- Sexuality' in Portel Roy and Teich Mikulas (Ed), *Sexual Knowledge. Sexual Science: The Mystey at Attitudes to Sexuality:* United Kingdom. Cambridge University Press.

- Sex Information and Education Council of Canada (1999), Common Questions about sexual Health Education: Internet Article, Accessable at http:/www.seiccan.org/page27.html.

- Sex Informaon and Education Council of Unitate state (1999), Sex Education: *ingernet Article,* Accessable at http:/ www.jntjmacy inatitute Com/sex-data/topics/sex-ed.html.

- शालिनी (1999), 'लाल किताब;' 'नीली किताब' एवं 'कुछ फंडे'; नई दिल्ली तारशी।

- Shankar, Uday and Shankar Lakshmi (1978), *Sex Education: New Delhi. Sterling*
  Publishers Pvt. Ltd.

- Sharma Vinit et al (1996) *Sexual Behaviour of Adolescents Boys : A* cause for conc*ern;* A Project Study, Gujarat, Swami Medical College

- शर्मा, सुधीर (1997), किशोरावस्था शिक्षण-क्यों, क्या, और कैसे? सोलन, हिमाचल प्रदेश; राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

- शर्मा, सुशील (1999), स्कूलों में यौन शिक्षा क्यों? नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स (9 दिसम्बर)।

- Sharma, Upma (2000), *AIDS Education in 50 Government Schools of Delhi;* Re.port Submitted to UNESCO, N. Delhi.

- Siddiqul, Samana (1997), The State of Sex Education in Muslim Schools; Chicago,
  Sound Vision Foundation, Inc. Accessable at http:/www.soundvision.com/ education/sex/Mus. shtml.

- Singh, S.K. (1997), *Dictionary of Education;* Delhi, Commonwealth Publishers.
  Sundararajan, Prema (2000), Development of a need based Mental Health Programme forAdolescent Girls; *Unpublished Docroral Dissertation,* Delhi; CIE, Deptt. of Education, University of Delhi.

- Swaasthya (1999), Role of Skills Building in Adolescent Education; New Delhi, *Swaasthya.*

- Thomas, S. (1996), *Handbook on AIDS Home Care;* New Delhi, World Health Organisation.

- Ty1er, P.E. (1994), A Cultural Revolution: Sex Talk in China; New York, *The New York Times* (November 8).

- UNICEF(1993), *VIPP.. Visualisation Participatory Pro grainmes;* a Manual prepared by Communication and Information Section; Bangladesh, UNICEF.

- वाजपेयी, अशोक (1993), रति का उत्तराधिकार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहारा (29 अगस्त)

- *A Packugeof Materials:* National Population Education Project, Department of Education in *Social* Sciences and Humanities: *New* Delhi. NCERT. panikar. Lalita *(1*997), Troubled Teens: The Unseen Generation in india; New Delhi
  Times of India (October 10th)

- परमहंश, रमेश (1993), सेक्स-निषेध की बात करने वाले ढोंगी है, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहारा (29 अगस्त)

- *People* for the American Way. (1996). 'TEACHING FEAR : The Religions Right's
  Campaign against Sexuality Education: *Religious Right,* USA, Accessable at hup://pfaw.org/iSSUCS/rightlteachmg fear 96. shiml.

- Planned Parenthood Federation ofAmerica (1990), *Sex Education and Birth Controt: Pro' What you should know about sexuality Education.* Accessable at
  http: www.nonline. corn/pro/html/pro Sex Ed. htm.

- Population Education Programme Service (1991). *Adolescence Education : Physical Aspect (Module* one), *Social ,A spect* (Module Two), *Sex Roles* (ModuleThree). *Sexuality Transmitted Diseases* (Module Four); Bangkok. Unesco Principal Regional Office for Asia and the Pacific.

- Prabliu. Vithai (1998). *A Franiework ofSex Education: Guide Lines for Sex Education Adolescents:* Mumbal. Majestic Prakashan, Also accessable at lntp:/fwww.hsph.harvard.edu/orgfhca/thnet/s.asIa/ suchana/0500/h065/html.

- प्रसाद, गीता (1998), किशोरावस्था-शिक्षा, पटना; जनसंख्या शिक्षाकोशांग, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार।

- पुरोहित, शरतचंद्र (1998), नई राहें (द्वितीय) किशोरावस्था शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ, उदयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।

- Rafei. *U.* M. *(1999). Teaching HIV/AIDS in the Medical Schools;* New Delhi, World Health Organisation.

- *Rai,* Usha(1994). Virginity is no Longer a Sacred thing with them! New Delhi, *Times of India* (November 29th).

- Raj, Dev (1998), Health-India: HIV Compels Sex Education in Indian Schools; *Inter Press Service* (November *19th).*Also accessable at http://www.ips.org

- राजवाड़े, वि.का. (1998), भारतीय विवाह संस्था का इतिहास; नई दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिं गहाउस (प्रा.) लिमिटेड।

- Rao, V.K. (2001), *Sex Education;* New Delhi, A.P.H. Publishing Corporation. *Rey,* Heniforci (1994). *When* Sex Education Fails; New Delhi, *Pioneer(December 20th):*

- Rogers, D. (1998), *Adolescents and Youth (5th s*Edition); New Jersey, *State* University *of* New York.

- Scottish Executive (2000), Report on the working group on Sex Education in Scottish Schools; *Internet article,* Accessable at http:/www.scotland.gov.uk.li-

प्रकाशित शोध पत्र

परिशिष्ट

Multi-disciplinary International Journal

Certificate of Paper Publication

Shrinkhala

E-ISSN 2349-980X
P-ISSN 2321-290X

SJIF- 6.746
GIF-0.543
IIJIF-6.038

RNI UPBIL/2013/55327
Indexed Google scholar

Shrinkhala Ek Sodhparak Vaicharik Patrika

This is to certify that the paper titled उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति – एक अध्ययन

Authors	Designation	Department	College
सुषमा सिंह	डीन	शिक्षा शास्त्र	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत
विनिता शर्मा	शोधार्थी	शिक्षा शास्त्र	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

has been published in our Peer Reviewed International Journal
vol. 8 issue 4 month December year 2020
The mentioned paper is measured upto the required.

Rajeev Misra
Dr Rajeev Misra
(Editor/Secretary)

H-04

Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation
Non Governmental Organisation
10/ SR/05/10224/ Tika Ram
128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011
(Con) 0512-2600745, 9335332333, 9839074762 (E-mail) socialresearchfoundation@gmail.com (Web) : www.socialresearchfoundation.com

Peer Reviewed
ISSN (P) : 2321-290X ★ (E) 2349-980X
VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Peer Reviewed / Refereed Journal

द्विभाषीय - मासिक

The Research Series

Shrinkhala
शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.921 (2018)
GIF = 0.543 (2015)
IIJIF = 6.038 (2018)
SJIF = 6.746 (2020)

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति – एक अध्ययन

Attitude Towards Sex Education of Upper Primary Level Students - A Study

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 27/12/2020, Date of Publication: 28/12/2020

सुषमा सिंह
डीन
शिक्षा शास्त्र विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

विनिता शर्मा
शोधार्थी
शिक्षा शास्त्र विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

शिक्षा के द्वारा नये समाज का निर्माण होता है। वर्तमान में बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, विद्यालय पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को सम्मिलित कर उन्हें अपने शरीर में हुए परिवर्तनों की जानकारी देना। जिससे उनके मन मस्तिष्क में कोई गलत धारणाऐं न बैठे। यौन शिक्षा के द्वारा बालक के स्वास्थ्य एवं विकास में अधिकाधिक वृद्धि हो ओर वह यौन विकारों से ग्रस्त ना हो। यौन शिक्षा एक उपचारात्मक तरीका है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से यौन समस्याओं से बचाव करता है। यह शोध कार्य वर्तमान में यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति कैसी हो? जानने की कोशिश की गई कोटा शहर के उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से यौन शिक्षा के द्वारा उनकी शारीरिक परिर्तनों एवं सेक्स संबंधी समस्याओं को लेकर जो भी जिज्ञासायें है उनका समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

A new society is created through education. Presently making children health conscious, including sex education in school curriculum and informing them about the changes in their body. So that there are no misconceptions in his mind. Through sexual education, there should be maximum increase in health and development of the child and he should not suffer from sexual disorders. Sex education is a curative method that personally and collectively protects against sexual problems. What should be the attitude of students towards sex education in this research work? Attempted to know, through sexual education from the students of the upper primary level of Kota city, whatever curiosities about their physical changes and sex problems can be solved.

मुख्य शब्द : यौन शिक्षा, अभिवृत्ति, विद्यार्थी, स्वास्थ्य
Sex Education, Aptitude, Student, Health.

प्रस्तावना

परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, परिवार से ही बालक सामान्य शिष्टाचार सिखता है। वर्तमान में परिवार की जिम्मेदारी विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा निभायी जा रही है। माता–पिता के बाद शिक्षक ही विद्यार्थियों के सबसे नजदीक होते है। बच्चों की भावनाओं और उनके बदलते स्वभाव को अभिभावक एवं शिक्षक ही सबसे पहले चिन्हित करते है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक व भावात्मक विकास होता है। उचित शिक्षा ही मनुष्य को सामान्य प्राणी से भिन्न बनाती है। शिक्षा के लक्ष्य के बिना हम किसी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते। शिक्षा के द्वारा समाज में कई परिवर्तन लाये जा सकते है तथा सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण भी शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

शिक्षा द्वारा नये समाज का निर्माण होता है। यह सदैव भविष्य के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान पाठ्यक्रम रूचिकर और विद्यालय वातावरण बालकों के स्वभाविक विकास के अनुरूप बनाया गया है, परन्तु शिक्षा के इतने सारे आयाम होने के बावजूद भी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में शिक्षा स्वयं को स्थापित नहीं कर पा रही है क्योंकि शिक्षा बाल केन्द्रित तो है परन्तु बालकों को वर्तमान सामाजिक पस्थितियों से स्वयं को कैसे बाहर निकाला जाये यह नहीं सिखा पा रही है। पाठ्यक्रम लचीला तो है परन्तु वर्तमान समय में बालकों की ज्वलन्त समस्याओं को समावेशित नहीं किया गया। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में यौन विषयक बातों की चर्चा वर्जित मानी जाती है। निसंदेह यौनगत

भावनाओं और व्यवहारों पर उस संस्कृति की गहरी छाप पड़ती है। जिसमें बालक का पालन–पोषण होता है। भारतीय समाज का शिक्षित वर्ग भी इस विषय के प्रति अत्यन्त संवेदनशील तथा संकुचित प्रवृत्ति वाला है।

सभी वर्ग के लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते है जिसके कारण लोगों को यौन संबंधी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शिक्षकों और अभिभावकों में यौन शिक्षा को लेकर परस्पर विरोधी रूचियाँ है। किये गये शोध के अनुसार शिक्षक अक्सर जैविक जानकारी देते है, जहाँ माता–पिता नैतिक शिक्षा में अधिक रूचि रखते है। लेकिन छात्र जीवन कौशल आधारित यौन शिक्षा में अधिक अंतदृर्ष्टि प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार, इन हितों पर कार्य करने और सही प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण को विकसित करने की आवश्यकता है।

यौन शिक्षा के संदर्भ में कहा जाये तो किशोर एवं युवाओं का विस्तृत वर्ग इस समस्या से ग्रसित है। उन्हें उचित शारीरिक विकास एवं होने वाले बदलाव सम्बन्धित पहलुओं पर जानकारी नहीं मिलने से स्वभाव एवं यौन समस्याएं और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर यौन शिक्षा का अभाव में हुए परितर्वनों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे उसके मन मस्तिष्क में कई धारणाएँ बैठ जाती है। युवा कई मानसिक रोग, यौन व्यवहार, एच.आई.वी/एड्स से ग्रसित हो रहे है। कई विद्यार्थी गलत संगत में फंस जाते है। पुस्तकों, फिल्मों से जानकारी ढूँढ़ते है। बहुत से युवा पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण काम संबंधों के सोच विचारों में खोये रहते है। विद्यालयों में यौन शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यौन शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि – यौन शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें बालक को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्वभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की संतुष्टि व अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने तथा उचित विधियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशन व शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं वृद्धि करते हुए सुख एवं आनन्दपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके।

यौन शिक्षा से तात्पर्य से ऐसी शिक्षा से है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य एवं विकास से अधिकाधिक वृद्धि हो और वह यौन विकारों से ग्रस्त न हो। यौन शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को उन बातों की जानकारी देना नहीं है जिन्हें वे जानते है बल्कि वे आचरण सिखाना है जिसके वे अभ्यस्त नहीं है। यौन विकृत्तियों से बचने एवं सेक्स के प्रति स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास करना ही यौन शिक्षा कहलाती है।

मेहता टी.एस. (1972) द्वारा राष्ट्रीय सेमीनार Sex Awareness Education कोलम्बो Curriculum Development of Sex Education पर पत्र वाचन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यौन शिक्षा का सम्प्रत्यय का स्पष्टीकरण करना है यह स्पष्टीकरण राष्ट्र की आवश्यकता तथा मति के अनुसार होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में विद्यार्थी अन्य विषयों को गंभीरता से लेना है, किन्तु यौन शिक्षा से संबंधित जानकारी बहुत सोर स्रोतों से एकत्रित करना चाहते है, जिससे कई बार गलत जानकारी जुटा लेता है या अश्लील साहित्य के प्रति उसकी रूचि बढ़ जाती है। आधी–अधूरी जानकारी उनके लिए हानिकारक होती है। कई बार समाज में युवा पाश्चात्य जगत में विद्यमान यौन आचरण के खुलेपन व उन्मुक्तता से प्रभावित रहते है। यौनगत आचरण के खुलेपन ने यौन शिक्षा के विचार को जन्म दिया। वर्तमान में बढ़ते हुए यौन अपराधों एवं दुराचारों के कारण विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही यौन शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है। यौन शिक्षा वैसे तो किशोर विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है परन्तु प्राथमिक स्तर पर भी यह आवश्यक हो गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा के माध्यम से सही व गलत स्पर्श के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। आज समाज में यौन शोषण की घटना आम हो गई है। वर्तमान सामाजिक ढाँचे को देखा जाये तो बालकों से संबंधित अनेक समस्यायें सामने आती है, जिससे समाचार, पत्र–पत्रिकायें भरे पड़े है। आज समस्त विश्व में यौन शिक्षा की हवा चल रही है। यौन शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अपने शारीरिक विकास के स्तर के अनुकूल यौन भावना सम्बन्धी उचित ज्ञान, मानसिक एवं उपचार संबंधी ज्ञान तथा संतुलित व्यक्तित्व के विकास का प्रशिक्षण मिलता है।

अतः आज के वर्तमान समय में यौन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति कैसी है? शोधकर्त्ता द्वारा इस समस्या पर शोधकार्य करने का मानस बनाया क्योंकि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन काल में यौन आवश्यकता, प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य को समझना आवश्यक है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

1. देश में 1921 में यौन सम्बन्धी स्वच्छता के पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था जिसे शिक्षा बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। शंकर उदय एवं लक्ष्मी 1978 सेक्स एजूकेशन।
2. भारत सरकार द्वारा सन् 2000 में सबके लिए स्वास्थ्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यौन स्वास्थ्य शिक्षा को जरूरी माना गया।
3. कुमार बी. सुब्बुराम मनोज और शशिकला (2017) दने एटीट्यूड ऑफ स्कूल टीचर्स टुवडर्स सेक्स, एजूकेशन इन श्रीरंगम, तालुका, त्रिची डिस्ट्रिक विषय पर शोध किया। उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना था। स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। शोध परिणाम में प्राप्त हुआ कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है तथा अधिकांश शिक्षकों की अभिवृत्ति यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक पायी गयी।

अध्ययन की परिकल्पना

1. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमन

1. अध्ययन केवल कोटा शहर में किया गया है।
2. अध्ययन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।
3. अध्ययन में चयनित सभी विद्यार्थी प्रायः 12 से 14 वर्ष तक के है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

सर्वप्रथम कोटा शहर में स्थित उच्च प्राथमिक स्तर के समस्त विद्यालयों की सूची प्राप्त की गई। दो सरकारी एवं दो निजी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रत्येक विद्यालय से 20–20 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते है। इस प्रकार 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिनमें 40 छात्र एवं 40 छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया।

उपकरण

शोधार्थी ने अपने अध्ययन में यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को मापने के लिए ''स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी'' का प्रयोग किया है।

सांख्यिकी विधियाँ

प्राप्त दत्तों का वर्गीकरण व सारणीयन कर सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने मध्यमान, मानक विचलन व टी–मूल्य का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण परिणाम एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध कार्य में सार्थक परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण की सहायता से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया तथा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के प्रयास किये गये है।

1. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

सारणी संख्या – 1

यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–मूल्य

समूह	N	मध्यमान	मानक विचलन	टी. मूल्य	सार्थकता स्तर
उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र	40	28.58	7.93	3.41	0.01
उच्च प्राथमिक स्तर के छात्राऐं	40	34.1	9.92		

df = 78 सार्थकता स्तर मान .01 = 2.64

सारणी संख्सा 1 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं का यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 28.58 व 34.1 तथा मानक विचलन 7.93 व 9.92 प्राप्त हुआ है। दोनों समूह के मध्यमानों के अंतर df = 78 पर टी.मूल्य 3.41 है जो कि सारणीयन मूल्य 0.1 के मान 2.64 से बहुत अधिक है।

अतः शून्य परिकल्पना ''यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है; अस्वीकृत होती है।

अतः कहा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर है।

2. यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

सारणी संख्या – 2

यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी.मूल्य

समूह	N	मध्यमान	मानक विचलन	टी. मूल्य
राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी	40	6.52	2.86	3.17
निजी उच्च प्राथमिक स्तर के छात्राऐं	40	8.74	4.09	

df = 78 सार्थकता स्तर मान .01 = 2.64

सारणी संख्सा 2 से स्पष्ट है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 6.52 व 8.74 तथा मानक विचलन क्रमशः 2.86 व 4.09 प्राप्त हुआ है। दोनों समूह के मध्यमानों के अंतर df = 78 पर टी.मूल्य 3.17 है जो कि सारणीयन मूल्य 0.1 के मान 2.64 से अधिक है।

अतः शून्य परिकल्पनाओं ''यौन शिक्षा के प्रति उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।'' निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में यौन शिक्षा के विषय में जानने में जिज्ञासा है, सकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है।

शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव

शैक्षिक दृष्टि से यह शोध बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर से ही विद्यालयों में

प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा यौन शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जो छात्र एवं छात्राओं को ज्ञात नहीं होती है जिसके कारण वे खुले रूप से चर्चा या बात नहीं कर पाते है। इस विषय के प्रति संकुचित भावना होती है। सही ज्ञान प्राप्त होने से विद्यार्थी अपना शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास करते हुए स्वस्थ व्यक्तित्व पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकेगें। विद्यालयों में पाठ्यक्रमों में यौन समस्याओं एवं यौन व्यवहारों से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाये। अग्रिम शोधकार्य में समाज के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को आधार मानकर शोधकार्य किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *कौल, लोकेश, (2001), शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नोएडा, विकास पब्लिशिंग, हाऊस, नई दिल्ली।*
2. *Morland M. (Ed): Sex difference and schooling Londan Heinemann (1983)*
3. *Offer, D, The psychology wold of the teenager, New York, Basic Books, (1969)*
4. *Maccoby, E. E., & C. N. Jacklin, The psychology of sex differences, Standard, S. Univ. Press (1974)*
5. *Oppenheim, A. N., Questionnaire, design, and attitude measurement. London Moukison and Giff Ltd. (1966)*
6. *Vander Zanden, James W.; Human development fifth ed, McGraw Hill, USA, (1993)*
7. *भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष 35, जनवरी –जून 2016*

Shubham Education and Information Centre, Bikaner

Email : shrimalidrrajendra@gmail.com

Phone : 9414742973, 8209610176

Reference SEIC/BKN/Raj./2021/1-11

Date 10-01-2021

Letter of Appreciation

विनिता शर्मा

I would like to take this opportunity to express my gratitude for sharing your knowledge and experience through the Research Paper/Article titled **"कोटा जिले के कक्षा 8 के बालक-बालिकाओं का यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन "** that was published in **Vol. 9 Issue 33 Oct.-Dec. 2020 of CHHAVI National Journal of Higher Education (ISSN : 2319-9679) Peer Reviewed/Refereed Journal. Impact Factor CNJHE=4.689.**

The entire editorial board has asked me to convey its appreciation for your fabulous contribution and the support that you gave us in making this issue a success. It was an enlightening experience process for our team and readers.

Thank you once again. Looking forward to have more of your contributions in times to come for future issues.

With sincere and copious regards,

Dr. Rajendra Shrimali
Chief Editor

Date :- 10-01-2021

Shubham Education & Information Centre
Authorised Signature
Bikaner

O/S JASSUSAR GATE, B/H KARNI MATA TEMPLE, BIKANER 334001, RAJ.

Vol.-9 Issue-33 Oct.-Dec., 2020

CHHAVI

National Journal of Higher Education

ISSN :- 2319 - 9679 REFEREED

January 2021

Website : www.chhavinjhe.in

Dr. Rajendra Shrimali
Editor in Chief
09414742973
08209610176

Published by :-

Shubham Education and Information Centre

O/S JASSUSAR GATE, B/H KARNI MATA TEMPLE, BIKANER 334001, RAJ

Email: dr.rajendrashrimali@yahoo.in, shrimalidrrajendra@gmail.com

कोटा जिले के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं का यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

प्रो. सुषमा सिंह
डीन, शिक्षा शास्त्र विभाग
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
मो. 9929418517

विनिता शर्मा
शोधार्थी (शिक्षा)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

प्रस्तावना

भारतीय समाज में आज भी यौन शिक्षा को असहज भाव से लिया जाता है। जबकि बढ़ते हुए यौन अपराध को देखते हुए यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये, यह समय की माँग है। जिससे कि विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सके। बाल्यावस्था को जीवन की स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है। बालकों के विकास के साथ–साथ शारीरिक अथवा सांवेगिक परिवर्तन यौन संबंधी जिज्ञासा को जन्म देते है। बालकों को इन शारीरिक परिवर्तनों और विकास क्रम को जानने की प्रबल इच्छा होती है। यौन शिक्षा के अभाव में बालक–बालिकायें अपने आपको समाज में समायोजित नहीं कर पाते है। जिसके कारण वे यौन अपराधों की ओर अग्रसर हो जाते है।

इस अवस्था में यौन शिक्षा नहीं दी जाती है तो वे रेडियों, समाचार–पत्रों, टेलीविजन, परिवार नियोजन विज्ञापन आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने लगते है। यदि सही यौन शिक्षा नहीं दी गई तो लिंग आधारित हिंसा, लिंग असमानता, प्रारंभिक और अनपेक्षित गर्भधारण, एच.आई.वी. और अन्य यौन संचारित संक्रमण बढ़ते जाएंगे और रोकना मुश्किल हो जायेगा। ऐसी स्थिति में बालकों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें समुचित रूप से यौन शिक्षा दी जाये।

यौन शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है – यौन व काम संबंधी शिक्षा अथवा काम प्रवृत्ति संबंधी शिक्षा। काम प्रवृत्ति का तात्पर्य है विपरित लिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने तथा उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। मानव की यौन शरीर रचना, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य गर्भ निरोध, यौन मनोविज्ञान ओर प्रेम के वे घटक जिनका संबंध यौन व्यवहारों और क्रियाओं से होता है, उसे यौन षिक्षा कहते है। यौन विकृत्तियों से बचने एवं सेक्स के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास करना ही योन शिक्षा कहलाती है।

समस्या का औचित्य –

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे है कि विद्यार्थियों में यौन अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि वे अपने होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते है। इन परिवर्तनों के प्रति जिज्ञासा और जानकारी का अभाव उन्हें यौन अपराधों की ओर ले जाता है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में यौन शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर उन्हें यौन अपराधों से रोका जा सकता है। यौन विकारों से सुरक्षित रहने तथा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है।

समस्या के उद्देश्य –

1. शहरी क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. शहरी क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं की यौन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं

की यौन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

समस्या का परिसीमन –

प्रत्येक कार्य की अपनी कुछ परिधि व सीमाऐं होती है। किसी भी समस्या का अध्ययन करने से पहले उस समस्या के क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक है।

1. प्रस्तुत अध्ययन कोटा क्षेत्र तक सीमित रखा गया है।
2. अध्ययन में केवल कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं को लिया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध कार्य में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा न्यादर्श के लिए 160 विद्यार्थियों का चयन किया गया। जिसमें कक्षा 8 के शहरी एवं ग्रामीण 40, 40 बालक और बालिकाओं को लिया गया है।

अध्ययन विधि –

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। शोध कार्य वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित है। अतः इसी कारण सर्वेक्षण विधि को उपयुक्त माना है।

उपकरण –

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए प्रदत्त संकलन हेतु यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी –

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है –

1. मध्यमान 2. मानक विचलन 3. टी मूल्य

सारणी 1

शहरी क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

क्र.स.	श्रेणी/समूह कक्षा – 8	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	(t) गणना द्वारा प्राप्त 't' का मान
1.	बालक	40	55.90	6.71	1.65
2.	बालिकायें	40	59.53	12.26	

सारणी 1 से स्पष्ट है कि गणना द्वारा प्राप्त 't' का मान 1.65 है जो कि 0.05 विश्वास स्तर का मूल्य 1.99 तथा 0.01 विश्वास स्तर का मूल्य 2.61 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

सारणी 2

ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक–बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर

क्र.स.	श्रेणी/समूह कक्षा – 8	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	(t) गणना द्वारा प्राप्त 't' का मान
1.	बालक	40	55.90	6.71	5.02
2.	बालिकायें	40	64.84	9.09	

सारणी 2 से स्पष्ट है कि गणना द्वारा प्राप्त 't' का मान 5.02 है जो कि 0.05 विश्वास स्तर का मूल्य 1.99 तथा 0.01 विश्वास स्तर का मूल्य 2.61 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष –

1. प्रस्तुत शोध कार्य में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ कि कोटा जिले के शहरी क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक –बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ कि कोटा जिले के ग्रांमीण क्षेत्र के कक्षा 8 के बालक –बालिकाओं की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। यह परिकल्पना स्वीकृत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, राम नारायण मनोविज्ञान ओर शिक्षा में मापन मूल्यांकन विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
2. श्रीमती आर के शर्मा, एच.एस. शर्मा, श्रीमती अंजना तिवारी बालक विकास के मनोवैज्ञानिक आधार
3. गैरेट, हेनेरी, शिक्षा मनोविज्ञान
4. गुप्ता, राजकुमार भारतीय आधुनिक शिक्षा
5. कपिल, डॉ. एच.के. अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव, आगरा

अन्य

1. समाचार पत्र – राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर
2. इन्टरनेट – गूगल सर्च इंजन, याहू
3. मासिक पत्रिका – साइकोलॉजीशिविरा

यौन शिक्षा अभिवृत्ति मापनी

(Sex - Education Attitude Scale)

शोध निर्देशिका

प्रो. सुषमा सिंह

प्राचार्य

शोधार्थी

विनिता शर्मा

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

कृपया निम्न सूचनाएँ भरिये (Please fill in the following information)

नाम (Name) ----------

आयु (Age) ---------- कक्षा (Class) ----------

विद्यालय (School) ----------

निर्देश **(Instruction)**

यह परीक्षण "यौन शिक्षा" के समबन्ध में आपकी मनोवृत्ति जानने के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक कथन के सम्मुख तीन सम्भावित उत्तर - 'सहमत (Agree)' 'अनिश्चित (undecided)' व 'असहमत (Disagree)' भी दिए हुए है। कृपया प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और अगर आप कथन से सहमत हो तो - 'सहमत (Agree) वाले कॉलम के नीचे सही (√) का निशान लगा दें। अगर 'असहमत (Disagree)' हो तो 'असहमत (Disagree)' और निर्णय लेने की स्थिति में न हो तो 'अनिश्चित (undecided) वाले कॉलम में (√) का निशान लगा दें।

क्र.सं.	कथन	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	उच्च प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय होना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
2.	विद्यार्थियों को यौन शिक्षा के बारे में जानना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
3.	यौन शिक्षा के माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक सन्देहों को दूर किया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]
4.	; यदि बाल्यावस्था से ही यौन शिक्षा प्रदान की जाये तो इसके लाभदायक परिणाम होगें।	[ ]	[ ]	[ ]
5.	यौन शिक्षा से शिक्षा के स्तर में सुधार आयेगा।	[ ]	[ ]	[ ]
6.	यौन शिक्षा से विद्यार्थियों को शारीरिक परिवर्तन से उत्पन्न चिन्ता समाप्त हो सकती है।	[ ]	[ ]	[ ]
7.	अनेक सामाजिक बाल अपराधों को यौन शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]

8.	यौन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की जन्म सम्बन्धी जिज्ञासाओं को दूर किया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]
9.	यौन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को लिंग भेद के अन्तर को समझाया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]
10.	यौन शिक्षा के द्वारा प्रजनन अंगों की समुचित जानकारी संभव है।	[ ]	[ ]	[ ]
11.	यौन शिक्षा के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी देना संभव हो सकेगा।	[ ]	[ ]	[ ]
12.	यौन शिक्षा के माध्यम से किशोरों को लैंगिक कुसमायोजनों (जैसे समलैंगिकता, अनुचित यौन व्यवहार आदि) से बचाया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]
13.	विभिन्न कक्षा स्तर अनुसार यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम भी पृथक्पृथक होना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
14.	शिक्षकों व अभिभावकों को बाल योन शोषण से सम्बन्धित कानूनों का भी ज्ञान होना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
15.	यौन शिक्षा कि शिक्षण विधियाँ सरल भाषा में अपनानी चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
16.	यौन शिक्षा के माध्यम से लिंग अन्तर को विद्यार्थी 'स्वस्थ समझ' के आधार पर जान लेगा।	[ ]	[ ]	[ ]
17.	यौन शिक्षा से विद्यार्थियों के "अनैतिक व्यवहार" में कमी आयेगी।	[ ]	[ ]	[ ]

18.	यौन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मानसिक विकास मनोवैज्ञानिक रूप से होगा।	[ ]	[ ]	[ ]
19.	यौन शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना संभव है।	[ ]	[ ]	[ ]
20.	विपरित लिंग को समझने के लिए यौन शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
21.	यौन शिक्षा से लड़के व लड़की की मित्रता को दोस्ती के प्रत्यय को नई शिक्षा प्राप्त होगी।	[ ]	[ ]	[ ]
22.	यौन शिक्षा से युवक-युवतियाँ संयमित रहेगें अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेंगें।	[ ]	[ ]	[ ]
23.	यौन शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का कम प्रभाव पड़ेगा।	[ ]	[ ]	[ ]
24.	विद्यालयों में यौन शिक्षा के लिए विशेष शैक्षिक वातावरण होना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
25.	यौन शिक्षा की विषयवस्तु में सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को भी स्थान मिलना चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
26.	यौन शिक्षा प्रदान करने से विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	[ ]	[ ]	[ ]
27.	उच्च प्राथमिक कक्षाओं में चित्र, चलचित्र, कहानी तथा नाट्यशाला द्वारा यौन शिक्षा देना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।	[ ]	[ ]	[ ]

28.	सामान्य शिष्टाचार के साथ-साथ माता-पिता द्वारा बच्चों को यौन शिक्षा की जानकारी भी देनी चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
29.	पाँच से पन्द्रह वर्ष के बच्चों के लिए यौन शिक्षा अधिक लाभदायक सिद्ध होगी।	[ ]	[ ]	[ ]
30.	बाल यौन शोषण सभ्य समाज में घटित होने वाले अशोभनीय कृत्य है।	[ ]	[ ]	[ ]
31.	बाल यौन शोषण एक खुलकर चर्चा होनी चाहिए।	[ ]	[ ]	[ ]
32.	यौन शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में संयम एवं आत्म-अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है।	[ ]	[ ]	[ ]